

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email:complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ. ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਖ", ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਨਦ੍ਰਾ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

ਸਦਰ੍ਹ:.....Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2020-21

ਦਿਨਾਂਕੁ/Date: July 20, 2020.....

To,

Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,


Reg: Annual Report 2019-20

Further to our letter dated 18.07.2020 regarding Tenth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank, please find enclosed the Annual Report 2019-20 including Notice for Tenth Annual General Meeting scheduled to be held on 11.08.2020.

This is for your record.

Yours faithfully,

Saket Mehrotra
Company Secretary



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ)




Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष / Chairman
डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre



श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar



श्री बी.पी. विजयेन्द्र
Sh. B.P. Vijayendra



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय-सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-29
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	30-45
5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report	46-49
6. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	50-109
7. व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	110-135
8. बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	136-221
9. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	222-235
तुलन-पत्र / Balance Sheet	236-237
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	238-241
अनुसूचियाँ / Schedules	242-315
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	316-319
10. घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)/नामांकन फार्म Format of Declaration (By Candidate)/Nomination Form	320-329



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2020 को / As on 31.03.2020

1. जमा Deposits	8966755
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6256420
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2787160
4. सकल निवेश Gross Investments	2494638
5. परिचालन लाभ Operating Profit	109691
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-) 99080
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.91%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	8.03%
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	12.76%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar

श्री बी.पी. विजयेन्द्र
Sh. B.P. Vijayendra

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया
CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अमब्रीश कुमार मिशरा
Sh. Ambrish Kumar Mishra

महाप्रबंधक / General Managers

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev

श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak

श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.
M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.
M/s Baldev Kumar & Co.

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
M/S Suresh Chandra & Associates

मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कं.
M/S Raj Gupta & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेल: www.psbindia.com

नोटिस

एतद् द्वारा यहां सूचना दी गई है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को सुबह 10 बजे से निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

मद संख्या

1. 31 मार्च 2020 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सम्मिलित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाने के लिए।

विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने के लिए :

“संकल्पित किया गया कि 31 मार्च 2020 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सम्मिलित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट है और इसे एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

2. बैंक कंपनियों (केंद्र सरकार के अलावा) के शेयरधारकों के बीच में से दो निदेशकों का चुनाव करने के लिए, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) के संदर्भ में (बाद में "अधिनियम" के रूप में जाना जाता है) ") के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद " बीआर अधिनियम "के रूप में संदर्भित) को पढ़ते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके बाद " योजना "के रूप में संदर्भित हो) और पंजाब एंड सिंध बैंक (शेयर व बैठके) विनियम, 2008 (इसके बाद "पीएसबी विनियम" के रूप में संदर्भित) ने बैंकिंग कंपनियों की धारा 19 (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अनुरूप बनाया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांकित 20.08.2019 अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीपीटी सं.9/29.67/001/2019 (इसके बाद "आरबीआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) और भारत की मौजूदा सरकार (भारत सरकार) के दिशानिर्देश।

विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, निम्न संकल्प को संशोधन के साथ या उसके बिना स्वीकृत की जाती है:-

“संकल्पित किया जाता है कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से चुने गए दो निदेशक, अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में जिसे योजना और विनियमों के रूप में पढ़ा गया, चुने गए हैं, वे इस पद के लिए एतद् द्वारा इस पदभार को परिणामों की घोषणा के बाद के दिन से और इस तरह की धारण की तारीख से तीन साल की अवधि के पूरा होने तक कार्यालय का संचालन करने के लिए बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17.07.2020

एस हरिशंकर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 11th August, 2020 at 10.00 a.m. to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby approved and adopted.”

2. To elect **TWO** Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than Central Government), in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as “**Act**”) read with The Banking Regulations Act, 1949 (hereinafter referred to as “**B R Act**”) and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as “**Scheme**”) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as “**PSB Regulations**”) made pursuant to Section 19 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Notification No. DBR.Appt.No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “**the RBI Notification**”) and the extant Government of India (GOI) Guidelines.

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution:-

“RESOLVED THAT TWO Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made there under, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi

Date : 17.07.2020

S Harisankar
MD & CEO

टिप्पणियां

1. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05.05.2020 के साथ पठित एमसीए (कंपनी मामलों के मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 के अनुसरण में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की अनुमति है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैंक के वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दसवें एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत कार्यवाह संख्या की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित प्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 06 अगस्त, 2020 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पहले प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 में जमा नहीं हो जाता या संवीक्षक को deepak@drassociates.org पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बुक, बुधवार 05.08.2020 से मंगलवार, 11.08.2020 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) बंद रहेगा।

5. व्याख्यात्मक विवरणी :

निदेशकों के चुनाव से संबंधित नोटिस की मद संख्या 2 के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है। कार्यसूची मद संख्या 2 के संबंध में वास्तविक तथ्यों को समायोजित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2020 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹. 701.05 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार की 83.06% तथा अन्य के पास 16.94% की धारिता है। धारा 9(3) (i) के पैरा (ii) के प्रावधान के अनुसार, बैंक को निदेशक मंडल में शेयरधारकों के अपने बीच में से चुने गए दो शेयरधारक निदेशकों को रखना अनिवार्य हैं। दिनांक 29.06.2017 को शेयरधारकों के मध्य से तीन वर्ष की अवधि हेतु चुने गए दो निदेशक अपना कार्यकाल दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण कर लेंगे।

निदेशक मंडल ने दिनांकित 16.07.2020 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) को बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, दिनांक 14.08.2020 से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Pursuant to Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, permitting holding of AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020.

In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC). The deemed venue for the 10th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008.

2. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at deepak@drassociates.org with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on 06th August 2020.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from Wednesday, August 05, 2020 to Tuesday, August 11, 2020 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 2

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, *inter alia*, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2020 was Rs.701.05 crore of which 83.06% is held by the Govt. of India while 16.94% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 29.06.2017 from amongst the shareholders, for a period of three years, have completed their term on 30.06.2020.

The Board of Directors in their meeting dated 16.07.2020 has decided to appoint two directors from amongst shareholders (other than the Central Government), through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from 14.08.2020 and will hold office for a period of three years.

6. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- I. सेबी (सूचीयन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम 2015, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित संशोधित कंपनी नियम 2015 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में सरोकार करने के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटिंग के माध्यम शेयरधारकों के मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ डेट (निर्धारित तिथि) मंगलवार, 04.08.2020 है।
- II. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार की शर्तों के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है, शामिल नहीं होंगे।
- III. दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :
 - i. दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 08.08.2020 (पूर्वाह्न 10:00 बजे) को प्रारंभ होगी और सोमवार, 10.08.2020 (अपराह्न 05:00 बजे) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिसके पास अंतिम निर्धारित तिथि मंगलवार, 04.08.2020 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दी जाएगी।
 - ii. शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
 - iii. शेयरधारकों को ई.वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
 - iv. "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
 - v. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - a. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
 - b. एनएसडीएल हेतु : 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी
 - c. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

या

विकल्पतः, यदि आप सीडीएसएल की ईएसआई/ईएसआईईएसटी ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं तो आप लॉगइन क्रेडेंसियल्स का प्रयोग करके लॉगइन-मायईएससी से <https://www.cdslindia.com> पर लॉग-इन कर सकते हैं। सीडीएसएल की ईएसआई/ईएसआईईएसटी ई-सेवाएं पर एक बार सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे अपने मतदान प्रक्रिया करें।

- vi. आगे प्रदर्शित हो रहे इमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें तथा लॉगइन पर क्लिक करें।
- vii. यदि आपके पास शेयर डीमेट फॉर्म में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यू मेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना पैन, कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगइन के क्रम में, डीमेट खाते में या कंपनी के अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष के प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास अभिलेखित नहीं है तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में सदस्य संख्या आईडी/फोलियो नंबर जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।

6. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Tuesday, 04th August, 2020.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- III. The instructions for remote e-voting are as under:
 - i. The remote e-voting period begins on Saturday, 08th August, 2020 (10:00 a.m.) and ends on Monday, 10th August, 2020 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of Tuesday, 04th August, 2020, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
 - iii. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - iv. Click on "Shareholders" module.
 - v. Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from **Login - Myeasi** using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.

- vi. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vii. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- viii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- ix. इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- x. सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट धारकों द्वारा किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई-मतदान हेतु किया जा सकता है।
- xii. प्रासंगिक (कंपनी का नाम) जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं, के लिए "ईवीएसएन" पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिजोल्यूशन विवरण" देखेंगे तथा उसके समक्ष मतदान के लिए हाँ/नहीं का विकल्प देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- xiv. यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xv. वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात् "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैसल" पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- xvi. यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की "पुष्टि" कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- xviii. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- xix. शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाइल एप "एम-वोटिंग" का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। एम-वोटिंग एप संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर दूरस्थ मतदान करते समय मोबाइल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉग-इन क्रेडेंसियल प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं :

1. भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु : कृपया ई-मेल द्वारा complianceofficer@psb.co.in/delhi@linkintime.co.in को आवश्यक जानकारी जैसे फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्केन प्रति (आगे और पृष्ठ भाग की), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति) उपलब्ध कराए।
2. डीमेट शेयरधारकों हेतु : कृपया ई-मेल द्वारा complianceofficer@psb.co.in/delhi@linkintime.co.in को डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल - 16 अंकों का लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल - 16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खात विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति) उपलब्ध कराए।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

1. सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंसियल का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉगइन के अंतर्गत <https://www.evotingindia.com> पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
2. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लेपटॉप/आईपैड्स के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमति देने तथा अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग की अनुशंसा की जाती है।

- ix. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- x. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- xi. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- xii. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- xiii. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xiv. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xv. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xvi. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvii. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xviii. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xix. Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app “m-Voting”. The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

शेयरधारकों हेतु एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार है :

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
4. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

(ii) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक के अतिरिक्त, संयुक्त हिंदू परिवार, एनआरआई इत्यादि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगऑन करना होगा और "कॉर्पोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता (ऑ) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा की स्कैन प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि संवीक्षक उसको सत्यापित कर सके।
- वैकल्पिक रूप से अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@psb.co.in पर संवीक्षक और कंपनी को भेजने की आवश्यकता होती है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और उसे सत्यापित करने के संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

एजीएम में सहभागिता करने व ई-वोटिंग संबंधी कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें अथवा श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022- 23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल), केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्सम, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

(i) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

7. संवीक्षक

बैंक द्वारा श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीवी नं. 4629) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे के भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और शेयर बाजारों व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट प्रदर्शित करके तुरंत मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

8. शेयर अंतरण एजेंट के साथ संप्रेषण :

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से अनुरोध है कि उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन, यदि कोई है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

लिनक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर -एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष : +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स : +91 11 4141 0591

ई-मेल : delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना अपने डिपॉजिटारी सहभागी को दें।

9. लाभांश का भुगतान

वर्ष 2019-2020 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

10. अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो :

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले वर्ष के लिए लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है, से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए पूर्वोक्त पते पर या प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

11. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिनक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आरटीए) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के विषय में सूचित करें ताकि बैंक एक फोलियों में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। नियत समय में आवश्यक पृष्ठांकन पश्चात शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों को वापस कर दिए जाएंगे।

12. शेयरधारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त, यदि बैंक के किसी भी शेयरधारक द्वारा बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक का शेयर रखा जाता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को कार्यसूची मर्दों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। एजीएम के ई-वोट/वोट की पात्रता के लिए निर्दिष्ट तारीख 04.08.2020 है। ई-वोटिंग की अवधि 08.08.2020 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 10.08.2020 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात शेयरधारक ई-वोटिंग नहीं कर सकेंगे। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया के लिए विवरण संलग्न है।

7. SCRUTINIZER

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

8. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Private Limited.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,

Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

9. PAYMENT OF DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2019-2020.

10. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 04.08.2020. The e-voting period shall commence on 08.08.2020 from 10.00 a.m. and end on 10.08.2020 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही ई-एजीएम में भाग लेने और कार्यसूची पर या तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने पर ई-एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा।

13. अन्य सूचनाएं

- उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुपालन में, 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 10 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को इंगित करता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात् "लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" / निक्षेपागार सहभागियों (ओं) के साथ पंजीकृत हैं, को प्रेषित करता है।
- एजीएम आयोजन के लिए नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर देखा जा सकता है अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। एजीएम नोटिस को सीडीएसएल की वेबसाइट (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए एजेंसी) यानी www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया जाता है।
- बैंक द्वारा किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में और अपने बैंक के आरटीए के साथ भौतिक रूप (आरटीए की ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी प्राप्त करें। इसके अलावा, परिवर्तन के मामले में, यदि कोई हो, उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, स्थायी खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, उनके द्वारा डीपी को सूचित किया जा सकता है, यदि उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और आरटीए को शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है।

14. निदेशकों का चुनाव

बैंक के शेयरधारकों ने (केंद्रीय सरकार के शेयरधारकों के अलावा) दिनांक 29 जून, 2017 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव किया जिन्होंने 01 जुलाई, 2017 को कार्य ग्रहण किया और जिनका कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त हो गया है। रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से बैंक दिनांक 11.08.2020 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव का प्रस्ताव रखता है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के शेयरधारकों के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियमनों/अधिसूचना /दिशा-निर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकनों को प्रेषित करने हेतु पात्र हैं, जिसका प्रासंगिक सार/भाग यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। यदि नामांकनों की छानबीन के बाद नामांकनों की संख्या दो के समतुल्य है जिनको शेयरधारक बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और बैंक में बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त एवं उचित स्थिति निर्धारित करने के बाद अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव होने के बाद दो निदेशकों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे चुने गए निदेशक को 14 अगस्त, 2020 से पद पर माना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। अन्यथा, यदि नामांकनों की संख्या दो से अधिक होती है तो मतदान (दोनों ई-मतदान/ई-एजीएम में मतदान) द्वारा चुनाव किया जाएगा।

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the aforesaid SEBI Circular, the Annual Report for 2019-20 containing the Notice of the 10th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.psbindia.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.
- c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

14. ELECTION OF DIRECTORS:

The shareholders of the Bank (other than the Central Government) at Annual General Meeting held on 29th June, 2017 elected two Shareholder Directors, who assumed office on 1st July, 2017 and their term has ended on 30th June, 2020. With a view to fill in the vacancies, Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at the Annual General Meeting convened on 11th August, 2020.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/ Scheme/ Regulations/ Notification/ Guidelines, the relevant extracts/portions of which are reproduced hereunder. Two directors will be elected either, if the number of nominations is equal to two after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination & Remuneration Committee of the Board or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 14th August, 2020, and will hold office for a period of three years. Otherwise in case the no. of nominations exceeds two, then the election shall be done by way of voting (both e-voting / voting at the e-AGM).

वैधानिक प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमन अधिनियम/योजना/विनियमनो/अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधानों को निम्न तालिका दर्शाती है :

नियम/योजना/अधिनियमों/ अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों	प्रावधानों	लघु विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16(1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वास्तविक हित ➤ कॉमन निदेशक की मनाही (निषेध) ➤ किसी भी निदेशक को या उसके स्थान पर ऋण या अग्रिम देने में प्रतिबंध।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(आई) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मताधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ भा.रि. बैंक के निर्धारण अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चयन हेतु पात्र नहीं होगा यदि उसके विगत रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य किसी मानदंड के अनुसार उसकी स्थिति फिट एवं प्रोपर नहीं है। ➤ ऐसे चुने गए निदेशक जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3A) और 9(3AA) की अनिवार्यताओं को पूर्ण नहीं करता है, उसको भा.रि. बैंक हटा सकता है। ➤ गोपनीयता तथा विश्वस्तता के रूप में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चुने गए निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य होना ➤ निदेशक कार्यालय की छुट्टियाँ ➤ चुने गए निदेशक को पद से हटाना ➤ चुने गए निदेशक के कार्यालय में अनियत रिक्ति भरना ➤ कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण जिनमें उनकी रुचि है।
पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) अधिनियम, 2008	अधिनियम 10 अधिनियम 61 अधिनियम 63 अधिनियम 64 अधिनियम 65 अधिनियम 66 अधिनियम 67 अधिनियम 68 अधिनियम 69 अधिनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग करना ➤ सामान्य बैठक में मतदान ➤ सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकन की छानबीन ➤ चुनाव विवाद ➤ मताधिकार का निर्धारण ➤ प्रति प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान ➤ प्रतिनिधि
भा.रि. बैंक की अधिसूचना दिनांकित 02.08.2019 संख्या डीबीआर.एपीपीटी.. नं. 9/29.67.001/2019-20 तथा दिनांकित 01.11.2007 संख्या डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08 तथा दिनांकित 23.05.2011 संख्या डीबीओडी.नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुक्रम में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड
भा.रि. बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांकित 01 जुलाई, 2014 - दिनांकित 01 जुलाई, 2014 का मास्टर परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं. डाय. बीसी. 16/13.03.00/2014-15		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS/DIRECTIVES	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3(2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications for being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and DBOD.No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. No. BC. No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/13.03.00/2014-15 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक अहर्ताएं

अधिनियम की धारा 9 (3-ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम की उपधारा 9 (3) के खंड (i) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता है, को होना चाहिए:

- A) निम्न एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए जिनका नाम:
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था;
 - बैंकिंग;
 - सहकारिता;
 - अर्थशास्त्र;
 - वित्त;
 - कानून;
 - लघु उद्योग;
 - भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।
- B) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या
- C) कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

इसके अलावा, भा.रि. बैंक ने उनकी दिनांकित 24.11.2016 अधिसूचना संख्या डी.बी.आर. एपीपीटी वीसी नं. 39/29.39.001/2016-17 व्यापक बनाने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को शामिल किया है :

- सूचान प्रौद्योगिकी
- भुगतान और निपटान प्रणाली
- मानव संसाधन
- जोखिम प्रबंधन और
- व्यवसाय प्रबंधन।

अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी 'फिट एवं प्रोपर' दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। आगे, चुने हुए निदेशक को प्रतिज्ञापत्र के विलेख निष्पादित करना चाहिए और उसको भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित वार्षिक घोषणाओं/परिवर्तनों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के चयन के लिए भारत सरकार के निम्नलिखित दिशानिर्देशों को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवार के 'फिट और प्रोपर' स्थिति का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जा सकता है:

- विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, बैंककारी सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कंपनी कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ प्रसिद्ध व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्ष का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व, गिरती हुई संस्था में पुनः संचार करना) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ 20 वर्ष के कुल अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। एक वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सी.एम.डी./ई.डी.। भूतपूर्व सी.एम.डी./ई.डी. को उस तिथि से निदेशक मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नियुक्त करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिस तिथि पर वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत सी.एम.डी./ई.डी. को अन्य पी.एस.बी. के निदेशक मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall -

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- a. agriculture and rural economy;
 - b. banking
 - c. co-operation;
 - d. economics;
 - e. finance
 - f. law;
 - g. small-scale industry;
 - h. any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.
- B) represents the interest of depositors; or
- C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Further, RBI vide their Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 has, to further broaden the fields of specialization to include

- i. Information Technology
- ii. Payment & Settlement Systems
- iii. Human Resources
- iv. Risk Management and
- v. Business Management.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director shall also execute the deed of covenant and is required to furnish annual declarations/ changes, if any, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

The following guidelines of Government of India for selection of Part-time Non-Official Director on the boards of public sector banks may be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the candidate to be elected as Shareholder Director:

- a) Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a falling organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.

- c) प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद् निदेशक और प्रोफेसर जिनका 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।
d) 20 वर्ष के अनुभव वाले सनदी लेखाकारों (लेखा परीक्षण के अतिरिक्त) को भी वरीयता दी जाएगी।
e) जहाँ कहीं भी संभव हो, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

शिक्षा: उम्मीदवार को सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ अधिमानतः किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

आयु: विवेचना की तिथि पर उम्मीदवार की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 28.07.2020.

कार्य अनुभव: पेशेवरों/शिक्षाविदों को आमतौर पर अपने विशेष क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

कार्यकाल: किसी भी एन.ओ.डी. को बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि. बैंक/ बीमा कंपनी के मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नामित करने पर विचार नहीं किया जा सकता यदि ऐसा निदेशक पूर्व में किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि. बैंक/ बीमा कंपनी के मंडल में छः वर्ष की अवधि हेतु निरन्तर अथवा अंतराल पर एन.ओ.डी./शेयरधारक निदेशक रहा है।

पेशेवर प्रतिबंध: पेशेवर प्रतिबंध का मामला अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध) प्रावधान योजना, 1980 की धारा 10 (डी) और भा.रि. बैंक की अधिसूचना संख्या डी.बी.आर.एपीपीटी नं 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद की अलग से जांच की जा सकती है।

पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड और ईमानदारी : उम्मीदवार को किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋणदायी संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक के निदेशक चुने जाने से अयोग्य किया जाना :

A. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1980 की शर्त 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है:

- यदि उसको दिवालिया या भुगतान में चूक या उसने अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है; या
- यदि उसको पागल पाया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया है; या
- यदि उसको क्रिमिनल अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है;
- यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित सहायक बैंक, पूर्ण-कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त, लाभ के पद पर आसीन है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भा.रि. बैंक ने दिनांकित 02.08.2019 अधिसूचना संख्या डी.बी.आर. एपीपीटी नं. 9/29.67.001/2019-20 को निम्नलिखित अयोग्यताओं को निर्धारण किया है :

- उम्मीदवार को किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफ.आई.) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक के गैर-ऑपरेटिव वित्तीय नियंत्रक कंपनी (इसके बाद "एनओएफएचसी" के रूप में संदर्भित) के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, उक्त "बैंक" में एक बैंकिंग कंपनी, एक नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

- पी.एस.बी. के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टा उधार और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे उनमें किसी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं लेते हैं।

- बैंक के बोर्ड में कोई भी व्यक्ति निर्वाचित / पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है, यदि वह किसी भी श्रेणी में निदेशक के रूप में किसी बैंक के बोर्ड/ वित्तीय संस्थान/भा.रि. बैंक/ बीमा कंपनी निरन्तर अथवा अंतराल छः वर्ष कार्य कर चुका है।

- प्रार्थी का शेयर दलाली के व्यवसाय से संबंध नहीं होना चाहिए ।

- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- e) Wherever possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST/OBC community.

EDUCATION: The candidate should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Information Technology, Payment & Settlement Systems, Human Resources, Risk Management and Business Management.

AGE: The age of the candidate should not be more than 67 years on the date of scrutiny i.e. 28.07.2020

WORK EXPERIENCE: Professional/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

TENURE: An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION: The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1980 and RBI Notification No. DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 may be separately examined.

TRACK RECORD AND INTEGRITY: The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/ agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- A.** In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:
- a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ;
or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

In addition to the above, RBI, vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 has further prescribed the following disqualifications:

- (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or Insurance Company or a Non-Operative Financial holding Company (hereinafter referred to as "NOFHC") holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

- (e) प्रार्थी को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।
- (f) प्रार्थी को सनदी लेखाकार फर्म के एक भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में लगे हुए हैं।
- (g) प्रार्थी को सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो वर्तमान में बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में लगे हैं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाता है।

B. यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना दिनांकित 02.08.2019 डीबीआर. एपीपीटी नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 01.11.2007 डीबीओडी. नं. बीसी नं. 47/29.39.001/ 2007-08 एवं दिनांकित 23.05.2011 डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 तथा अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'फिट एवं प्रोपर' नहीं पाया जाता है।

निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा।

बशर्ते इस प्रकार का कोई भी निदेशक छः वर्ष की अवधि से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता है।

शेयरधारकों का अधिनियम की धारा 9 (3बी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अनिवार्यताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

अधिनियमों के विनियमन 65 और भा.रि. बैंक की अधिसूचना दिनांकित 01.11.2007 संख्या डीबीओडी.नं.बीसी. नं.46एवं47/29.39.001/2007-08 के साथ पठित दिनांकित 23.05.2011 संख्या डीबीओडी.नं.बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 तथा दिनांकित 01.06.2011 के सरकारी दिशा-निर्देशों, अन्य विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

- वह बैंक का शेयरधारक हो तथा दिनांक 10.07.2020 जो कि चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम निर्धारित तिथि को उसके पास कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं और बैठक की तिथि तक तथा उसके बाद, निदेशक के रूप में उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, यदि वह चुना जाता/चुनी जाती है, उसके पास न्यूनतम 100 शेयर होने चाहिए।
- वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 28.07.2020 को अधिनियम/योजना/विनियमन/भा.रि. बैंक अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अंतर्गत निदेशक के चयन हेतु अयोग्य घोषित नहीं हुआ/हुई हो।
- अधिनियम के अंतर्गत नामांकन कम से कम ऐसे 100 शेयरधारक जो निदेशक का चयन करने के पात्र हों, द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि किसी ऐसे शेयरधारक जो कि एक कंपनी हो, तो उस कंपनी के निदेशकों द्वारा एक मसौदा पास होने के बाद किया जाएगा और जहाँ वह इस प्रकार किया गया हो वहाँ वह संकल्प जिस सभा से पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- उक्त नामांकन किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमनों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं हुआ है, के साथ उसके प्रति हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) और पुष्टि करते हुए कि उसकी जानकारी तथा सत्यनिष्ठा के अनुसार ऐसे विवरण सत्य हैं। उसकी वचनबद्धता कि ऐसी घटनाओं से संबंधित जानकारी जितनी भी जल्दी संभव हो, बैंक को पूर्ण रूप से सूचित की जाती रहेगी।
- नामांकन प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र अधिनियम के अनुसार और प्रोफार्मा के अनुसार निर्धारित हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध हैं)

- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies.
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- B.** If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and/or other guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD.No. BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with DBOD No.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI guidelines dated 01.06.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank. as on, the 10.07.2020 being the cut-off date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure as director, if he/she is elected.
- He/she is, as on 28.07.2020, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines.
- the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank addressed to the Company Secretary, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi, such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he/she is not disqualified under the Act or the Scheme or these Regulations from being a Director along with his/her personal details (bio data)duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.psbindia.com)

नामांकन फार्मा को प्रस्तुत करना :

ऐसे शेयरधारक, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त जो बैंक के शेयरधारकों में से चुनाव में भाग लेना चाहते हों, उन्हें निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे-

- प्रारूप (अनुबंध-ए) के अनुसार 'घोषणा पत्र' विधिवत रूप से भरा हुआ व्यक्तिगत जानकारी, विवरण पत्र बायो-डेटा, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (स्व-सत्यापित), अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संलग्न हो
- कम से कम 100 ऐसे शेयरधारकों द्वारा नामांकन जिनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फिट एवं प्रोपर की शर्तों के अनुसार जारी किए गए दिशानिर्देशों प्रारूप (अनुबंध-ए) के अनुसार "उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा वचन पत्र" अन्य आवश्यक संलग्नकों के साथ और;
- बैंक के कम से कम 100 ऐसे शेयरधारक जिनको नामांकन करने का अधिकार हो, द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र, जिसका प्रारूप (अनुबंध-सी) इस सूचना में दिया गया है एक मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "शेयरधारकों के निदेशक हेतु नामांकन" लिखा हो को कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008. को वार्षिक सामान्य बैठक हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 28 जुलाई 2020, दिन मंगलवार को कार्य समाप्ति से पहले या सांय 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

शेयरधारकों और शेयरधारकों के रजिस्ट्रों के निरीक्षण की सूची:

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के विनियमन 64 (शेयर और बैठकें) विनियम 2008 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति बैंक के प्रमुख कार्यालय में 21.07.2020 से 50,000 / - (केवल पचास हजार रुपए) के भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीद के लिए, पंजाब और सिंध बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लागू कर, नई दिल्ली में देय उपलब्ध कराई जाएगी। एक शेयरधारक प्रयोज्य कर के साथ 1000 / - (रुपए एक हजार केवल) के भुगतान पर शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी सीडी) की एक प्रति खरीद सकता है। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की एक कॉपी या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो उसे रु. 5 प्रति प्रत्येक 1000 शब्दों या आंशिक भाग के लिए पूर्व भुगतान पर आपूर्ति की जाएगी।

शेयरधारकों का रजिस्टर सभी कार्य दिवसों (रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, यानी प्रधान कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच।

निदेशकों के नामांकन व चुनाव की संवीक्षा :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए योग्य और उचित दिशानिर्देश दिनांक 02.08.2019 के अनुसार नामांकन की प्राप्ति के लिए बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा 29 जुलाई, 2020 को, नामांकन की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले कार्य दिवस, को जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।

यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हैं, तो नामांकित उम्मीदवार को उसी समय से निर्वाचित माना जाएगा और वो 14 अगस्त, 2020 से पदभार ग्रहण करेगा और उसका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा।। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और कार्यसूची मद संख्या 3 को वापस ले लिया जाएगा।

चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो मतदान के बहुमत वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और वे अगले दिन से पद ग्रहण करेंगे और उसका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा।

यदि कोई विवाद है, तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2008 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

नामांकनों की वापसी :

यदि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह सोमवार 10 अगस्त, 2020 को बैंक के बंद होने से पहले किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा।

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit the following:

- Duly filled in 'Declaration Form' as per format (Annexure-'A') attached along with personal information, testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification(self attested), experience;
- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- "Declaration and Undertaking by Candidate" as per format (Annexure-'B') attached pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat; and
- minimum of 100 Nomination Forms, as per format (Annexure-'C') obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate, in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and super scribed "Nomination for Shareholder Director", to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank , Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, NewDelhi-110008

on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m. on Tuesday, 28 July, 2020 failing which, the nominations are liable to be rejected.

LIST OF SHAREHOLDERS AND INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

To enable the shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 will be made available at the Head office of the Bank, from 21.07.2020 onwards for purchase by shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty thousand only) plus applicable tax by demand draft in favour of Punjab & Sind Bank, payable at New Delhi. A shareholder may purchase a copy of list of shareholders (in electronic form i.e. C.D) on payment of Rs.1000/-(Rupees One thousand only) plus applicable taxes. If any shareholders requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre- payment of at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m at the Head Office.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

Nominations shall be scrutinized by Nomination & Remuneration Committee of the Board on Thursday, the 29th July 2020, the first working day following the date fixed for receipt of the nominations, in terms of the fit and proper Guidelines dated 02.08.2019 issued by the RBI, and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith & they will assume office from August 14, 2020 and his/her name & address shall be published. In such an event there shall not be any election at the meeting and Agenda Item No. 2 shall be withdrawn.

In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to be elected and they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published.

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 05:00 p.m. on Tuesday, August 04, 2020.



शेयर प्रकोष्ठ

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर प्रकोष्ठ की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए निम्न उल्लेखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव ,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

प्रधान कार्यालय, शेयर प्रकोष्ठ,

लेखा व लेखा परीक्षा विभाग,

21 राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल,

नई दिल्ली-110008

दूरभाष: 011-25782926, 25812922

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in.

15. आपके निर्देशक सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों को पारित करने की संस्तुति करते हैं ।

16. बैंक के किसी भी निदेशक को उक्त प्रस्ताव में कोई चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17.07.2020

एस हरिशंकर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance

The Company Secretary,

Punjab & Sind Bank,

Head Office, Shares Cell,

Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, 1st floor,

New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922

E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

15. Your directors recommend passing of the resolutions as mentioned in the Notice.
16. None of the directors of the Bank are concerned or interest in the said resolution.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 17.07.2020

S Harisankar
MD & CEO

निदेशक रिपोर्ट 2019-20

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण :

आर्थिक दृष्टिकोण:

वैश्विक दृष्टिकोण:

आज, हम कोविड-19 महामारी से उत्पन्न खतरे का सामना कर रहे हैं जिसने सामान्य जीवन और आजीविका को बाधित किया है, वैश्विक मंदी को तीव्र किया है और उद्यमशीलता की भावना के विकास हेतु जोर देने के लिए मजबूर किया परंतु जीवन के इस चरण को पार करने का संकल्प संकट के दौरान स्पष्ट होता जा रहा है और यहीं से हमारे विचार उद्गम होते हैं।

विश्व इतिहास में सबसे बड़ी चिकित्सा-सह-आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कोरोनावायरस महामारी के साथ जीवित/जीवित रहने, अर्थात् नई सामान्यता को अपना रहा है। विश्व बैंक के अनुसार "कोविड-19 एक सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक प्रतिकूल आघात है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भारी गिरावट आई है, जबकि उसी समय आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है और व्यापार करने की लागत में वृद्धि हुई है। इस झटके ने वैश्विक व्यापार, यात्रा और पर्यटन, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में तनाव में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया है।

आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट (जून, 2020) के अनुसार, "वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में तेजी से -4.9% और 2021 में वैश्विक विकास दर 5.4% पर अनुमानित है। आरबीआई की मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के अनुसार, "वैश्विक अर्थव्यवस्था नृशंसता मंदी की ओर अग्रसर है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के खुलने/ खुलने के साथ विश्व अर्थव्यवस्था में रिकवरी के ग्रीन शूट्स अपेक्षित है। हम विश्व अर्थव्यवस्था में साल के शेष छमाही में कुछ अच्छी वसूली की उम्मीद कर सकते हैं।"

घरेलू दृष्टिकोण:

आरबीआई की मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में उल्लेख किया गया है कि "मांग संपीड़न और आपूर्ति में व्यवधान का संयुक्त प्रभाव वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा। यह मानते हुए कि आर्थिक गतिविधि चरणबद्ध तरीके से बहाल हो जाती है, विशेष रूप से इस वर्ष की दूसरी छमाही में, और अनुकूल आधार प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि वर्तमान में किए जा रहे राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक उपायों के संयोजन से 2020-21 की दूसरी छमाही में गतिविधि में पुनरुद्धार की क्रमिक स्थिति पैदा होगी।"

हालांकि, महामारी भी देश को आत्म-धारणीय, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर रही है। व्यापक आधार वाले संरचनात्मक सुधारों, व्यापारिक संबंधों, बड़े बंदरगाहों और राजमार्गों जैसे एकीकृत बुनियादी ढांचे, उच्च प्रशिक्षित जनशक्ति, कानून सुधार, शोध व विकास, नवाचार के लिए प्रोत्साहन, व्यवसायों को करने में आसानी और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए इसे और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्रालय, मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट, जून 2020 के अनुसार "जून 2020 में जीएसटी संग्रहण में पिकअप, वास्तविक गतिविधि संकेतक यथा बिजली व ईंधन की खपत, माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही, खुदरा वित्तीय लेनदेन इत्यादि सहित अर्थव्यवस्था में ग्रीन प्ररोह दृश्य हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रीन प्ररोह का उद्भव जैसे ट्रैक्टर की बिक्री, टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग में वृद्धि इत्यादि और अन्य क्षेत्रों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ सीमा तक पुनः प्रवर्तन हो रहा है। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की गति महामारी के नियंत्रण और सामाजिक दूरी/लॉकडाउन के त्वरित चरणबद्धता और संरचनात्मक सुधारों और सहायक सामाजिक कल्याण उपायों के संयोजन पर निर्भर करती है।

बैंकिंग क्षेत्र:

महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी का असर बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि, भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था के अनलॉक किए जाने और उपायों से अर्थव्यवस्था फिर से बनने की राह पर है। महामारी का सामना करने के लिए, हमारे बैंक का ध्यान परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, एनपीए पर अंकुश लगाने और कम लागत वाली जमाओं को जुटाने पर है।

कार्य निष्पादन परिणाम :

कुल व्यापार : दिनांक 31.03.2019 को बैंक के रुपये 1,71,305.07 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2020 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार 1,52,231.75 करोड़ रहा।

DIRECTORS' REPORT 2019-20

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2020.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

Economic Outlook:

Global Outlook:

Today, we are facing the threat posed by the Covid-19 pandemic, which has disrupted normal life and livelihood, accelerated a slowdown worldwide and compelled entrepreneurial spirit to withhold its urge for growth. But the determination to overcome this phase of life is what is becoming clearer amidst the crisis and that is where our thoughts take their origin from.

The World is adopting new normality i.e., surviving/living with the coronavirus pandemic to face the greatest medical-cum-economic crisis in the history. As per World Bank "COVID-19 is the most adverse peacetime shock to the global economy in a century. Demand for goods and services has been severely curtailed, while at the same time supply has fallen sharply, as the number of people working has declined and the cost of doing business has risen. The shock caused unprecedented disruptions to global trade, travel, and tourism; stress in global financial system".

As per IMF World Economic Outlook update (June, 2020), "The global economy is projected to contract sharply by -4.9% in 2020 and in 2021 global growth is projected at 5.4%. As per RBI's Monetary Policy Statement 2020-21, "The global economy is inexorably headed into recession. Green Shoots of recovery are expected in the world economy with the unlocking/opening of the economies around the world. We can expect some good recovery in the world economy in the remaining half of the year".

Domestic Outlook:

RBI's Monetary Policy Statement, 2020-21, mentions that "The combined impact of demand compression and supply disruption will depress economic activity in the first half of the year. Assuming that economic activity gets restored in a phased manner, especially in the second half of this year, and taking into consideration favourable base effects, it is expected that the combination of fiscal, monetary and administrative measures being currently undertaken would create conditions for a gradual revival in activity in the second half of 2020-21."

However, the Pandemic is also creating an opportunity for the country to become self-sustainable, global manufacturing hub and to play a crucial role in the global supply chain. To achieve this further focus on broad-based structural reforms, trading relationships, integrated infrastructure like large ports and highways, highly trained manpower, law reforms, R&D, incentives for innovation, ease of doing businesses and protecting intellectual property is required.

As per the Ministry of Finance, Macro Economic Report, June 2020. "Green shoots are visible in the economy with the pickup in GST collection in June 2020, real activity indicators like electricity and fuel consumption, inter and intra-state movement of goods, retail financial transactions etc"

The emergence of green shoots in the rural economy such as tractor sales, increase in demand for consumer durables etc. and other sectors suggests that revival is happening in the economy to some extent. The pace of the revival of the economy depends on the containment of the pandemic and quick phasing out of social distancing/lockdowns and combination of structural reforms and supportive social welfare measures.

Banking Sector:

The slowdown in the economy due to the pandemic will have an impact on the banking sector too. However, with the unlocking of the economy and measures taken by the Government of India and RBI, the economy is in a path of rebuild. To face the pandemic, focus of our Bank is on quality of assets, curtailing NPAs and mobilizing low cost deposits

WORKING RESULTS:

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2020, total Business of the Bank stood at Rs.1,52,231.75 crore as compared to Rs.1,71,305.07 crore as on 31.03.2019.

लाभ : बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रुपये 543.43 करोड़ के शुद्ध घाटा की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 990.80 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। आस्तियों पर प्रतिफल वर्ष 2018-19 में (-) 0.47% की तुलना में (-) 0.91% रहा।

लाभांश : बोर्ड ने वर्ष 2019-20 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

पूंजी एवं आरक्षितियां : दिनांक 31.03.2019 को बैंक की निवल मालियत रुपये 3652.26 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को रुपये 2917.44 करोड़ रहा।

दिनांक 31.03.2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III) 12.76% है जो कि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% के विरुद्ध है।

जमाएं : 31 मार्च, 2020 को बैंक की कुल जमा राशि रुपये 89667.55 करोड़ रही जो कि दिनांक 31.03.2019 को रुपये 98,557.60 करोड़ था। बैंक का औसत जमा लागत 6.04% रहा जोकि विगत वर्ष 6.01% था।

अग्रिम : दिनांक 31.03.2020 को बैंक का कुल अग्रिम रुपये 62564.20 करोड़ रहा जो कि 31.03.2019 को रुपये 72,747.47 करोड़ था। विगत वर्ष के दौरान 8.61% की तुलना में अग्रिमों में औसत प्रतिफल 8.54% रहा।

वित्तीय समावेशन:

बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदार रहा है। खोले गए खातों की संख्या, कुल खातों के लिए उच्च ऑपरेटिव खाते, जारी किए गए रुपे कार्डों की कुल संख्या और खातों में बनाए एक स्वस्थ औसत संतुलन समावेशी विकास को बढ़ावा देने में बैंक की मजबूत प्रतिबद्धता को इंगित करते हैं।

क. दिनांक 31.03.2020 तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक की स्थिति :

क्र.सं	मापदण्ड	स्थिति
1.	कुल पीएमजेडीवाई खाते	13.24 लाख
2.	सक्रिय पीएमजेडीवाई खाते	11.35 लाख (86%)
3.	कुल रुपे कार्ड जारी किए गए	11.90 लाख (90%)
4.	पीएमजेडीवाई खातों में शेष राशि	644 करोड़
5.	खातों में औसत शेष	रु. 4860/-
6.	खातों में स्वीकृत ओवर ड्राफ्ट की संख्या	59040
7.	ओवरड्राफ्ट के तहत स्वीकृत राशि	8.53 करोड़
8.	शून्य शेष खातों की संख्या	18426 (1.4%)

ख. व्यक्तिगत बैंक मित्र मॉडल:

बैंक ने 11 राज्यों में कुल 353 बैंक मित्र नियुक्त किए हैं। उनके संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने में बैंक के 19 क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं जहां ईट और मोटर शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं। बैंक ने व्यक्तिगत बीसी मॉडल अंगीकार किया है। बीसी मूलभूत बैंककारी सेवाएं देती हैं जैसे खाता खोलना, जमा/आहरण एवं निधि अंतरण (अंतरपरिचालन), बैलेंस पूछताछ एवं संक्षिप्त विवरणी, जीसीसी/केसीसी बनवाना, सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना, विभिन्न माईक्रो बीमा योजनाओं (पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई) के साथ पेंशन योजनाएं और शाखाओं को अनर्जक खातों/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों आदि की वसूली करना भी है।

बैंक मित्रों का कार्य निष्पादन :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
बैंक मित्रों द्वारा लाया गया कुल व्यवसाय	382करोड़	385करोड़
माईक्रो एटीएम पर की गई लेनदेन की संख्या	10.34लाख	11.28लाख
कुल खोले गए सावधि/आवर्ती जमा खाते	9809	10149
कुल लाई गई जमा राशि	266करोड़	250करोड़
कुल खोले गए के सीसी खाते तथा संचित राशि	2760 97.06 करोड़	2989 104करोड़
कुल खोले गए जीसीसी खाते तथा संचित राशि	145 2.47करोड़	316 6.96करोड़
अनर्जक खातों की संख्या तथा वसूली गई राशि	3083 16.86 करोड़	2883 25.15करोड़

PROFIT: The Bank recorded a Net Loss of Rs.990.80 crore for the year 2019-20 as compared to Net Loss of Rs.543.48 crore during the FY 2018-19. The Return on Assets (ROA) stood at (-) 0.91% as compared to that at (-) 0.47% in the year 2018-19.

DIVIDEND: The Board has not recommended any dividend for the year 2019-20.

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs.2917.44 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs.3652.26 crore as on 31.03.2019.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 12.76% as on 31.03.2020 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.

DEPOSITS: The total deposits of the Bank stood at Rs.89667.55 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs. 98,557.60 crore as on 31.03.2019. The average cost of deposits of the bank stood at 6.04% as compared to 6.01% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs.62564.20 crore as on 31.03.2020 as compared to Rs. 72,747.47 crore as on 31.03.2019. The average yield on Advances stood at 8.54% as compared to 8.61% during the last year.

FINANCIAL INCLUSION:

The Bank has been an active participant in promoting Financial Inclusion. The number of accounts opened, high operative accounts to total accounts, total number of Rupay cards issued and a healthy average balance maintained in the accounts point out to the strong commitment of the Bank in fostering inclusive growth.

A. Bank's Status under PMJDY as on 31.03.2020:

Sl No.	Parameter	Status
1.	Total PMJDY A/Cs	13.24 lac
2.	Operative PMJDY Accounts	11.35 lac (86%)
3.	Total Rupay Cards Issued	11.90 lac (90%)
4.	Balance held in the PMJDY accounts	644 Cr
5.	Average Balance in the the accounts	Rs. 4860/-
6.	Number of Over Drafts Sanctioned in the accounts	59040
7.	Amount Sanctioned under the overdraft	8.53 Cr.
8.	Number of Zero balance accounts	18426 (1.4%)

B. Individual Bank Mitra Model:

Bank has appointed a total of 353 Bank Mitrs in 11 states. Their operations cover the jurisdiction of 19 Zones of the Bank in providing Banking Services to rural areas where brick & mortar branches are not available. Bank has adopted individual BC Model. BCs provide basic Banking services like A/C opening, Deposit/ Withdrawal & Fund Transfer (interoperable), Balance Enquiry & Mini Statement, sourcing of GCC/KCC, FD/RD opening, sourcing of various micro insurance schemes (PMJJBY, PMSBY) along with pension schemes (APY) & helping Branches in recovery of NPA/TWO accounts etc.

Performance of Bank Mitrs:

Particulars	FY 2018-19	FY 2019-20
Total Business brought by Bank Mitrs	382 Cr	385 Cr
Total No of Transactions done on Micro ATMs	10.34 lac	11.28 Lac
Total FD/RD Accounts opened	9809	10149
Total Deposit brought	266 Cr	250 Cr
No of KCC opened	2760	2898
Amount disbursed	97.06 Cr	104 Cr
No of GCC opened	145	316
Amount disbursed	2.47 Cr	6.96 Cr
No of Accounts with NPA Recovery	3083	2883
Amount Recovered	16.86 Cr	25.15 Cr

ग. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

जून 2019 में वित्तीय समावेशन में उपलब्धि के लिए बैंक को "एसकेओसीएच" समूह द्वारा सम्मानित किया गया।

विपणन, बीमा और सरकारी व्यवसाय :

विपणन और बीमा विभाग की उपलब्धि :

- निम्नलिखित दो बीमा कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के माध्यम से बैंक जीवन बीमा व्यवसाय का अनुरोध कर रहा है:
- एसबीआई जीवन बीमा कंपनी
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- बैंक ने ग्राहकों को सामान्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश के लिए निम्नलिखित कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश करके उत्पाद श्रृंखला को विस्तृत किया है-
 - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 - न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 - बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय सरकारी व्यवसाय विभाग की उपलब्धि :

- बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 में 1,38,529 ग्राहकों की तुलना में वित्तवर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 1,85,324 ग्राहकों को नामांकित किया है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 में 41,700 ग्राहकों की तुलना में वित्तवर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 57,289 ग्राहकों को नामांकित किया है।
- वित्त वर्ष 2018-19 में 38,797 ग्राहकों की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 50,888 ग्राहकों को नामांकित किया है। बैंक पीएफआरडीए द्वारा आयोजित प्रत्येक अटल पेंशन योजना अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- बैंक को वर्ष 2019-20 के लिए के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एपीवाई गठन दिवस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

- लघु और सीमांत किसानों के लिए बैंक की अग्रिम राशि दिनांक 31.03.2020 को समायोजित निवल बैंक ऋण के 8.00% के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 6246 करोड़ (समायोजित निवल बैंक ऋण का 8.30%) था।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रुपये 1200 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 1102 करोड़ रुपये के अग्रिम किए हैं जो लक्ष्य के मुकाबले 91.83% हैं।
- बैंक ने 31.03.2020 को 2.26 लाख (98.23%) खातों में से कुल ऑपरेटिव केसीसी खातों में से 2.22 लाख केसीसी खातों में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।
- लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए पंजाब और हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर बैंक के 17 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसीएस) हैं। एफएलसी काउंसलर्स द्वारा 2019-20 के दौरान कुल 1349 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 52720 लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और बेसिक बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें।
- कमजोर वर्गों के लिए बैंक का उधार रु 7564 का है जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 10% के लक्ष्य के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 10.04% प्राप्त हुआ।

प्राथमिकता क्षेत्र में नई पहल :

- बैंक ने बागवानी के विकास के वित्त पोषण के लिए उत्पाद पीएसबी उद्यान पेश किया है।
- बैंक ने पीएसबी खाद्यान सुरक्षा पेश किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयर हाउस रसीदों के खिलाफ वित्त-पोषण के लिए एक योजना है।

C. Awards & Achievement:

The bank was awarded by 'SKOCH Group' for achievement in Financial Inclusion in June'2019.

MARKETING, INSURANCE AND GOVERNMENT BUSINESS:

Achievement of Marketing & Insurance Department:

- Bank offers life insurance policies by way of corporate agency arrangement with following two insurance company:
- SBILIFE insurance company
- LIC of India.
- Bank has widened the product range by entering into Corporate agency arrangement with the following companies for offering General Insurance policies to customers :
 - I. Oriental Insurance Company Limited
 - II. New India Assurance Company Limited
 - III. Bajaj Allianz General Insurance Company Limited

Achievement of HO Government Business Department:

- Bank has enrolled/sourced **1,85,324** customers under **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)** for the FY 2019-20 against **1,38,529** customers in the FY 2018-19.
- Bank has enrolled/sourced **57,289** customers under **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)** for the FY 2019-20 against **41,700** customers in the FY 2018-19.
- Bank has enrolled/sourced **50,888** customers under **Atal Pension Yojana (APY)** for the FY 2019-20 against **38,797** customers in the FY 2018-19. The Bank actively participates in every APY Campaign organized by PFRDA.
- Bank has been awarded as the best performer in the APY Formation Day campaign among Public Sector Banks for the year 2019-20.

PRIORITY SECTOR ADVANCES:

- Bank's advance to Small & Marginal Farmers stood at Rs.6246 Crore (8.30% of Adjusted Net Bank Credit) as on 31.03.2020 against the target of 8.00% of Adjusted Net Bank Credit
- Bank made advances to the tune of Rs. 1102 Crore against the target of Rs. 1200 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 91.83% against the target.
- Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.22 lac KCC accounts out of the total operative KCC accounts of 2.26 lac (98.23%) as on 31.03.2020
- Bank has 17 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab & Haryana to spread financial literacy among people. **A total of 1349 camps have been organized during the 2019-20 by FLC Counsellors wherein 52720 people** actively participated and were sensitized about Basic Banking Services, so that they are able to avail banking services according to their requirements.
- Bank's lending to weaker sections stood at Rs.7564 crore achieving 10.04% of Adjusted Net Bank Credit as against a target of 10% of Adjusted Net Bank Credit

New Initiatives in Priority Sector:

- Bank has introduced PSB UDYAN, a product for financing development of Horticulture.
- Bank has introduced PSB KHADYAN SURAKSHA, a scheme for financing against Electronic negotiable Warehouse Receipts.

- बैंक ने पीएसबी कृषि मित्र योजना, कमीशन एजेंटों, एग्री इनपुट डीलर्स / डिस्ट्रीब्यूटर्स को वित्त देने हेतु शुरू की है।
- संबंध अधिकारी मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों और एमएसएमई ग्राहकों के लिए इन शाखाओं में से प्रत्येक पर बनाए गए विशेष हेल्प डेस्क की देखभाल करने के लिए 144 विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं में काम कर रहे हैं।
- बैंक ने क्लस्टर आधारित वित्तपोषण को अपनाया है। हमारे पास 268 एमएसएमई समूहों में 803 शाखाएँ हैं, 156 एमएसएमई समूहों में 71 विशिष्ट शाखाएँ हैं। बैंक की 73 खाद्य और कृषि प्रसंस्करण समूहों में उपस्थिति है।
- बैंक ने छोटे एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को जुटाने के लिए 59 मिनट पोर्टल में पीएसबी ऋण पर मुद्रा उत्पाद बनाया है।

खुदरा ऋण :

- 31.03.2020 को बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो रुपये 16552 करोड़ है और इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में खुदरा ऋण में 6.00% की वृद्धि दर्ज की गई है। (रुपये 15615 करोड़)
- 31.03.2020 तक सकल अग्रिमों (62578 करोड़ रु.) में खुदरा ऋण (16552 करोड़ रुपये) का प्रतिशत 26.45% था।
- बैंक ने एलओएस के माध्यम से ऋण प्रस्तावों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए सन्मार्ग (केंद्रीय एमएसएमई और खुदरा समूह) को लॉन्च किया है। वर्तमान में सन्मार्ग चयनित मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं (697) से प्रेषित ऋण पीएसबी अपना घर, पीएसबी अपना वाहन, और शिक्षा ऋण प्रस्तावों को प्रसंस्करण कर रहा है।
- बैंक ने खुदरा ऋण उत्पादों को तर्कसंगत बनाने के लिए उन्हें अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाया है। आवास खंड में अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए, बैंक ने पीएसबी अपना घर का दायरा बढ़ाते हुए प्रति परिवार 5वीं आवासीय इकाई तक कर दिया है। 3 से 5 वें आवासीय इकाई के ऋण जोखिम को वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) ऋण जोखिम के रूप में माना जाएगा।
- पीएसबी उत्सव माला अभियान (09.09.2019 से 31.03.2020) के तहत खुदरा उत्पादों पीएसबी अपना घर, पीएसबी अपना वाहन और पीएसबी व्यापार को कवर करते हुए 1445 करोड़ रुपया के नए ऋण आबंटन किया है।
- बैंक ने शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने और अभियान अवधि के दौरान अधिक खुदरा उधार व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक प्रेरक अभियान के रूप में पीएसबी परफार्मर लीग (पीपीएल) को भी लॉन्च किया है।

आस्ति गुणवत्ता

एनपीए नियंत्रित करने के लिए बैंक ने विधिक उपायों एवं बातचीत आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों पर वसूली शिविरों का आयोजन तथा ई-बिक्री पोर्टल की सहायता से नीलामी भी की है। वसूली के लिए किए गए आक्रामक व केंद्रित प्रयास के फलस्वरूप रुपये 275.53 करोड़ की तकनीकी रूप से बट्टे खातों में डाली गई राशि सहित कुल रुपये 943.33 करोड़ की वसूली की जा सकी है।

बैंक ने नए अनर्जक खातों में वृद्धि को रोकने के लिए यथा संभव प्रयास किए हैं। गिरावट में परिणामी वृद्धि एनबीएफसी क्षेत्र में मंदी के कारण है। परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2020 को सकल एनपीए तथा निवल एनपीए क्रमशः रुपये 8874.57 करोड़ व रुपये 4684.15 करोड़ रहे जो दिनांक 31.03.2019 को रुपये 8605.87 करोड़ व रुपये 4994.23 करोड़ थे।

विगत वर्ष की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को सकल एनपीए और निवल एनपीए की स्थिति इस प्रकार है:

एनपीए	दिनांक 31.03.2019 को		दिनांक 31.03.2020 को	
सकल एनपीए	8605.87	11.83%	8874.57	14.18%
निवल एनपीए	4994.23	7.22%	4684.15	8.03%

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हुई प्रगति

बैंक ने रुपये 2000.00 करोड़ (वर्ष के दौरान नए एनपीए से वसूली सहित) के लक्ष्य के विरुद्ध कुल रुपये 1987 करोड़ राशि की वसूली की है। इस वसूली में रुपये 200.00 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध तकनीकी रूप से बट्टे में डाले गए खातों में रुपये 275.53 करोड़ की वसूली शामिल है।

- Bank has launched PSB KRISHAK MITRA, a scheme to finance commission agents, Agri Input Dealers / Distributors.
- Relationship Officers are working in 144 specialized MSME branches to take care of various financial needs of existing MSME Customers and special helpdesk created at each of these branches for MSME Customers.
- Bank has adopted cluster-based Financing. We have 803 Branches in 268 MSME clusters and 71 Specialized Branches in 156 MSME clusters. Bank has presence in 73 Food and Agro Processing Clusters.
- Bank has created MUDRA product on PSB loans in 59 minutes portal for mobilizing small MSME loan proposals.

RETAIL LENDING:

- The Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2020 stands at Rs 16552 Crore and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 6.00 % over the previous year (Rs15615 Crore).
- The percentage of Retail credit (Rs 16552 Cr) to Gross Advances (Rs 62578 Cr) was 26.45% as on 31.03.2020.
- The Bank has launched CenMARG (Centralized MSME And Retail Group) for centralized processing of loan proposals through Loan Origination Software. At present, CenMARG is processing loan proposals of Home loans (PSB Apna Ghar), Vehicle loans (PSB Apna Vahan) and Education Loans originating from selected 697 branches from all Metro and Urban centres and selected Semi-Urban & Rural Centres.
- The Bank has rationalized the Retail Lending products to make them more attractive and competitive. In order to generate more business in housing segment, the Bank has expanded the scope of PSB Apna Ghar upto 5th dwelling unit per family. Exposure to 3rd to 5th dwelling unit will be treated as Commercial Real Estate (CRE) exposure.
- Under PSB Utsav Mala Campaign (09.09.2019 to 31.03.2020) covering the Retail products viz. PSB Apna Ghar, PSB Apna Vahan and PSB Vyapar the Bank has sanctioned fresh loans to the tune of Rs. 1445 crore.
- The Bank has also launched PSB Performers' League (PPL) as a motivational campaign to create competitive environment amongst branches and to generate more Retail Lending business during the campaign period.

ASSET QUALITY:

The bank made significant efforts to contain NPAs by employing all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The Bank has also organized Recovery Camps and Auctions using the e-bikrey portal, during the year. The focused efforts resulted in the total recovery of over Rs.943.33 Cr during the year including recovery of Rs.275.53 Cr in Technically Written Off.

Bank has made earnest efforts to contain the fresh slippage. The resulting increase in the slippage is due to the meltdown of the NBFC sector. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31-03-2020 stood at Rs 8874.57 Cr and Rs 4684.15 Cr respectively against Rs 8605.87 Cr and 4994.23 Cr as on **31-03-2019**.

The position of Gross and Net NPAs as on 31-03-2020 vis-à-vis previous year is as under;

NPA	As on 31-03-2019		As on 31-03-2020	
Gross NPA	8605.87	11.83%	8874.57	14.18%
Net NPA	4994.23	7.22%	4684.15	8.03%

Progress made in the FY 2019-20

The Bank has made total recovery amounting to Rs.1987 Crore against the target of Rs.2000.00 Crore (Including recovery out of fresh NPA during the year). This amount includes recovery of Rs.275.53 Crore in Technically Written Off accounts against a target of Rs.200.00 Crore

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल (सेमवर्ट) :

रुपये 25 करोड़ व उससे अधिक की समस्त दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए सेमवर्ट स्थापित किया गया है। वर्टिकल की परिधि इस प्रकार है :

- i) विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) : रुपये 25.00 करोड़ व उससे ऊपर के बकाया शेष वाले एसएमए - 1 व 2 खातों की निगरानी के लिए।
- ii) एनपीए/टीडब्ल्यूओ खाते : सुनिश्चित करता है कि सरफेसी अधिनियम/डीआरटी अधिनियम/दिवाला और दिवालियापन संहिता आदि के अंतर्गत समय पर कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रगति हुई :

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, सेमवर्ट ने रुपये 310.17 करोड़ की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें तकनीकी रूप से बट्टे में डाले गए खातों में रुपये 133.62 करोड़ की वसूली शामिल है।

ऋण निगरानी

प्रधान कार्यालय पर रुपये 25 लाख से अधिक तथा आंचलिक कार्यालयों पर रुपये 25 लाख तक के ऋण जोखिम के लिए पृथक नियंत्रण कक्षों सहित विभाग ने बड़े खातों की उचित तथा प्रभावशाली निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष, निरंतर आधार पर अंचलों तथा शाखाओं के साथ नजदीकी से अनुपरीक्षण करता है जिससे एसएमए के प्रभावी प्रबंधन तथा गिरावट का निवारण हो सके।

विभाग ने समुचित सावधानी में वृद्धि के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिविल व इक्विफेक्स के साथ गठबंधन किया है। स्वचालन की सहायता से पूंजी संरक्षण लाने के अतिरिक्त आसान रिपोर्टिंग और राजस्व क्षरण पर प्रभावी जांच के लिए अनेक कार्यक्षमताओं का विकास किया गया है।

कोष व विदेशी विनिमय :

- 31 मार्च, 2020 को बैंक का सकल निवेश रुपये 24946.38 करोड़ था जिसमें बैंक की आवश्यकताओं, जोखिम बोध के अनुरूप तथा निवेश नीति के अनुसार संविभाग था।
- बैंक ने मार्च 2019 में जी-सेक और नॉन एसएलआर प्रतिभूतियों में सक्रिय ट्रेडिंग और मोचन के द्वारा रूपए 358.36 करोड़ के लाभ से ऊपर 12.97% की वृद्धि के साथ प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन द्वारा रु 404.83 करोड़ का उच्चतम लाभ कमाया।
- विदेशी मुद्रा विभाग का कुल लाभ रूपए 28.28 करोड़ है और वर्ष 2019-20 के लिए डीलिंग रूम विनिमय लाभ रूपये 17.62 करोड़ है।

जोखिम प्रबंधन :

पूंजी के इष्टतम उपयोग हेतु बैंक के जोखिम-भारित आस्तियों को कम करने के क्रम में जोखिम-वहन क्षमता आधारित बजट को प्रस्तुत किया गया था।

जोखिम संस्कृति को सुधारने और संभावित जोखिमों का पता लगाने व उसे कम करने के लिए ढाँचों के पुनर्निर्माण, नीतियों, प्रक्रियाओं व उपकरणों को उन्नत करने के लिए बैंक ने व्यापक स्तर पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। यह कार्यनीति व्यापार पर जोखिम आधारित दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम की रोकथाम, विस्तारित केआरआईएस के माध्यम से निगरानी तथा सतत जोखिम जागरूकता निर्माण अभ्यास के लिए था।

बैंक की आरडब्ल्यूए (जोखिम-भारित आस्तियां) की स्थिति इस प्रकार है : (राशि करोड़ में)

	मार्च 19	वित्तीय वर्ष 2019-20			
		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4
क्रेडिट जोखिम-भारित आस्तियां	47441	47411	46306	45232	39494
बाजार जोखिम-भारित आस्तियां	6153	5910	6499	6623	5809
परिचालन जोखिम-भारित आस्तियां	4990	4990	4990	4990	4836
कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	58584	58311	57795	56845	50139
सीआरएआर स्थिति (%)	10.93	11.35	11.68	12.04	12.76

STRESSED ASSET MANAGEMENT VERTICAL (SAMverT):

SAMverT has been set up for management of all stressed assets of Rs.25 Crore and above. The scope of the vertical is as follows:

- i. **Special Mention Accounts (SMA)** -To monitor the SMA - 1 & 2 accounts having Balance Outstanding amount Rs.25.00 Crores and above.
- ii. **NPA/TWO accounts** – Ensures that timely action is taken under SARFAESI Act/ RDDB Act/ Insolvency & Bankruptcy Code etc.

Progress made in the FY 2019-20

In the financial year 2019-20, the SAMVert has been instrumental in recovery amounting to Rs.310.17 Crores which includes recovery of Rs.133.62 Crores in Technically Written Off accounts.

CREDIT MONITORING:

The Department has already set up a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts, with exposure above Rs.25 Lac at HO and accounts up to Rs.25 Lac by separate Control Rooms at Zonal Offices. The Control Room maintains close follow-up with the zones and branches on an ongoing basis so that there is an effective management of SMA and prevention of slippage.

The Department has entered into tie-up with Credit Information Companies like CIBIL and Equifax for enhanced Due diligence. Various functionalities have been developed for easy reporting and having an effective check on revenue leakage besides bringing about Capital Conservation with the help of automation.

TREASURY & FOREIGN EXCHANGE:

- The Bank's gross investment as on 31.03.2020 was Rs.24946.38 Cr with a portfolio consistent with Bank's requirement, risk perception and in accordance with the investment policy.
- Bank made the highest ever profit of Rs.404.83 Cr on sale/redemption of securities with an increase of 12.97% over March 2019 profit of Rs.358.36 crores on account of active trading and redemption in G-Sec and Non SLR securities.
- The total profit of the Foreign exchange department is Rs.28.28 crores and dealing room exchange profit for the year 2019-20 is Rs.17.62 crores

RISK MANAGEMENT:

Risk appetite based budgeting was introduced in order to reduce the Risk Weighted Assets of the Bank for optimal utilisation of Capital.

Bank launched extensive range of training programmes to improve Risk Culture and redesigned frameworks, policies, procedures and instruments to detect and mitigate potential risks. The strategy was to have risk-based outlook on business, containment of operational risk, monitoring through expanded KRIs and a continuous Risk awareness building exercise.

RWAs (Risk Weighted Assets) position of the bank is as under: (Amt in Cr)

	Mar' 19	FY 2019-20			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Credit Risk Weighted Assets	47441	47411	46306	45232	39494
Market Risk Weighted Assets	6153	5910	6499	6623	5809
Operational Risk Weighted Assets	4990	4990	4990	4990	4836
Total Risk Weighted Assets (RWA)	58584	58311	57795	56845	50139
CRAR Position (%)	10.93	11.35	11.68	12.04	12.76

मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2020 तक कैडर के अनुसार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:

संवर्ग	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020
अधिकारी	6293	6471
लिपिक	2292	2084
अधीनस्थ स्टाफ	363	307
कुल	8948	8862

रोजगार में महिलाएं : 31.03.2020 को हमारे कुल 8862 स्टाफ सदस्यों में से 2558 महिलाएं हैं जो कुल योग का 28.86% हैं। बैंक ने अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनके करियर के विकास की योजना के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं। प्र. का. में मा.सं.वि महिला सेल बैंक के महिला कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया/सुझाव, अनुरोध और शिकायत/परिवेदना को देखती है।

पदोन्नतियां : बैंक प्रत्येक वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के अपने कर्मचारियों को उनके श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कृत करने तथा उच्च जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए नियमित पदोन्नति दे रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान निम्न पदोन्नतियां की गई है :

से पदोन्नतियां	डीजीएम से जीएम	एजीएम से डीजीएम	सीएम से एजीएम	एसआरएम से सीएम	प्रबंधक से वरि.प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक
कुल	0	12	27	95	157	318	293	0

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने अपने 50% कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। इसे ध्यान में रखते हुए स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, दिल्ली तथा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट (निब्सकॉम) के साथ पंजाब नैशनल बैंक (पूर्व में अरिस्टल बैंक ऑफ कॉमर्स), द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और नैनीताल बैंक लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित, सामान्य बैंकिंग और कंप्यूटर ज्ञान में 216 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक विभिन्न क्षेत्रों में एक बाह्य एजेंसी मेसर्स जेआईएमएस रोहिणी (133 सहभागियों की उपस्थिति के साथ 3 बैच) के साथ सहयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, अंचल कार्यालयों में 101 स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न संवर्गों के 2933 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शीर्ष स्तर इंस्टीट्यूट (एमडीआई गुडगांव, आईआईएम कोलकाता और स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता की तरह) पर 351 अधिकारियों / अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

योग्यता मानचित्रण और रणनीतिक सोच और नेतृत्व विकास कार्यक्रम: इस वित्त वर्ष में हमारे बैंक ने 127 कार्यकारियों (उप महाप्रबंधक-127, सहायक महाप्रबंधक-58 और मुख्य प्रबंधक-59) के लिए 4 बैच योग्यता मानचित्रण कार्यक्रम (TISS-SVE मुंबई द्वारा) आयोजित किया था। इसके अलावा, एमडीआई गुडगांव में रणनीतिक सोच और नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 79 अधिकारियों (उप महाप्रबंधक - 21 एवं सहायक महाप्रबंधक -58) ने भाग लिया।

नौकरी परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता: बैंक ने 11 (संशोधित) नौकरी परिवारों की पहचान करके जॉब परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता शुरू की है जिसमें स्टाफ सदस्यों से विकल्प मांगे गए थे। पहचान किए गए और चुने गए स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और तदनुसार प्लेसमेंट के लिए विचार किया जा रहा है। बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों को अपने पहले से परिभाषित 7 जॉब फैमिली में जोड़ा है :

1. खुदरा बैंकिंग
2. निरीक्षण और लेखा परीक्षा
3. मानव संसाधन
4. अनुपालन

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीआई) के साथ समझौता ज्ञापन : दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के प्रयास में बैंक ने सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीआई), एसबीआई फाउंडेशन- भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर शाखा के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। इस वर्ष बैंक ने दिव्यांगजनों (स्टाफ सदस्यों) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के 2 बैच संचालित किए हैं।

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2020 is as under:

Category	31 st March 2019	31 st March 2020
Officers	6293	6471
Clerks	2292	2084
Sub-staff	363	307
Total	8948	8862

Women in employment: Out of the total strength of 8862 as on 31.03.2020, the women employees are 2558 constituting 28.86% of the total strength. The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank.

Promotions: Bank is regularly promoting its employees almost in all the cadres every year to keep on rewarding its top performers and enabling them to assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year 2019-20:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF	SUBSTF to CLK
Total	0	12	27	95	157	318	293	0

Training & Human Resources Development:

With a commitment to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2019-20, Bank conducted 216 programmes in General Banking & Computer skills at Bank's Staff Training College, Delhi and the National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM), jointly sponsored by the Bank along with Punjab National Bank (earlier Oriental Bank of Commerce), The Jammu & Kashmir Bank Ltd., and the Nainital Bank Ltd., 101 Locational Trainings were also conducted at Zonal Offices, in addition to a collaborative programme with an external agency, M/s JIMS Rohini (3 Batches with attendance of 133 participants) in various fields from 1st April 2019 to 31st March 2020, in which training was imparted to 2933 employees of different cadres. 351 Officers/Executives were imparted training at Apex Level Institutes (like the MDI Gurgaon, IIM Kolkata and State Bank Institute of Management, Kolkata).

Competency Mapping & Strategic Thinking and Leadership Development Programme: This FY our bank had conducted 4 Batches of Competency Mapping programme (by TISS-SVE Mumbai) for 127 Executives (DGMs-127, AGMs-58 & CMs-59). Also, Strategic Thinking & Leadership Development programme was conducted at MDI Gurgaon which was attended by 79 Executives (DGMs- 21 & AGMs-58).

Specialization Through Job Families: Bank has introduced specialization through Job families by identifying 11 (Revised) job families in which options were sought from staff members. Identified and shortlisted staff members were imparted training and accordingly are being considered for placement. Bank has added the following areas to its earlier defined 7 Job families:

1. Retail Banking
2. Inspection and Audit
3. Human Resources
4. Compliance

MoU with Centre of Excellence (CoE): In an effort to empower Persons with Disabilities, Bank has executed **MoU with Centre of Excellence (CoE), SBI Foundation**- the CSR arm of the State Bank of India. This year bank has conducted 2 batches of special training programme for Divyangjans (staff members).

वरिष्ठ प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण (प्रोजेक्ट प्रगति और प्रोजेक्ट लीड): बैंक स्केल IV और इसके ऊपर के संस्करण में अवशिष्ट सेवा, अनुभव, प्रदर्शन, योग्यता, व्याज और शैक्षिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट शीर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। बैंक ने सहायक महाप्रबंधक ग्रेड और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए "तीन-चरण प्रशिक्षण" की परिकल्पना की है। ध्यान 3 स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर है:

- I. रणनीतिक सोच और नेतृत्व योग्यता का विकास
- II. कार्य क्षेत्र के तत्काल क्षेत्र में कौशल विकास
- III. उनके रुचि के क्षेत्र में पार्श्व विशेषज्ञता

औद्योगिक संबंध : बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार एवं अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास तथा अन्य विषयों पर प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श में सहभागिता की और उनको सुलझाने के प्रयास किए गए।

आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को रोजगार : बैंक, जहां कहीं भी आवश्यकता हो, भर्तियों में पदों के आरक्षण के लिए आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

एससी / एसटी कर्मचारियों की संख्या 31.03.2020 पर क्रमशः 1880 और 585 थी। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	एक्स-एसएम	पीडब्ल्यूडी
अधिकारी	1265	501	1561	60	214
क्लर्क	498	70	524	187	54
अधीनस्थ कर्मचारी	117	14	22	21	6
कुल	1880	585	2107	268	274

कोरोना महामारी पहल : बैंक ने स्टाफ सदस्यों को विभिन्न छूट प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन चरण के दौरान कार्यालय में आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं।

दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति: दिव्यांगजन व्यक्ति अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कार्य वातावरण दिव्यांगजन के खिलाफ किसी भी भेदभाव से मुक्त हो।

बैंक की हॉकी टीम का प्रदर्शन : हमारे बैंक में दो टीम (हॉकी इंडिया से सबद्व सीनियर मेंस हॉकी टीम तथा एक जूनियर हॉकी अकादमी) हैं तथा वे उनके संबंधित श्रेणियों के सभी बड़े प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

जनसंपर्क तथा प्रचार :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने जन-समुदाय के मध्य अच्छी छवि बनाने के लिए एक मल्टी-मीडिया नीति अपनाई है। समुचित उपयोग और प्रभावी नियंत्रण तय करने के लिए प्रचार बजट को केंद्रीकृत किया गया था।

बैंक के 112 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर, बैंक के संस्थापना स्थान, अमृतसर में प्रचार और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दिन की स्मृति में, सभी शाखाओं और अंचल कार्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर, बैंक ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की। सिख विरासत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक चित्रों को चित्रित करते हुए, गुरुद्वारा बंगला साहिब, नई दिल्ली में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

सतर्कता:

निवारक सतर्कता

बैंक का ध्येय सुरक्षा के साथ व्यावसायिक विकास के लिए एक सुरक्षित और निडर कार्य वातावरण का निर्माण करना है। इसे एक मजबूत निवारक सतर्कता स्थापित करने के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (डब्ल्यूबीपी) को प्रचारित करने और सभी संबंधितों के मध्य प्रचलित करने के लिए इसे सभी प्रमुख स्थानों जैसे बैंक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। स्टाफ सदस्यों को डब्ल्यूबीपी के अंतर्गत अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यदि उनके विचार में इसकी आवश्यकता होती है।

Capacity Building for Senior Management Functionaries (Project Pragati & Project LEAD): Bank is imparting specialized apex training programmes to Scale IV & above who are identified based on residual service, experience, performance, aptitude, interest and educational qualifications. The Bank has envisaged a “three-phase training” for Executives of Assistant General Manager grade and above. The Focus is on imparting training vis-à-vis 3 levels i.e:

- I. Development of Strategic Thinking and Leadership Qualities
- II. Skill development in the immediate area of functioning
- III. Lateral specialization in their area of interest

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workmen and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same.

Employment to Reserved Category Employees: The Bank implements all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments/promotions wherever required.

The Cadre wise staff strength of reserved category employees (SC/ST/OBC etc) as on 31.03.2020 is as under:

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1265	501	1561	60	214
CLERKS	498	70	524	187	54
SUB-STAFF	117	14	22	21	6
TOTAL	1880	585	2107	268	274

Corona Pandemic Initiatives: Bank has provided various relaxations/incentives to staff members who are coming and attending the office during the lockdown phase in accordance with directions given by Ministry of Home Affairs, GoI and State Government.

Equal Opportunity Policy for Divyangjan: In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan.

Performance of Bank's Hockey Team: Our Bank is having two teams (Senior Men's Hockey Team, affiliated with Hockey India and one Junior Hockey Academy) and they are performing well in all the major events of their respective categories.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During FY 2019-20, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in public. The Publicity Budget was centralized to decide proper utilization and effective control.

On the occasion of 112th Foundation Day celebration of the Bank, Promotional and cultural activities were organised at Amritsar, the founding place of the Bank. To commemorate the day, Blood Donation Camps were organized across all branches and Zonal offices.

On the occasion of 550th Birth Anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji, Bank arranged facilities for pilgrims. Painting Exhibition was held at Gurdwara Bangla Sahib, New Delhi, depicting the cultural, religious and historical paintings on Sikh heritage.

VIGILANCE:

PREVENTIVE VIGILANCE

Focus of the Bank is to create a safe & fearless work environment conducive to business growth with safety. This is envisaged to be achieved through putting in place a robust Preventive Vigilance Set up. Whistle Blower Policy (WBP) has been made available at all prominent places such as Bank's portal to publicize it and make it popular among all concerned. Staff members are encouraged to lodge their concern under WBP if the need arises in their view.

बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मौजूदा संदर्भों/दिशानिर्देशों का पालन करता रहा है। तदनुसार, इन दिशानिर्देशों को संबंधित अधिकारियों के बीच प्रसारित किया गया है जो विभिन्न स्तरों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं।

इस वर्ष (2019-20) केंद्रीय थीम "ईमानदारी-एक जीवन शैली" पर 28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) की इस अवधि के दौरान बैंक ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें बड़े पैमाने पर आम जनता की सकारात्मक भागीदारी रही। स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता, ई-रिक्शा रैली, वॉकथॉन, बाइक रैली, रोड शो, साइक्लेथॉन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, प्रमुख बस स्टेशनों/डिपो में मीडिया (एफएमरेडियो, एलईडी, ऑडियो/विडियो) के माध्यम से जागरूकता, मॉर्निंग वॉक, मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता, वक्तृत्व प्रतियोगिता तथा गायन प्रतियोगिता इत्यादि सहित विभिन्न स्थानों पर अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर नुककड नाटक विशेष रूप से आयोजित किए गए। बैंक के प्रत्येक अंचल कार्यालय द्वारा विभिन्न रैलियों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, बैंककर्मचारियों और आम लोगों ने सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने और हमारे दैनिक जीवन में ईमानदारी को एकीकृत करने के लिए सहभागिता की।

सप्ताह के दौरान 233 ग्राम सभाओं, स्कूलों में 585 कार्यक्रम, कॉलेजों में 117 कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्टाफ सदस्यों/ बैंक के ग्राहकों/ सामान्य नागरिक को बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध यूआरएल के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमारे बैंक ने स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, रोहिणी, दिल्ली में दिनांक 01.11.2019 को मुख्य समारोह आयोजित किया जिसमें शीर्ष प्रबंधन तथा समाज के एक वर्ग से आमंत्रितगणों ने सहभागिता की।

राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष 2019-20 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। इस वर्ष हमारे बैंक की हिंदी पत्रिका राजभाषा अंकुर तथा ई-पत्रिका राजदीप को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा समिति द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रधान कार्यालय को श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए दिल्ली बैंक नराकास के द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 में दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक की शाखा फ्रेजर रोड पटना, हिम्मत नगर (गाँधी नगर), भिलाई (छत्तीसगढ़), राँची, नागपुर, राजकोट तथा अंचल कार्यालय बरेली एवं नोएडा को भी संबंधित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गईं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। हिंदी को अनुवाद के कटघरे से बाहर निकालकर राजभाषा कार्यान्वयन को परियोजना कार्यान्वयन के सिद्धांतों के आधार पर प्रचलित और प्रसारित किया गया। कुल 65 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1125 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 403 शाखाओं में आयोजित डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1293 कर्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 452 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए।

आगे, वर्ष 2019-20 में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्टाफ-सदस्यों को आकर्षक नकद पुरस्कार के साथ शील्ड भी प्रदान की गयीं।

शिकायतों का निराकरण

सभी शिकायतों/अभ्यावेदन का 14 दिनों के भीतर निवारण करने की आवश्यकता है तथा किसी भी प्रकरण में 21 दिनों से अधिक नहीं (वर्तमान में शिकायत समाधान में आंतरिक लोकपाल नीति 2018 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा निर्देशित समय)। विभिन्न स्तरों को प्रदान किया गया समय इस प्रकार होगा:

- क. शाखा स्तर पर शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा, यदि शाखा शिकायत का समाधान करने में असमर्थ है तो इसे आंचलिक कार्यालय में भेज दिया जाएगा।
- ख. आंचलिक कार्यालय का समाधान अवधि 3 दिन का होगा, यदि आंचलिक कार्यालय दिए गए समय अवधि के भीतर समाधान करने में विफल रहता है या रिज़ॉल्यूशन निर्धारित से अधिक समय लेगा तो अंचल कार्यालय को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग को कारण व तिथि जब तक शिकायत का समाधान होगा, के विषय में सूचित करना होगा।
- ग. प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग/ प्रधान कार्यालय एटीएम कक्ष/ प्रधान कार्यालय पेंशन कक्ष अगले 4 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराएगा और संबंधित आंचलिक कार्यालय/ विभाग को निर्णय का संप्रेषण करेगा।

Bank has been adhering to the extant references / guidelines of Central Vigilance Commission (CVC). Accordingly, these guidelines have been circulated among concerned functionaries that are handling disciplinary proceeding at various levels.

Vigilance Awareness Week (VAW) was observed from October 28th to November 02nd, 2019 with this year's (2019-2020) central theme "Integrity – A way of life".

During this period of VAW, the Bank has organized a variety of programmes at various places across the country involving positive participation of general public at large. Numerous activities were conducted at different locations including Slogan contest, Poster Making, Essay Writing Competition, E-Rickshaw Rallies, Walkathons, Bike Rallies, Road Shows, Cyclathons, Debates, Quizes, Health Check up camps, Blood Donation Camps, Awareness through Media (FM Radio, LED (audio / Video) display at prominent Bus Stations / Depots, Morning Walks, Awareness through Mobile Vans, Elocutions competition and singing competition etc.

Nukkad Nataks were especially played at prominent places across Delhi & NCR territory. Various Rallies were organized by each Zonal Office of Bank, where a large number of students, Bank employees and public in general participated in spreading awareness of Vigilance and integrate honesty in our daily walk of life.

During the week 233 Gram Sabhas, 585 programmes in the schools, 117 programmes in the colleges were held. The staff members / customers of the Bank/ general public were encouraged to have E-Pledge through URL provided on Bank's web site. Our Bank organized main function at Staff Training College, Rohini, Delhi on 01.11.2019 with participation of the top management and invitees from a cross-section of the society.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The year 2019-20 was a year of achievements in terms of implementation of the Official Language. This year first prize was given to our bank's Hindi magazine "Rajbhasha Ankur" and e-magazine "Rajdeep" by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee along with Incentive Award for Best Official Language Implementation at Head Office. In addition to this, our bank received a total no. of 12 awards in Inter Bank competitions organized by various banks under the aegis of Delhi Bank NARAKAS. Our bank's branches Fraser Road Patna, Himmat Nagar (Gandhi Nagar), Durg (Chhattisgarh), Ranchi, Bhilai, Rajkot, Nagpur and Zonal Office Bareilly and Noida also received Official Language Shields from their respective Town Official Language Implementation Committees, for better work in the official language in the Banking Sector.

During the financial year 2019-20, Bank made significant progress in implementation of the Official Language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language Hindi in the Bank. Implementation of Official Language was liberated from the confines of translation and promoted on the sound principles of project implementation. A total of 65 workshops were organized, in which 1125 staff members were trained. Besides this, in 403 Hindi Desk Training Programmes, 1293 staff members were imparted training for using official language and Unicode training on computers. Official Language inspections were conducted in 452 branches / offices to review the progress.

Further, in the financial year 2019-20, on Hindi Diwas attractive cash prizes alongwith shield were awarded to the winning staff-members in different competitions held at Head office.

HANDLING OF COMPLAINTS:

All the grievances/ representation(s) need to be redressed within a 14 days (presently time advised by RBI under Internal Ombudsman Policy 2018 in resolving grievance) and in any case not later than 21 days. The time given to various levels would be as follows:

- Branch Level Resolution would be 7 days on receipt of the complaint, if Branch is unable to resolve the complaint, it will be escalated to Zonal Office.
- The Zonal Office Resolution would be 3 days, if Zonal Office fails to resolve within given timelines or resolution would take more time than prescribed, ZO has to appraise reasons & date by which grievance would be resolved to HO Inspection Dept.
- HO. Inspection Dept./HO. ATM Cell/HO. Pension Cell would within next 4 days apprise the competent authority and communicate decision to concerned Zonal Office/Department.



फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के विनियमन 24A के उद्देश्य में
(सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम 2015]

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त

सदस्य,

पंजाब एंड सिंध बैंक

21, राजेंद्र प्लेस

नई दिल्ली 8

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बाद में "बैंक" कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय अंकेक्षण एक तरीके से आयोजित किया गया था, जो हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

बैंक की पुस्तकों, पत्रों, कार्यवृत्त की पुस्तकों, सांविधिक रजिस्ट्रारों, बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, उनके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक के पास 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी बताया गया है कि बैंक के पास रिपोर्टिंग के तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन व्यवस्था है।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजों, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमों और उपनियमों के तहत;
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियम और कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक किए गए;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम 2008;
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;
 - (झ) सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2020

The Members,
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2020 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
 - (i) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(v) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, लागू होने और अन्य कानूनों के रूप में विनियम, विशेष रूप से बैंक के लिए हैं।

(क) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980

(ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008

हमारी रिपोर्ट को पढ़ने के साथ-साथ यहाँ उल्लेख किया गया है कि:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं, हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कभी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है; परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य कानूनों के तहत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार हैं:

1. बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
2. बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं और तदनुसार एजेंडा और विस्तृत नोट्स सभी निदेशकों को भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
3. अधिकांश निर्णयों को आम सहमति के माध्यम से किया जाता है जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो, को कलमबद्ध किया जाता है और मिनटों के रूप में दर्ज किया जाता है।
4. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।
5. समीक्षाधीन अवधि के दौरान

बैंक ने 25 जून 2019 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (PSB-ESPS) के तहत किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद रु 10 / - के प्रति शेयर को रु 20.19 की प्रति शेयर की दर से 3,71,47,102 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

बैंक ने 22 नवंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमान आधार पर 10/- रुपये प्रति शेयर को रूपये 79.50 के निर्गम मूल्य पर 9,89,93,710 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने आम तौर पर विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो बैंक पर लागू होते हैं।।

सुचिता कोले

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22 जून 2020

एफसीएस1647; सीपी नं.:714

यूडीआईएन:F001647B000364537

(v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz.

(a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

(b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

(c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; Our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful Participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.
5. During the year under review:
 - a) The Bank has allotted 3,71,47,102 Equity shares of Rs. 10/- each at a price of Rs. 20.19 per share in pursuance of acceptance of offer made under Punjab & Sind Bank Employee Share Purchase Scheme (PSB-ESPS) on 25th June 2019.
 - b) The Bank has allotted 9,89,93,710 Equity shares of Rs. 10/- each at a issue price of Rs. 79.50 per share on preferential basis to the President of India (Govt. of India) on 22nd November 2019.

I further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

Place: New Delhi
Date: 22nd June 2020

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714
UDIN: F001647B000364537

कंपनी अभिशासन रिपोर्ट (2019-20)

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक, सभी स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयर धारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक मजबूत कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका पालन भी करेगा। बैंक अपने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, उच्च मानकों तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गमित निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अतः बैंक शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करेगा जहाँ तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड का संघटन

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 तथा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

मार्च 31, 2020 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दिनांक 31.03.2020 को धारित बैंक शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमिति में सदस्यता की संख्या	बैंक में नियुक्ति की तिथि व प्रकृति
1.	डॉ. चरन सिंह	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	शून्य	6	*
2	श्री एस हरिशंकर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16000	11	**
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	16000	11	***
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक	16000	10	****
5.	श्री एस आर मेहर	निदेशक - एमओएफ द्वारा नामित	शून्य	9	@
6.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र	निदेशक-आरबीआई द्वारा नामित	शून्य	3	@@
7.	श्री एस आर घेड़िया	गैर आधिकारिक वर्ग-सीए वर्ग	शून्य	7	#
8.	श्री मधुसूदन दादू	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	7	##
9.	श्री हर्ष वीर सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1057	7	\$
10.	श्री टी आर मेंदिरता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	7	\$\$

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2017-बीओ-1 दिनांकित 23.05.2018 की शर्तों के अनुसार नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अध्यक्ष (गैर -कार्यकारी अध्यक्ष) के रूप नियुक्त किया गया है ।

** वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं 4/2/2018-बीओ.1 दिनांकित 19.09.2018 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनके सेवानिवृत्ति (अर्थात 31.05.2021) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2019-20)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2020 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2020	No. of membership in Sub Committees of the Bank	Date and nature of appointment in the Bank
1.	Sh. Charan Singh	Chairman (Non – Executive)	NIL	6	*
2	Sh. S Harishankar	Managing Director & Chief Executive Officer	16000	11	**
3.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	16000	11	***
4.	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	16000	10	****
5.	Sh. S R Mehar	Director – MOF Nominee	NIL	9	@
6.	Sh. B.P. Vijayendra	Director – RBI Nominee	NIL	3	@@
7.	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	NIL	7	#
8.	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	NIL	7	##
9.	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	1057	7	\$
10.	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	100	7	\$\$

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman for a period of three years from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 19th September 2018 as Managing Director & Chief Executive Officer with effective from the date of assumption of office and upto the date of his attaining the age of superannuation (i.e, 31.05.2021), or until further orders, whichever is earlier.

- *** वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ.1 दिनांकित 16.02.2017 की शर्तों के अनुसार पदग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.4/5/2016-बीओ.1 दिनांकित 18.02.2020 की शर्तों के अनुसार डॉ. फरीद अहमद का कार्यकाल 16.02.2020 की अवधि के बाद के लिए उनके सेवानिवृत्ति अर्थात् 31.07.2020 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है।
- **** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.4/5(2)/2017-बीओ-1 दिनांकित 09.10.2017 की शर्तों के अनुसार पदग्रहण करने की तिथि से लेकर दिनांक 31.03.2020 अर्थात् उनके सेवानिवृत्ति तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ-1 दिनांकित 13.07.2018 की शर्तों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- @@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2011-बीओ-1 दिनांकित 26.04.2019 की शर्तों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1 दिनांकित 27.12.2017 की शर्तों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (जी) के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ## वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1 दिनांकित 27.12.2017 की शर्तों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा उप धारा (3-ए) के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- s राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 9 (4) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) की शर्तों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01.07.2017 से केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित।
- ss राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1980 की धारा 9 (4) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकों) विनियमावली, 2008 के विनियमन 66 (i) की शर्तों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01.07.2017 से केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित।
- बैंक पुष्टि करता है कि कोई भी निदेशक परस्पर संबंधित नहीं है।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति :

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

[क] नियुक्ति -

→ श्री बी.पी. विजयेन्द्र को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या एफ.सं. 6/3/2011-बीओ.1 दिनांकित 26.04.2019 के माध्यम से आरबीआई के नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

[ख] वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक :

→ श्री पी.के.जेना, आरबीआई के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 26.04.2019 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

- *** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of three years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. In terms of GOI MOF Letter no F.No.4/5/2016-BO.1 dated 18.02.2020 the term of office of Dr Fareed Ahmed extended for a period beyond 16.02.2020 till the date of his superannuation i.e, 31.07.2020 or until further orders whichever is earlier.
- **** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(2)/2017-BO.I dated 9th October 2017 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post upto 31.03.2020 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier..
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 13th July 2018 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the e Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.
- @@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO-I dated 26th April 2019 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the e Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.
- # Appointed as non official Part Time Director under Chartered Accountant category in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (g) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- ## Appointed as non official Part Time Director in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (h) of sub section (3) and sub section (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations,2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.
- \$\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

The Bank confirms that none of the Directors are related inter-se.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2019-2020:

[A] Appointment:

- ☐ Sh B.P.Vijayendra was nominated as RBI Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2011-BO.I dated 26.04.2019.

[B] Outgoing Directors during the year:

- ☐ Sh. P.K.Jena, RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 26.04.2019.

2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की समितियों/बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	पीएसबी में निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई में बोर्ड/समिति का नाम जहाँ निदेशक अध्यक्ष/सदस्य है		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक की श्रेणी
1.	डॉ. चरन सिंह अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
2.	श्री एस.हरिशंकर (प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
3.	श्री फरीद अहमद (कार्यकारी निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे (कार्यकारी निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5.	श्री एस आर मेहर (निदेशक - एमओएफ नामित)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
6.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र (निदेशक -आरबीआई नामित)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
7.	श्री एस आर घेडिया (गैर आधिकारिक वर्ग-सीए वर्ग)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
8.	श्री मधुसूदन दादू (गैर-आधिकारिक निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
9.	श्री हर्ष वीर सिंह (शेयरधारक निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
10.	श्री टी.आर. मेंदिरत्ता (शेयरधारक निदेशक)	शून्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

2.4 वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

श्री बी.पी. विजयेन्द्र

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	पूरा नाम	श्री बी.पी. विजयेन्द्र
2.	पिता का नाम	श्री पद्मनाभा राव बदिदा
3.	जन्म तिथि एवं आयु	21.10.1956 व 64 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ए-33, ऊषा सदन, कोलाबा पोस्ट ऑफिस के पास, कोलाबा, मुंबई-400005
5.	ईमेल पता	bpvijayendra@yahoo.com
6.	शैक्षणिक योग्यता	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	आरबीआई नामित निदेशक
8.	अनुभव	आरबीआई में 30 वर्ष की सेवा
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि हो)	लिफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

2.5 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 14 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं :

08.04.2019	03.05.2019	24.05.2019	26.06.2019	12.07.2019
07.08.2019	18.09.2019	19.10.2019	01.11.2019	11.11.2019
06.12.2019	21.01.2020	10.02.2020	12.03.2020	

2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the committees / Board of other listed entities

Sr. No	Name of Director in PSB	Name of other listed entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board / Committee in other listed entity where the Director is chairman / member		Category of Directorship in other listed entity
1.	Sh. Charan Singh Chairman (Non – Executive)	Nil	NA	NA	NA
2	Sh. S Harishankar (Managing Director & Chief Executive Officer)	Nil	NA	NA	NA
3.	Sh. Fared Ahmed (Executive Director)	Nil	NA	NA	NA
4.	Sh. Govind N Dongre (Executive Director)	Nil	NA	NA	NA
5.	Sh. S R Mehar (Director – MOF Nominee)	Nil	NA	NA	NA
6.	Sh. B.P. Vijayendra (Director – RBI Nominee)	Nil	NA	NA	NA
7.	Sh. S R Ghedia (Non Official Category - CA Category)	Nil	NA	NA	NA
8.	Sh. Madhu Sudan Dadu (Non-Official Director)	Nil	NA	NA	NA
9.	Sh. Harsh Bir Singh (Shareholder Director)	Nil	NA	NA	NA
10.	Sh. T R Mendiratta (Shareholder Director)	Nil	NA	NA	NA

2.4. Profile of Director appointed during 2019-20:
Sh. B.P.VIJAYENDRA

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Shri B.P. Vijayendra
2.	FATHER'S NAME	Sh. Padmanabha Rao Badida
3.	DATE OF BIRTH & AGE	21.10.1956 & 64 Years
4.	PRESENT ADDRESS	A-33, Usha Sadan, Near Colaba Post Office, Colaba, Mumbai-400 005
5.	EMAIL ADDRESS	bpvijayendra@yahoo.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Masters in Economics
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	RBI Nominee Director
8.	EXPERIENCE	30 years of service in RBI
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Lifomatics Private Limited

2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2019-20, total 14 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

08.04.2019	03.05.2019	24.05.2019	26.06.2019	12.07.2019
07.08.2019	18.09.2019	19.10.2019	01.11.2019	11.11.2019
06.12.2019	21.01.2020	10.02.2020	12.03.2020	

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 11.07.2019 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
डॉ. चरन सिंह अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2019 से 31.03.2020	14	14	उपस्थित
श्री एस.हरिशंकर -प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	14	14	उपस्थित
श्री फरीद अहमद-कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	13	उपस्थित
श्री गोविंद एन डोंग्रे-कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	13	उपस्थित
श्री एस आर मेहर-एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	08	अनुपस्थित
श्री पी.के. जेना-आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2019 से 26.04.2019	01	01	अनुपस्थित
श्री बी.पी. विजयेन्द्र--आरबीआई नामित निदेशक	26.04.2019 से 31.03.2020	13	13	अनुपस्थित
श्री एस आर घेड़िया- गैर आधिकारिक वर्ग (सीए वर्ग)	01.04.2019 से 31.03.2020	14	14	अनुपस्थित
श्री मधुसूदन दादू- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	12	अनुपस्थित
श्री हर्ष वीर सिंह- शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	14	उपस्थित
श्री टी.आर. मेंदिरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	14	12	उपस्थित

2.6 आचार संहिता :

शेयर बाजार सहित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (5) के अनुपालन में निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों व समस्त महाप्रबंधको को समाविष्ट करते हुए निदेशक से एक रैंक नीचे के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त की है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों की आयोजित अंतिम तीन सामान्य वार्षिक बैठकों का विवरण इस प्रकार है :

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	गुरुवार (29.06.2017)	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40- मैक्स म्यूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली - 110003
ए.जी.एम.	शुक्रवार (29.06.2018)	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ए.जी.एम.	गुरुवार (11.07.2019)	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

विगत तीन एजीएम में कोई भी विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कंपनी अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशनिर्देशों के अनुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड/समिति की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/आईआर के प्रचालन निष्पादन व विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ प्रबंधन क्षेत्रीय विकास, खंड/उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं :

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 11.07.2019
Sh. Charan Singh - Chairman (Non-Executive)	01.04.2019 to 31.03.2020	14	14	Attended
Sh. S Harisankar - Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	14	14	Attended
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	13	Attended
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	13	Attended
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	08	Not Present
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2019 to 26.04.2019	01	01	Not Present
Sh. B.P. Vijayendra-RBI Nominee Director	26.04.2019 to 31.03.2020	13	13	Not Present
Sh. S R Ghedia- Non Official Director (CA Category)	01.04.2019 to 31.03.2020	14	14	Not Present
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	12	Not Present
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	14	Attended
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	01.04.2019 to 31.03.2020	14	12	Attended

2.6. Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Thursday 29.06.2017	10:00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi – 110003
AGM	Friday 29.06.2018	10:00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, New Delhi – 110085
AGM	Thursday 11.07.2019	10:00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, New Delhi – 110085

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	बोर्ड की सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	हितधारक संबंध समिति
8.	एचआर समिति
9.	सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
10.	अपील और समीक्षा के प्रकरणों पर व्यवहार के लिए समिति
11.	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12.	शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
13.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
14.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
15.	पूजी निर्गम समिति
16.	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमसी व सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मसलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2020 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - एमडी व सीईओ
2.	श्री फरीद अहमद- कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र - निदेशक (आरबीआई नामित)
5.	श्री मधु सूदन दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों को 13 बैठकें हुई :

23.05.2019	26.06.2019	08.08.2019	19.09.2019	25.09.2019
18.10.2019	01.11.2019	05.12.2019	26.12.2019	11.02.2020
02.03.2020	11.03.2020	21.03.2020		

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	I T Strategy Committee
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
13.	Review Committee for Willful Defaulter
14.	Nomination & Remuneration Committee
15.	Capital Issue Committee
16.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2020 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. B.P. Vijayendra - Director (RBI Nominee)
5.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

During the Financial Year 2019-20, the Management Committee of the Board met on 13 occasions on the following dates:

23.05.2019	26.06.2019	08.08.2019	19.09.2019	25.09.2019
18.10.2019	01.11.2019	05.12.2019	26.12.2019	11.02.2020
02.03.2020	11.03.2020	21.03.2020		

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री बी.पी.विजयेन्द्र - निदेशक (आरबीआई नामित निदेशक)	01.04.2019 से 31.03.2020	13	13
श्री मधु सूदन दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2019 से 26.06.2020 02.03.2020 से 31.03.2020	5	4
श्री टी आर मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	08.08.2019 से 11.02.2020	8	6

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जो कि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष तथा बैंक में आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था तथा बैंक के सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा व आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण अभिज्ञान के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षक/निरीक्षण के साथ विचार-विमर्श व उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति, तिमाही/ वर्ष से आज तक/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री शैलेश आर घेड़िया - सीए निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर - कार्यकारी)
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र - निदेशक (आरबीआई नामित)
5	श्री एस.आर. मेहर - निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) की 09 अवसरों पर निम्नांकित तिथियों को बैठकें आयोजित की गईं :

24.05.2019	25.06.2019	11.07.2019	07.08.2019	11.11.2019	05.12.2019	27.12.2019
10.02.2020	13.03.2020					

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Sh. B.P. Vijayendra – RBI Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	13	13
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2019 to 26.06.2020 02.03.2020 to 31.03.2020	5	4
Sh. T.R. Mendiratta- Shareholder Director	08.08.2019 to 11.02.2020	8	6

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Shailesh R Ghedia -CA Director - Chairperson
2.	Sh. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)
3.	Sh. Fareed Ahmed - Executive Director
4.	Sh. B.P. Vijayendra- Director (RBI Nominee)
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

During the Financial Year 2019-20, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 9 occasions on the dates given below:

24.05.2019	25.06.2019	11.07.2019	07.08.2019	11.11.2019	05.12.2019	27.12.2019
10.02.2020	13.03.2020					

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री एस आर घेड़िया - गैर आधिकारिक निदेशक - सीए वर्ग	01.04.2019 से 31.03.2020	9	9
2.	श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2019 से 31.03.2020	9	9
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	9	8
4.	श्री एस आर मेहर - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	9	4
5.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	9	9

4.3 वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं. 1004/23.04.01ए/2003-4 दिनांकित 14.01.2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे जांच, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि में देरी के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो अनन्यतः रुपये 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामले की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करती रहेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ रुपये 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि के धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है जिससे :

- (क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सके।
- (ख) धोखाधड़ी (यदि हो) का पता लगाने में देरी के लिए कारणों की पहचान तथा बैंक व आरबीआई के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।
- (ग) सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली स्थिति की निगरानी।
- (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और यदि आवश्यक हो तो समय गवाए बिना स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई हो।
- (ण) आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसे धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा तथा
- (च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारण उपायों को सशक्त करने हेतु प्रसांगिक माने जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - एमडी व सीईओ
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - निदेशक (एमओएफ)
5.	श्री एम.एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
6.	श्री एस.आर. घेड़िया - सीए निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की आयोजित तीन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

08.08.2019	17.10.2019	11.03.2020
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh. S R Ghedia – Non Official Director-CA Category	01.04.2019 to 31.03.2020	9	9
2	Sh. Charan Singh– Chairman (Non – Executive)	01.04.2019 to 31.03.2020	9	9
3	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	9	8
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	9	4
5	Sh. B.P. Vijayendra-RBI Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	9	9

4.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. M.S. Dadu – Non-Official Director
6.	Sh. S.R. Ghedia- CA Director

The Committee met three times during the Financial Year 2019-20 as per the details below:

08.08.2019	17.10.2019	11.03.2020
------------	------------	------------

निदेशकों का उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2019 से 10.02.2020	2	2
श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री गोविंद एन डॉंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री एस आर मेहर - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री एम एस दादू - निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री एस.आर. घेड़िया - सीए निदेशक	10.02.2020 से 31.03.2020	1	1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी सं. 7/23.04.001/2009-10 दिनांकित 16.09.2009 के माध्यम से धोखाधड़ी प्रकरणों के प्रभावी जांच-पड़ताल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने तथा उपयुक्त प्राधिकारी को तुरंत सूचित करने का परामर्श दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर बैंक ने रुपये 1 करोड़ से अधिक के संबंध में विशिष्ट कार्य करने हेतु प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के तत्वावधान में केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

बोर्ड संकल्प संख्या 20214 दिनांकित 12.12.2012 के अनुसार "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" नाम से एक स्वतंत्र विभाग दिनांक 07.02.2013 से एक स्थान पर कार्य कर रहा है जिससे प्रयास की अतिव्याप्ति और अनुलिपिकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों अर्थात् रुपये एक करोड़ व उससे अधिक की वृहत राशि वाले धोखाधड़ी को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रुपये 01 करोड़ से कम राशि वाले मामलों की प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा पर्यवेक्षता की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी प्रकरणों के नजदीकी से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निवारक उपाय किए जा सकेंगे और आरबीआई को समय पर धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

4.4 बोर्ड की सतर्कता समिति

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप, सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनजर सतर्कता अनुशासन प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बैंक ने सतर्कता समिति गठित की है।

दिनांक 31.03.2020 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - एमडी व सीईओ
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डॉंग्रे - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री बी.पी. विजयेन्द्र - निदेशक (आरबीआई नामित)
5.	श्री एस.आर. मेहर - निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समिति ने निम्न विवरण अनुसार 04 बार बैठकों का आयोजन किया :

23.05.2019	18.09.2019	05.12.2019	10.02.2020
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Charan Singh - Chairman (Non – Executive)	01.04.2019 to 10.02.2020	2	2
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. M S Dadu - Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. S.R. Ghedia- CA Director	10.02.2020 to 31.03.2020	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Department named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. One crore & above at HO Inspection Department, where as frauds below the amount of Rs. One crore were being dealt by HO. Vigilance Department. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

4.4. Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. B.P. Vijayendra-Director (RBI Nominee)
5	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

The Committee met four times during the Financial Year 2019-20 as per the details below:

23.05.2019	18.09.2019	05.12.2019	10.02.2020
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनके कार्यकाल के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री एस आर मेहर - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3
श्री बी.पी. विजयेन्द्र - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है तथा विषय पर समन्वित विचार करती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है। 31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री मधु सूदन दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
7.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019- 20 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार 07 अवसरों पर बैठक की :

23.05.2019	25.06.2019	08.08.2019	18.09.2019	06.12.2019
26.12.2019	11.03.2020			

निदेशकों का उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2019 से 31.03.2019	7	7
श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	7	7
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	7	6
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	7	6
श्री एम एस दादू - निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	7	6
श्री टी आर मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	7	5
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	7	7

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियों अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंधन व निगरानी की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक के संचालन में निरंतर स्थिरता व कार्यक्षमता व बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3
Sh. B.P. Vijayendra – RBI Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required. The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh - Chairman (Non – Executive)
2.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director
6.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director
7.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director

The Committee met seven times during the Financial Year 2019-20 as per the details below:

23.05.2019	25.06.2019	08.08.2019	18.09.2019	06.12.2019
26.12.2019	11.03.2020			

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Dr Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2019 to 31.03.2020	7	7
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	7	7
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	7	6
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	7	6
Sh. M S Dadu– Director	01.04.2019 to 31.03.2020	7	6
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	7	5
Sh. Harsh Bir Singh - Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	7	7

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उपसमिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2020 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - एमडी व सीईओ
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री टी आर मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - निदेशक (एमओएफ)
6.	श्री एस आर घेड़िया - सीए निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना तथा ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों का अनुपालन करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कार्यान्वयित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं :

24.05.2019	08.08.2019	05.12.2019	11.02.2020
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री एस आर मेहर - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	2
श्री टी आर मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3
श्री एस आर घेड़िया - सीए निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4

4.7 हितधारक संबंध समिति:

सेबी के दिनांक 17.04.2014 के परिपत्र के द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूची समझौते के प्रावधानों की समीक्षा की और कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूची समझौते के संशोधित खण्ड 49 को 01.10.2014 से अधिसूचित किया है। खण्ड 49 (viii) (E) प्रदान करता है कि गैर-कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति "स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी" नामक का गठन शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए किया जाएगा, यदि कोई हो।

4.6. Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2020:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. T R Mendiratta-Shareholder Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. S R Ghedia -CA Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2019-20, the Committee met on the following dates:

24.05.2019	08.08.2019	05.12.2019	11.02.2020
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	2
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3
Sh. S R Ghedia -CA Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4

4.7 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII) (E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as "Stakeholders Relationship Committee" shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

शेयरधारकों, ऋण पत्र धारकों और अन्य प्रतिभूति सुरक्षा धारकों की शिकायतों के निवारण के तंत्र को देखने के लिए स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी का गठन किया गया है। 31 मार्च 2020 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	सदस्य

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की।

11.07.2019	08.08.2019	11.11.2019	11.02.2020
------------	------------	------------	------------

उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर -प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3
श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	4
श्री टी आर मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	4	3

समिति समयबद्ध तरीके से निवेशकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त और हल की गई अनुरोधों / शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2019 तक अनिर्णित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2020 तक अनिर्णित
शून्य	4	4	शून्य

31.03.2020 तक कोई शिकायत लंबित नहीं थी। श्री विनय खंडेलवाल, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया था। हालांकि, 30.05.2020 के प्रभाव से श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में श्री विनय खंडेलवाल के स्थान पर बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति

मानव संसाधन समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। जब भी आवश्यक हो एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। समिति की संरचना 31 मार्च, 2020 तक निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders. The composition of the Committee as on 31st March 2020 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Sh. Harsh Bir Singh-Share holder Director	Chairperson
2.	Sh. S Harishankar - MD & CEO	Member
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director	Member
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director	Member
5.	Sh. T R Mendiratta - Share holder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20

11.07.2019	08.08.2019	11.11.2019	11.02.2020
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	4
Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2019	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2020
NIL	4	4	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2020. Shri Vinay Khandelwal, Company Secretary had been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. However, with effect from 30.05.2020 Shri Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in place of Shri Vinay Khandelwal in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8. Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh - Chairman (Non – Executive)
2.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की।

25.06.2019	08.08.2019	18.10.2019	10.02.2020
16.03.2020			

उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	01.04.2019 से 31.03.2020	5	5
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	5	5
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	5	5
श्री एस. आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	5	1
श्री टी आर मेंदीरत्ता- शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	5	4

4.9 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

31 मार्च, 2020 तक समिति की संरचना इस प्रकार है

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री मधु सूदन दादू - गैर कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)
3.	श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
5.	श्री गोविंद एन डोंग्रे कार्यकारी निदेशक
6.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
7	श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की।

23.05.2019	08.08.2019	29.08.2019	17.10.2019	27.11.2019
27.12.2019	16.03.2020			

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष	01.04.2019 से 30.03.2020	7	7
श्री हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 30.03.2020	7	7
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 30.03.2020	7	7
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 30.03.2020	7	6
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2019 से 30.03.2020	7	5
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2019 से 30.03.2020	7	7
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 30.03.2020	7	7

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20

25.06.2019	08.08.2019	18.10.2019	10.02.2020
16.03.2020			

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2019 to 31.03.2020	5	5
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 31.03.2020	5	5
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	5	5
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	5	5
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	5	1
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	5	4

4.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director (Chairperson)
2.	Sh. Charan Singh - Chairman (Non – Executive)
3.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
4.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
5.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
6.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
7.	Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20

23.05.2019	08.08.2019	29.08.2019	17.10.2019	27.11.2019
27.12.2019	16.03.2020			

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)	01.04.2019 to 30.03.2020	7	7
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019 to 30.03.2020	7	7
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 30.03.2020	7	7
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 30.03.2020	7	6
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2019 to 30.03.2020	7	5
Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2019 to 30.03.2020	7	7
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2019 to 30.03.2020	7	7

4.10 अपील और समीक्षा के मामले से निपटने के लिए समिति :

बोर्ड के संकल्प संख्या 22389 दिनांक 10.08.2016 के द्वारा अनुशासनात्मक मामलों की अपील और समीक्षा याचिकाओं को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

समिति की संरचना दिनांक 31.03.2020 तक इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. मेहर -निदेशक (वित्त मंत्रालय)(अध्यक्ष)
2.	श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
3.	श्री टी आर मेंदीरता - शेयरधारक निदेशक

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक

08.04.2019

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस.आर. मेहर -निदेशक (वित्त मंत्रालय)(अध्यक्ष)	1	1
2.	श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	1	1
3.	श्री टी आर मेंदीरता - शेयरधारक निदेशक	1	1

4.11 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

निदेशक और प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक से मिलकर निदेशकों की एक समिति का गठन वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक एफ.सं. 7/112/2012-बीओए दिनांक 21.11.2012 के द्वारा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में बैंक की वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना निम्न है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डॉंगे-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस आर मेहर नामित निदेशक(वित्त मंत्रालय)
5.	श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एस आर घेड़िया- निदेशक(सीए)

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की

11.07.2019	18.10.2019	11.02.2020
------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस हरिशंकर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री गोविंद एन डॉंगे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री एस आर मेहर नामित निदेशक(वित्त मंत्रालय)	01.04.2019 से 31.03.2020	3	1
श्री एस.आर.घेड़िया -गैर कार्यकारी निदेशक (सीए संवर्ग)	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3

4.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairman)
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20

08.04.2019

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairman)	1	1
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	1	1
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director	1	1

4.11. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director
6.	Sh. S.R. Ghedia - CA Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20

11.07.2019	18.10.2019	11.02.2020
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar - MD & CEO	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	1
Sh. S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3

4.12 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान:

शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान: वित्त मंत्रालय के संदर्भ में, वित्तीय सेवा विभाग पत्र दिनांक 03.04.2012 विभिन्न कंपनियों, शेयरधारकों संस्थानों और पीएसयू बैंकों में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने के बारे में निर्णय लेने के लिए बोर्ड की एक समिति का गठन बोर्ड के संकल्प संख्या 19840 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार किया गया था ।

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद- कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर.घेड़िया - निदेशक (सीए)
5	श्री टी आर मेंदीरता - शेयरधारक निदेशक

4.13 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री एस आर मेहर- नामित निदेशक(वित्त मंत्रालय)
3.	श्री एम एस दादू - गैर कार्यकारी निदेशक

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की जिसमें सभी उपस्थिति थे।

08.08.2019

4.14 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति 'नामक एक एकल समिति का गठन वित्तीय सेवाएँ विभाग अधिसूचना एफ.सं.16 / 19/2019-BO.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड की अलग-अलग समिति 'नामांकन समिति' और 'पारिश्रमिक समिति' के स्थान पर किया गया था।

बोर्ड संकल्प संख्या 24521 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' में न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ फिर से गठित किया गया है, जो आरबीआई द्वारा दिए गए 'फिट और उचित' मानदंडों के अनुसार, नामांकन की आवश्यक प्रक्रिया के लिए है।

31 मार्च, 2020 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री चरन सिंह - अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)
2.	श्री एस आर घेड़िया- सीए निदेशक
3.	श्री मधुसूदन दादू - गैर-कार्यकारी निदेशक

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की जिसमें सभी तीन सदस्य उपस्थिति थे।

06.12.2019

4.12. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S R Ghedia- CA Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

4.13. Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harishankar - MD & CEO
2.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
3.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20 in which all three members were present.

08.08.2019

4.14. Nomination & Remuneration Committee

A single committee named 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 in place of separate 'Nomination Committee of Board' and 'Remuneration Committee of Board'.

'Nomination & Remuneration Committee' with minimum three members has been re-constituted vide Board Resolution No. 24521 Dated 18.09.2019 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

The composition of the Committee as on 31st March 2020 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh – Chairman (Non – Executive)
2.	Sh. S R Ghedia- CA Director
3.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20 in which all three members were present.

06.12.2019

4.15 पूंजी निर्गम समिति

शेयर के दाम, उस पर छूट / प्रीमियम और अन्य मामलों में निर्णय लेने के लिए बैंक बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 242147 दिनांक 12.02.2019 के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों हेतु शेयर की खरीद योजना (ईएसपीसी) के लिए चार सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री टी आर मेंदीरता- शेयरधारक (अध्यक्ष)
2.	श्री मधुसूदन दादू - गैर-कार्यकारी निदेशक
3.	श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
4.	श्री एस आर घेड़िया- सीए निदेशक

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की।

25.04.2019	24.05.2019	25.06.2019
------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है ।

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री टी आर मेंदीरता- शेयरधारक निदेशक(अध्यक्ष)	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री मधुसूदन दादू - गैर-कार्यकारी निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	2
श्री हर्षबीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	3
श्री एस आर घेड़िया- सीए निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	3	2

4.16 शेयर अंतरण समिति:

कंपनी सचिव के साथ जीएम, डीजीएम / एजीएम शामिल अधिकारियों की एक समिति एक पखवाड़े में कम से कम एक बार मिलती है। आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष शेयर हस्तांतरण समिति के कार्यवृत्त रखे गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की पच्चीस बैठकें हुईं।

4.17 अन्य प्रकटन :

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com/content/investors-information> पर प्रकट किया गया है।

5. निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता को निर्धारित करते हुए चार्ट / मैट्रिक्स :

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, एक निदेशक के पास कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, छोटे पैमाने पर उद्योग जैसे एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा।

4.15. Capital Issue Committee

Capital Issue Committee of the Board was constituted with four members vide Board Resolution No. 24217 dated 12.02.2019, for taking all decisions related to pricing, discount/premium and other related matters.

S. No.	Name of Director
1.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director (Chairperson)
2.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director
3.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director
4.	Sh. S R Ghedia- CA Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2019-20:

25.04.2019	24.05.2019	25.06.2019
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director (Chairperson)	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	2
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sh. S R Ghedia- CA Director	01.04.2019 to 31.03.2020	3	2

4.16. Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM / AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty Five meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2019-20.

4.17. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psbindia.com under head of "Investors Information".

5. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors:

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc

पीएसबी के बोर्ड के पास उपलब्ध कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता निम्नलिखित हैं-

क्र. सं.	निदेशक के नाम	निदेशक का वर्ग	मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता
1	श्री चरन सिंह	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	एप्लाइड इकोनॉमिक्स (एम फिल) में स्नातकोत्तर अनुसंधान और डॉक्टरेट की डिग्री धारक अर्थात न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी से अर्थशास्त्र में पीएचडी।
2	श्री एस हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कृषि विज्ञान में स्नातक
3	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में आस्ति गुणवत्ता पर उनकी थीसिस के लिए पीएचडी डिग्री; कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि; सीएआईआईबी; सहयोग और ग्रामीण अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और विधि और बैंकिंग में डिप्लोमा।
4	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	बागवानी परास्नातक व सीएआईआईबी
5	श्री एसआर मेहर	नामित निदेशक(वित्त मंत्रालय)	स्नातकोत्तर
6	श्री बी.पी. विजयेन्द्र	नामित निदेशक आरबीआई	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर , सीएआईआईबी
7	श्री एस आर घेड़िया	गैर कार्यकारी श्रेणी -सीए श्रेणी	चार्टर्ड एकाउंटेंट
8	श्री मधु सूदन दादू	गैर कार्यकारी निदेशक	बीई (प्रतिष्ठा) और स्नातकोत्तर विज्ञान (प्रतिष्ठा)
9	श्री हर्ष बीर सिंह	गैर कार्यकारी निदेशक- शेयरधारक निदेशक)	स्नातकोत्तर विज्ञान ,एलएलबी , एमबीए, एमसीए, सीएआईआईबी
10	श्री टी आर मेंदीरता	गैर कार्यकारी निदेशक-(शेयरधारक निदेशक)	बी कॉम, फैलो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

6. निदेशकों का पारिश्रमिक:

राष्ट्रीय बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) 1970(यथा संशोधित) योजना के खंड 17, के संदर्भ में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गैर-कार्यकारी निदेशकों को यात्रा और ठहराव खर्चों सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिए गए एरियर सहित वेतन:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2936778.00
2.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	2642304.00
3.	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	2603673.00

Following are the skills / expertise / competence available with the Board of PSB

Sl. No.	Name of Director	Category of Director	Core Skills / Expertise / Competence
1	Sh. Charan Singh	Chairman (Non – Executive)	Post graduate research in Applied Economics (M. Phil) and also a holder of doctorate degree i.e., Ph.D. in Economics from University of New South Wales, Sydney
2	Sh. S Harishankar	Managing Director & Chief Executive Officer	Graduate in Agriculture Sciences
3	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	Ph.D. Degree for his thesis on Asset Quality in Public and Private Sector Banks in India; a Masters Degree in Agricultural Economics; CAIIB; PG Diploma in Co-operation & Rural Studies; and Diploma in Law & Banking.
4	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	M.Sc in Horticulture and CAIIB
5	Sh. S R Mehar	Director – MOF Nominee	Post Graduate
6	Sh. B.P. Vijayendra	Director – RBI Nominee	M.A. Economics, CAIIB
7	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	Chartered Accountant
8	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	BE (Honours) and M.Sc (Honours)
9	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	MSC, LLB, MBA, MCA, CAIIB
10	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	B.Com, Fellow Insurance Institute of India

6. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors /s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2019-20:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri S Harisankar	Managing Director & CEO	2936778.00
2	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	2642304.00
3	Shri Govind N Dongre	Executive Director	2603673.00

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को पंजाब एंड सिंध बैंक के तहत पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर खरीदने का विकल्प दिया गया था - कर्मचारी शेयर खरीद योजना (PSB-ESPS) और कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत निदेशकों को शेयरों के आवंटन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं	निदेशक के नाम	पदनाम	पीएसबी-ईएसपीएस के तहत आवंटित 10 रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या
1	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16000
2	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	16000
3	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	16000

* पीएसबी-ईएसपीएस के तहत 6.73 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट प्रदान करने के बाद शेयरों को प्रति शेयर 20.19 रुपये की पेशकश की गई।

सेवा अनुबंध और नोटिस की अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। किसी भी निर्देशक को कोई पृथक से शुल्क देय नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूरे समय के निदेशकों को कोई भी प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था।

ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठने का शुल्क इस प्रकार है: (भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और निदेशक पूरे समय के लिए कोई शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	डॉ. चरन सिंह	1420000
2.	श्री पी के जेना	40000
3.	श्री टी आर मैदीरता	1020000
4.	श्री बी पी विजयेन्द्र	1040000
5.	श्री हर्ष बीर सिंह	1085000
6	श्री एमएस दादू	980000
7	श्री एस आर घेड़िया	1005000
	कुल योग	6590000

7. बेदावा लाभांश :

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के संदर्भ में, जिस दिन उन्हें संबंधित बेदावा लाभांश स्थानांतरित किया गया, उस तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए बेदावा / बिना चुकाए रहती हैं तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) के खाता में बैंक को उस लाभांश की राशि को हस्तांतरित करना आवश्यक है:

क्रम सं	बेदावा लाभांश विवरण	31.03.2020 तक शेष राशि
1	लाभांश 2012-13	1633012.68
2	लाभांश 2013-14 (अंतरिम)	1402110.40
3	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	654625.80
4	लाभांश 2014-15	515387.40
5	लाभांश 2015-16	1427256.60

During the year the employees were given an option to purchase the shares of Punjab & Sind Bank under Punjab & Sind Bank – Employee Share Purchase Scheme (PSB-ESPS) and the status of allotment of shares to directors under PSB-ESPS is as under

SI No	Name of the Director	Designation	No of Equity shares of Rs.10 each allotted under PSB-ESPS*
1	Shri S Harisankar	Managing Director & CEO	16000
2	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	16000
3	Shri Govind N Dongre	Executive Director	16000

* The shares were offered at Rs.20.19 per equity share after providing a discount of Rs.6.73 per equity share under PSB-ESPS

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any director.

No performance linked incentive was paid to the whole-time directors during the financial year 2019-20.

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2019-20 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Dr Charan Singh	1420000
2	Sh. P K Jena	40000
3	Sh. T R Mendiratta	1020000
4	Sh. B P Vijayendra	1040000
5	Sh. Harsh Bir Singh	1085000
6	Sh. M S Dadu	980000
7	Sh. S R Ghedia	1005000
	TOTAL	6590000

7. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

SI No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2020
1	Dividend 2012-13	1633012.68
2	Dividend 2013-14 (Interim)	1402110.40
3	Dividend 2013-14 (Final)	654625.80
4	Dividend 2014-15	515387.40
5	Dividend 2015-16	1427256.60

8. प्रकटीकरण:

- 1) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहां बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती है।
- 2) बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com> पर PSBPOLICY_Related_partyTransactions.pdf में संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति उपलब्ध है।
- 3) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशानिर्देश का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- 4) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- 5) बैंक की वेबसाइट at www.psbindia.com पर पार्टी लेन-देन नीति संबंधित व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट उपलब्ध है।
- 6) बेसल II और बेसल III बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है ।
- 7) लाभांश आबंटन नीति बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है ।
- 8) अधिमाम्य आबंटन के माध्यम से और पीएसबी-ईएसपीएस के माध्यम से बैंक द्वारा उठाए गए धन का उपयोग सामान्य प्रयोजन उद्देश्य के लिए किया गया है।
- 9) अभ्यास में एक कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से अयोग्य या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- 10) वित्तीय वर्ष के दौरान वस्तु मूल्य जोखिम और वस्तु प्रतिरक्षा गतिविधियां लागू नहीं होती हैं।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकता के अनुपालन का खुलासा

रजि. सं	शीर्षक / संक्षिप्त परिचय	अनुपालन की स्थिति
17 एवं 17A	बोर्ड के निदेशक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल के संदर्भ की संरचना और शर्तें बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अधिनियम, अर्थात् अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान यह संबंध लागू नहीं है। अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) से चुने गए 2 निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक, धारा 9(3) के तहत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। बोर्ड की चर्चाओं का प्रमुख समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रोफाइल पर खर्च किया जाता है। बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
18	लेखा परीक्षा समिति	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड की ऑडिट कमेटी के संदर्भ की संरचना और शर्तें आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं, जिनका अनुपालन किया जाता है।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की संरचना और शर्तें आरबीआई / भारत सरकार के निर्देशों / दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं, जिनका अनुपालन किया जाता है।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन कमेटी	अनुपालन किया गया

8. DISCLOSURES:

- a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/psb-policy>
- c. No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- d. Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- e. Business Responsibility Report is available on the website of the bank <https://www.psbindia.com/content/psb-policy>
- f. Basel II and Basel III is available in the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/basel-ii-disclosures-new>
- g. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/psb-policy>
- h. The Funds raised by the Bank by way of Preferential allotment and by way of PSB-ESPS have been utilized for the general business purpose.
- i. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- j. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.

9. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	The composition & terms of reference of Board of Directors of Punjab & Sind Bank is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 i.e. the Act, meaning thereby that the provisions of the Companies Act, 2013 in this regard are Not Applicable. All the directors, except 2 directors elected from amongst the shareholders (other than the Central Government) pursuant to Section 9(3) (i) of the Act, are Appointed / Nominated by the Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	The composition and terms of reference of the Audit Committee of the Board of Punjab & Sind Bank is governed by the RBI directives / guidelines, which are complied with.
19	Nomination and Remuneration Committee	The composition and terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Punjab & Sind Bank is governed by the RBI / GOI directives / guidelines, which are complied with.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with

22	सतर्क तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पार्टी लेनदेन	अनुपालन किया गया
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएं	अप्रयोज्य
24क	सचिवीय ऑडिट	अनुपालन किया गया
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	उक्त विनियमन 17 के अनुसार
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया
27	अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (ख) से (च)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

10. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के पार्ट-ई {विनियमन 27(1)} (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड – एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी गई है।	भारत सरकार ने डॉ. चरण सिंह को दिनांक 23.05.2018 से बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।
2.	शेयरधारकों के अधिकार – अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयर धारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु /बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
3.	ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय – कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अहर्न है।
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा समिति को सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

11. संप्रेषण के साधन:

बैंक, वर्तमान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों के माध्यम से अपने शेयरधारकों व हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारी के विषय में अवगत कराते रहने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध है। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी आवश्यकतानुसार प्रकाशित कराए जाते हैं (एक अंग्रेजी और एक हिंदी)।

22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17, above
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (f)	Website	Complied with

10. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	The Board – A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson’s Office at the listed entity’s expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Government of India has appointed Dr. Charan Singh as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f. 23.05.2018. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	Shareholders Rights – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank’s website www.psbindia.com for information of the shareholders.
3.	Modified Opinion(s) in audit report – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
4.	Reporting of internal auditor – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

11. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

बैंक की तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा प्रेस विज्ञप्ति बैंक की वेबसाइट <http://www.psbindia.com> पर प्रदर्शित है।

बैंक के इक्विटी शेयर भारत के निम्नांकित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है :

1) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजाभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001

बीएसई कोड: 533295

2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

“एक्सचेंज प्लाजा” बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी) मुम्बई-400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एक्सचेंज (ओं) में सूचीबद्ध समस्त प्रतिभूतियों के संबंध में एनएसडीएल को अभिरक्षा शुल्क तथा बीएसई, एनएसई को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्ड्स के संबंध में सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांकित 29.10.2013 तथा ऋण सूचीयन करार के खंड 2ए की शर्तों के अनुरूप डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बांड धारकों हेतु ट्रस्टी



आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.

पंजीकृत कार्यालय

भूतल, एशियन बिल्डिंग, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,

मुम्बई - 400001

दूरभाष संख्या: (022) 40807000,

फैक्स संख्या: 91-22-66311776/40807080

ई-मेल: itsl[at]idbitrustee.com



एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड

द एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर

पांडुरंग बुद्धकर मार्ग

वर्ली, मुंबई - 400 025

दूरभाष: +91 22 6226 0054/ 6226 0050

ई-मेल: debenturetrustee[at]axistrustee.com

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE: PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS



IDBI Trusteeship Services Ltd

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

Asian Building, Ground Floor

17, R Kamani Marg

Ballard Estate

Mumbai – 400 001

Tel No. (022) 40807000

Fax No. 91-22-66311776 / 40807080

E-mail: [itsl\[at\]idbitrustee.com](mailto:itsl[at]idbitrustee.com)



Axis Trustee Services Limited

Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,

Pandurang Budhkar Marg,

Worli, Mumbai - 400 025

Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050

Email: [debenturetrustee\[at\]axistrustee.com](mailto:debenturetrustee[at]axistrustee.com)

विस्तरा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड

आईएल & एफएस वित्तीय केंद्र, प्लॉट संख्या C-22, जी ब्लॉक 7 वां तल
 बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांदा पूर्व मुंबई 400051
 दूरभाष संख्या: +91 22 2659 3535
 फैक्स संख्या: +91 22 2653 3297
 ई-मेल: mumbai[at]vistra.com

11.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:

सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नैशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं।

नीचे दिए गए विवरण अनुसार 31 मार्च, 2020 को बैंक के पास 70,10,53,096 सामान्य शेयर हैं जिनमें से 70,09,67,966 शेयर अमूर्त रूप में हैं :

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	85,130	0.0121
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	8,74,68,302	12.4767
सी.एस.डी.एल.*	61,34,99,664	87.5112
कुल योग	70,10,53,096	100.0000

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 58,23,17,742 सामान्य शेयर सम्मिलित है।

11.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं, भुगतान की आधुनिक पद्धति है जिसमें संबंधित निवेशक के बैंक खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। ईसीएस/एनईसीएस सुविधा के अंतर्गत बैंक ने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रक्षित सभी केंद्रों पर इस सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

11.3 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) डीमेट फॉर्म में बैंकों के शेयर्स को रखने वाले दो डिपोजिटरी हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अद्यतन हेतु सीधे अपने डिपोजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें।

शेयरधारकों, बॉन्ड धारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती हैं तथा वह निवेशकों की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है।



Vistra ITCL (India) Limited
 The IL&FS Financial Center
 Plot No. C-22, G Block, 7th Floor
 Bandra Kurla Complex
 Bandra (East), Mumbai 400051
 Tel: +91 22 2659 3535
 Fax : +91 22 2653 3297
 Email: mumbai[at]vistra.com

11.1. **Dematerialisation of Securities:**

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2020 the Bank has 70,10,53,096 Number of Equity Shares of which 70,09,67,966 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	85,130	0.0121
Dematerialized		
NSDL	8,74,68,302	12.4767
CDSL *	61,34,99,664	87.5112
Grand Total	70,10,53,096	100.0000

* includes 58,23,17,742 equity shares held by the Government of India.

11.2. **Electronic Clearing Services (ECS) :**

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

11.3. **Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:**

The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) are the two depositories holding the Banks shares in Demat Form.

Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.

The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances..

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent.

निवेशक, शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नांकित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल

प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी

सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी

नई दिल्ली-110058

दूरभाष : (011) 41410592 to 0594

फैक्स : (011) 41410591

ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 पर शेयर कक्ष की स्थापना की है जहाँ शेयरधारक अपने सुझाव/ शिकायतों के निराकरण के लिए नीचे दिए गए पर मेल कर सकते हैं :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय : लेखा व लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल

नई दिल्ली 110 008

दूरभाष संख्या : (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स : (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

उपर्युक्त ई-मेल आई डी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 6 (2) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

12. बैंक द्वारा प्राप्त किया गया क्रेडिट रेटिंग :

रेटिंग एजेंसी	टायर II बॉन्ड हेतु रेटिंग	एटी -1 बॉन्ड के लिए रेटिंग
सीएआरई	स्थिर सीएआरई ए से सीएआरई ए नकारात्मक	सीएआरई ए + सीएआरई ए से संशोधित नकारात्मक + स्थिर
क्रिसिल	क्रिसिल ए स्थिर	-
आईसीआरए	आईसीआरए ए - (नकारात्मक) ; आईसीआरए ए (नकारात्मक) से संशोधित	(आईसीआरए ए - (आईसीआरए ए से संशोधित (एचवाईबी) (नकारात्मक) + (एचवाईबी) (नकारात्मक)
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर ए स्थिर	-

13. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :

प्रकृति	राशि
सांविधिक लेखा परीक्षक	7,98,87,625
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,13,63,570

The Investors may contact the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
 Noble Heights, 1st Floor,
 Plot NH 2, C-1 Block LSC,
 Near Savitri Market, Janakpuri,
 New Delhi – 110058
 Phone: (011) 41410592 to 0594
 Fax: (011) 41410591
 E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank
 Head Office: Accounts & Audit Department (Shares Cell),
 21, Rajendra Place, 1st Floor,
 New Delhi -110 008.
 Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
 Fax : (011) 25781639
 E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

12. Credit Ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Additional Tier I Bonds
CARE	CARE AA Negative revised from CARE AA Stable	CARE A+ Negative revised from CARE A+ Stable
CRISIL	CRISIL AA Stable	-
ICRA	ICRA AA- (Negative); revised from ICRA AA (Negative)	[ICRA]A-(hyb)(Negative) revised from [ICRA] A+(hyb)(Negative)
BRICKWORK	BWR AA Stable	-

13. Details of fees paid to Statutory Auditors during the year:

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	7,98,87,625
Statutory Central Auditors	1,13,63,570

14. निलंब खाते में आबंटितियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2020) :

क्र. संख्या	विवरण	एनएसडीएल इन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

01.04.2019 तक लंबित शिकायतों की संख्या	1
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	4
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	2
31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या	3

16. कंपनी अभिशासन

बैंक ने उन पद्धतियों, परिपाटियों व संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो जमाकर्ताओं सहित अपने वित्तीय हितधारकों को गुणवत्तापूर्वक कंपनी अभिशासन पर उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक में पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुपरिभाषित कार्यकारी प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड व वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति व कार्यों में पारदर्शिता तथा इसके निरीक्षण विभाग व स्वतंत्र लेखापरीक्षक फर्मों द्वारा संपन्न विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली विद्यमान है।

17. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020	
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	11.08.2020 (मंगलवार)
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	पूर्वाह्न 10.00 बजे
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	पंजाब एण्ड सिंध बैंक की दसवी एजीएम वीसी के द्वारा की जाएगी एवं दसवें एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बहियों को बंद करने की तारीख	05.08.2020 से 11.08.2020

14. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2020):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

15. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2019	1
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	4
Number of complaints disposed off during the year	2
Number of complaints pending as on 31.03.2020	3

16. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

17. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2019 to 31st March, 2020	
Date of Tenth Annual General Meeting.	11.08.2020 (Tuesday)
Time of Tenth Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Tenth Annual General Meeting	10th AGM of Punjab & Sind Bank will be held through VC and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank
Book Closure dates	05.08.2020 to 11.08.2020

18. 31 मार्च 2020 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	ईक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	582317742	83.06
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	15	43044633	6.14
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	0
4.	निगमित निकाय	428	3655834	0.52
5.	व्यैक्तिक निवासी	117844	63605383	9.08
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	5874	1482907	0.21
7.	अनिवासी भारतीय	1007	1212628	0.17
8.	विदेशी संविभाग निवेशक (सामूहिक)	3	5321351	0.76
9.	न्यास	8	280722	0.04
10.	समाशोधन सदस्य	58	131896	0.02
	कुल	125238	701053096	100.00

19. शेयरधारिता (शेयर्स) का वितरण - 31 मार्च 2020 को श्रेणीवार

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 - 500	104925	86.6118	9394258	1.3400
501 - 1000	4410	3.6403	3522974	0.5025
1001 - 2000	2132	1.7599	3178910	0.4534
2001 - 3000	2200	1.816	5218658	0.7444
3001 - 4000	357	0.2947	1267518	0.1808
4001 - 5000	3681	3.0385	16016780	2.2847
5001 - 10000	2949	2.4343	18511229	2.6405
10001 और अधिक	490	0.4045	643942769	91.8537
कुल योग	121144	100.00	701053096	100.00

18. Shareholding Pattern as on 31st March 2020

S. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	582317742	83.06
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	15	43044633	6.14
3.	Foreign Institutional Investors	-	-	0
4.	Bodies Corporate	428	3655834	0.52
5.	Resident Individuals	117844	63605383	9.08
6.	Hindu Undivided Family	5874	1482907	0.21
7.	Non Resident Indians	1007	1212628	0.17
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	3	5321351	0.76
9.	Trusts	8	280722	0.04
10.	Clearing Members	58	131896	0.02
	Total	125238	701053096	100.00


19. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2020

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	104925	86.6118	9394258	1.3400
501 – 1000	4410	3.6403	3522974	0.5025
1001 – 2000	2132	1.7599	3178910	0.4534
2001 – 3000	2200	1.816	5218658	0.7444
3001 – 4000	357	0.2947	1267518	0.1808
4001 – 5000	3681	3.0385	16016780	2.2847
5001 – 10000	2949	2.4343	18511229	2.6405
10001 & Above	490	0.4045	643942769	91.8537
TOTAL	121144	100.00	701053096	100.00

20. शेयर बाजारों में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)					बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)				
	उच्चतम (₹.)	न्यूनतम (₹.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बंद	बंद	उच्चतम (₹.)	न्यूनतम (₹.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	बी.एस.ई. बंद	बंद
अप्रैल, 2019	33.70	27.00	1966310	11748.15	27.65	33.50	27.50	78673	39031.55	27.90
मई, 2019	31.50	26.00	1929107	11922.80	27.85	31.00	25.10	86861	39714.20	28.00
जून, 2019	28.95	23.25	1334414	11788.85	27.25	29.85	23.10	195512	39394.64	27.20
जुलाई, 2019	27.80	22.85	1679678	11118.00	23.05	28.65	22.85	156329	37481.12	23.00
अगस्त, 2019	27.65	16.80	1410160	11023.25	21.30	26.65	18.85	141648	37332.79	21.25
सितम्बर, 2019	21.60	19.10	1739565	11474.45	19.25	21.50	18.35	151607	38667.33	19.15
अक्टूबर, 2019	20.85	16.70	1095093	11877.45	20.60	21.00	16.00	130116	40129.05	20.50
नवम्बर, 2019	22.85	17.85	3107324	12056.05	20.15	22.85	18.00	164767	40793.81	20.20
दिसम्बर, 2019	23.00	18.05	1845595	12168.45	21.00	22.90	18.40	122064	41253.74	21.10
जनवरी, 2020	24.10	19.20	1439310	11962.10	19.90	23.05	19.00	109967	40723.49	19.95
फरवरी, 2020	19.85	14.70	1213591	11201.75	15.25	19.90	15.30	233785	38297.29	15.55
मार्च, 2020	16.20	9.30	1922963	8597.75	11.00	16.00	9.20	117372	29468.49	11.15


बैंक निफ्टी आमने-सामने बैंक शेयर्स के प्रदर्शन का ग्राफिकल चित्रण नीचे दिया गया है :



20. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	NIFTY Close	Close	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Sensex Close	Close
Apr 2019	33.70	27.00	1966310	11748.15	27.65	33.50	27.50	78673	39031.55	27.90
May 2019	31.50	26.00	1929107	11922.80	27.85	31.00	25.10	86861	39714.20	28.00
Jun 2019	28.95	23.25	1334414	11788.85	27.25	29.85	23.10	195512	39394.64	27.20
Jul 2019	27.80	22.85	1679678	11118.00	23.05	28.65	22.85	156329	37481.12	23.00
Aug 2019	27.65	16.80	1410160	11023.25	21.30	26.65	18.85	141648	37332.79	21.25
Sep 2019	21.60	19.10	1739565	11474.45	19.25	21.50	18.35	151607	38667.33	19.15
Oct 2019	20.85	16.70	1095093	11877.45	20.60	21.00	16.00	130116	40129.05	20.50
Nov 2019	22.85	17.85	3107324	12056.05	20.15	22.85	18.00	164767	40793.81	20.20
Dec 2019	23.00	18.05	1845595	12168.45	21.00	22.90	18.40	122064	41253.74	21.10
Jan 2020	24.10	19.20	1439310	11962.10	19.90	23.05	19.00	109967	40723.49	19.95
Feb 2020	19.85	14.70	1213591	11201.75	15.25	19.90	15.30	233785	38297.29	15.55
Mar 2020	16.20	9.30	1922963	8597.75	11.00	16.00	9.20	117372	29468.49	11.15

The graphical depiction of performance of banks share vis-à-vis Bank Nifty is given below:



21. 31 मार्च, 2020 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण :

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9	453	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4662	2323592	0.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	94	57348	0.01
4.	असम	488	276926	0.04
5.	बिहार	1665	2581656	0.37
6.	चंडीगढ़	887	1214341	0.17
7.	छत्तीसगढ़	598	364468	0.05
8.	दादर व नगर हवेली	14	4675	0.00
9.	दमन व दीव	8	502	0.00
10.	दिल्ली	11672	590955900	84.30
11.	गोवा	168	65669	0.01
12.	गुजरात	20684	3729595	0.53
13.	हरियाणा	4683	4516242	0.65
14.	हिमाचल प्रदेश	476	1049755	0.15
15.	जम्मू व कश्मीर	297	438731	0.06
16.	झारखंड	1223	1402110	0.20
17.	कर्नाटका	5011	1686953	0.24
18.	केरला	1260	790606	0.11
19.	मध्यप्रदेश	3424	2129301	0.31
20.	महाराष्ट्र	21532	57189698	8.16
21.	मणिपुर	47	197401	0.03
22.	मेघालय	17	12631	0.00
23.	मिजोरम	4	10832	0.00
24.	नागालैंड	28	36024	0.01
25.	ओडिसा	839	713935	0.11
26.	अन्य	1258	789980	0.11
27.	पंडुचेरी	60	26949	0.00
28.	पंजाब	6643	9960942	1.42
29.	राजस्थान	11206	4988347	0.71
30.	सिक्किम	2	7500	0.00
31.	तमिलनाडु	5618	2051386	0.29
32.	त्रिपुरा	36	47686	0.01
33.	उत्तरप्रदेश	7687	7112681	1.01

21. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2020

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	Andaman and Nicobar Islands	9	453	0.00
2.	Andhra Pradesh	4662	2323592	0.33
3.	Arunachal Pradesh	94	57348	0.01
4.	Assam	488	276926	0.04
5.	Bihar	1665	2581656	0.37
6.	Chandigarh	887	1214341	0.17
7.	Chhattisgarh	598	364468	0.05
8.	Dadar Nagar Haveli	14	4675	0.00
9.	Daman and Diu	8	502	0.00
10.	Delhi	11672	590955900	84.30
11.	Goa	168	65669	0.01
12.	Gujarat	20684	3729595	0.53
13.	Haryana	4683	4516242	0.65
14.	Himachal Pradesh	476	1049755	0.15
15.	Jammu and Kashmir	297	438731	0.06
16.	Jharkhand	1223	1402110	0.20
17.	Karnataka	5011	1686953	0.24
18.	Kerala	1260	790606	0.11
19.	Madhya Pradesh	3424	2129301	0.31
20.	Maharashtra	21532	57189698	8.16
21.	Manipur	47	197401	0.03
22.	Meghalaya	17	12631	0.00
23.	Mizoram	4	10832	0.00
24.	Nagaland	28	36024	0.01
25.	Orissa	839	713935	0.11
26.	OTHERS	1258	789980	0.11
27.	Pondicherry	60	26949	0.00
28.	Punjab	6643	9960942	1.42
29.	Rajasthan	11206	4988347	0.71
30.	Sikkim	2	7500	0.00
31.	Tamil Nadu	5618	2051386	0.29
32.	Tripura	36	47686	0.01
33.	Uttar Pradesh	7687	7112681	1.01

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
34.	उत्तराखंड	761	932208	0.13
35.	पश्चिम बंगाल	8083	3386073	0.48
	कुल योग	121144	701053096	100.00

22. कंपनी सचिव के प्रमाण पत्र के अनुसार किसी कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से विवर्जित या अनर्ह नहीं ठहराया गया है, जिसका उल्लेख नीचे दिया गया है :

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
34.	Uttarakhand	761	932208	0.13
35.	West Bengal	8083	3386073	0.48
	Total	121144	701053096	100.00

22. A certificate from a company secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any statutory authority has been obtained is provided below:



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

DR ASSOCIATES
Company Secretaries



304, Padma Tower- II,
Rajendra Place,
New Delhi – 110 008
Tel:- 91-11- 45063990, 4777 5059
E-mail: dr@drassociates.org
Website: www.drassociates.org

निदेशकों के गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र

सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा C खंड (10) (i) के अंतर्गत (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं अधिनियम, 2015)

सदस्य,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली 8

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका पंजीकरण कार्यालय के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और खुलासे की जांच प्रमाण पत्र जारी करने के लिए की है, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 8 में, (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (विनियमन जोकि 34(3) अनुसूची v पैरा c खंड(10)(i)के अनुरूप है।

हमारे विचार और हमारी जानकारी के अनुसार बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा हमें दी गई आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) स्थिति सहित) के सत्यापन के अनुसार, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कंपनी मामलों के मंत्रालय या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में बने रहने अथवा नियुक्त करने से अपात्र या अयोग्य घोषित नहीं किया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एकमत व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

डीआर एसोसिएट
कंपनी सचिव

सुचिता कोली
कंपनी सचिव
एफसीएस 1647; सीपी नं. : 714
यूडीआईएन: F001647b000364537

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून 2020

DR ASSOCIATES
Company Secretaries



304, Padma Tower- II,
Rajendra Place,
New Delhi – 110 008
Tel:- 91-11- 45063990, 4777 5059
E-mail: dr@drassociates.org
Website: www.drassociates.org

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members of
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having registered office at 21, Rajendra Place, New Delhi 8 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For DR Associates
Company Secretaries

Suchitta Koley
Partner
CP No.: 714
FCS: 1647
UDIN: F001647B000364451

Place: New Delhi
Date: 22nd June 2020



कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण - पत्र

प्रति : पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

हमने सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियमावली, 2015 तथा सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारा अवलोकन, उन प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सिमित था जिसे कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाया गया था। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारी राय व जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियमावली, 2015 तथा सूचीकरण करार अनुबद्ध अनुसार कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह अभिकथन है कि इस तरह के अनुपालन न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है और न ही कार्यक्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसमें प्रबंधन ने बैंक मामलों का संचालन किया है।

कृते एस मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)

पार्टनर

एम. नं. 080500

एफआरएन : 000075N

यूडीआईएन :

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(बलदेव गर्ग)

पार्टनर

एम.नं. 092225

एफआरएन : 013148N

यूडीआईएन :

कृते सुरेश चन्द्र एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)

पार्टनर

एम. नं. : 090205

एफआरएन : 001359N

यूडीआईएन :

कृते राज गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

(संदीप गुप्ता)

पार्टनर

एम. नं. : 529774

एफआरएन : 000203N

यूडीआईएन :

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27 जून, 2020

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2020 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S.Mann & Co.

Chartered Accountants

(Subhash Mann)

Partner

M. No. 080500

FRN : 000075N

UDIN:

For Baldev Kumar & Co.

Chartered Accountants

(Baldev Garg)

Partner

M. No. 092225

FRN : 013148N

UDIN:

For Suresh Chandra & Associates

Chartered Accountants

(Madhur Gupta)

Partner

M. No. 090205

FRN : 001359N

UDIN:

For Raj Gupta & Co.

Chartered Accountants

(Raj Gupta)

Partner

M. No. 017039

FRN : 000203N

UDIN:

Place : New Delhi

Dated: 27 June, 2020



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

**विषय: सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं)
विनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए घोषणा।**

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों तथा उच्च प्रबंधन कर्मिकों ने शेयर बाजारों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची - v के प्रसंग में किए गए सूचीयन करार के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.06.2020

(एस हरिशंकर)
एमडी व सीईओ

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए सीएफओ/सीईओ प्रमाणीकरण।

सेबी (एलओडीआर) 2015 के कंपनी अभिशासन की अनुसूची-II के अनुपालन प्रमाणपत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार

- 1) इन विवरणियों में कोई भी विषयगत असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया नहीं गया है या भ्रामक विवरणियों को शामिल नहीं किया गया है।
- 2) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों व विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संत्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी में लिस हो, गैर कानूनी हो या बैंक के आचार संहिता के विरुद्ध हो।

ग. हम वित्तीय सूचना देने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने व बनाए रखने के लिए दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय विवरण से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व संचालन में कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में हैं तथा हमने इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, के विषय में लेखा परीक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बताया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराया है :

- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव तथा इसका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट में कर दिया गया है; तथा
- 3) हमारे संज्ञान में आए विशिष्ट धोखाधड़ी के दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता (यदि हो) जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(हरविन्द्र सचदेव)
मुख्य वित्त अधिकारी

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.06.2020

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Re: Declaration for 2019-20 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2020 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 29 June, 2020

(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2019-20

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
- 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
- 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank
(Harvinder Sachdev)
Chief Financial Officer

For Punjab & Sind Bank
(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : New Delhi
Dated : 29 June, 2020

व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड ए : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	अप्रयोज्य
2	कंपनी का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3	पंजीकृत पता	बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
4	वेबसाइट	www.psbindia.com
5	ई-मेल आईडी	complianceofficer@psb.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2019-20
7	क्षेत्र (ओं) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्त
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची, जो कंपनी उत्पादन करती है/उपलब्ध कराती है (जैसा कि तुलन पत्र में दिया गया है)	1. जमाराशि 2. ऋण व अग्रिम 3. प्रत्येक्षण व संग्रहण
9	स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है : 1) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख पांच स्थानों का विवरण) 2) राष्ट्रीय स्थानों का संख्या	शून्य बैंक के 25 आंचलिक कार्यालय हैं जिनमें 1526 शाखाएं शामिल हैं।
10	कंपनी द्वारा बाजारों में प्रदान की जा रही सेवा - स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (रुपये में)	701.05 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (रुपये में)	152231.75 करोड़
3.	कराधान के बाद कुल लाभ (रुपये में)	(-) 990.80 करोड़
4.	कर के पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	रुपये 1.32 लाख
5.	गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 को व्यय किया गया है :	केरला एर्नाकुलम, केरला जिले के चयनित जल दुर्लभ पंचायत में "कृत्रिम कुआँ रिचार्जिंग तकनीक पर निरूपन एवं जागरूकता सृजन" के लिए जल और पर्यावरण विकास संगठन (डब्ल्यूईडीओ), एनजीओ को सीएसआर निधि का आबंटन

खंड सी : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है?	नहीं
2	क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां, मूल कंपनी के व्यवसायिक दायित्व पहल में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ तो, ऐसी अनुषंगी कंपनी (यों) की संख्या इंगित करें।	अप्रयोज्य
3	क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के व्यवसायिक उत्तरदायित्व में सहभागिता करती है? यदि हाँ तो इस प्रकार की कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत दर्शाएं।	अप्रयोज्य

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number(CIN) of the Company	N.A.
2.	Name of the Company	PUNJAB & SIND BANK
3.	Registered Address	Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
4.	Website	www.psbindia.com
5.	E-mail ID	complianceofficer@psb.co.in
6.	Financial Year reported	2019-20
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Deposits 2. Loans & Advances 3. Remittances & Collections
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company a) Number of International Locations (Provide details of major 5) b) Number of National Locations	Nil Bank has 25 Zonal Offices comprising of 1526 branches.
10.	Markets served by the Company-Local/State/National/ International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR)	701.05 crore
2.	Total Turnover (INR)	152231.75 crore
3.	Total profit after Taxes (INR)	(-)-990.80 crore
4.	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	Rs 1.32 Lacs
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	Allocation of CSR funds to Water and Environment Development Organisation (WEDO), NGO, for "Demonstration and Awareness creation on Artificial well Recharging Technique, in Selected Water Scarce Panchayat of Ernakulum District", Kerala

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	No
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	Not Applicable
3.	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%)	Not Applicable

खंड डी : बी आर जानकारी

1. व्यवसायिक दायित्वों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

a) व्यवसायिक दायित्व नीति/नितियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण :

1. डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2. नाम	डॉ. फरीद अहमद
3. पदनाम	कार्यकारी निदेशक

b) व्यवसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

क्र.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2	नाम	श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष नंबर	011-25782928
5	ई-मेल आईडी	gmaccounts@psb.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजीएस अनुसार) व्यवसायिक दायित्व नीति/नीतियां :

a) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या उस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की एक विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं।	*	*	*	*	*	*	नहीं	*	नहीं
7	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य शेरधारकों को औपचारिक तरीके से नीति के विषय में सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या नीति/नितियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति/नितियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नितियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र/व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यप्रणाली का स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

बैंक द्वारा सभी नीतियों का अनुसरण आरबीआई, एमओएफ, भारतीय संविधान द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है इसलिए वे राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं।

* बैंक की नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं है।

SECTION D: BR INFORMATION**1. Details of Director/Directors responsible for BR**

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

1. DIN Number	N.A.
2. Name	Dr. Fareed Ahmed
3. Designation	Executive Director

b) Details of the BR Head

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Mr Vinay Kumar Mehrotra
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	011-25782928
5.	E-Mail ID	gmaccounts@psb.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

a) Details of compliance (Reply in Y/N) –

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national/international standards? If yes, specify (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	*	*	*	*	*	*	N	*	N
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

All the policies are followed by Bank are in conformity with the guidelines issued by RBI, MOF, Constitutions of India, legal Acts etc. Hence they confirm to national standards.

* The policies of the Bank are internal documents and are not accessible to the public.

- b) यदि क्रम संख्या 1 के प्रश्नों में किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कारण स्पष्ट करें : दो विकल्पों तक चिन्हित करें - सभी संबंधित विभागों द्वारा भरा जाए।

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई।	<p>पी 7 के लिए नीति नहीं होने का कारण :</p> <p>हालांकि सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, बैंक इन संघों का सदस्य होने के नाते सीधे नीति निर्माताओं और नीति निर्माण संघों के साथ कार्य करता है, खासकर उन नीतियों को विकसित करने में जो बैंकिंग उद्योग के कामकाज व विनियमन और बैंकिंग उद्योग के सतत विकास को संचालित करती है।</p>								
2	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन कर सके।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4	इसे आगामी छह माह में संपन्न किए जाने की योजना है।									
5	इसे आगामी एक वर्ष में संपन्न किए जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया विवरण दें)									

3. व्यवसायिक दायित्वों से संबंधित अभिशासन

(A) निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए संबंधित आवधिकता का उल्लेख करें: 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	कंपनी के व्यवसायिक दायित्वों के निष्पादन के आकलन के लिए निदेशक मंडल वर्ष में एक बार मिलता है।
(b) क्या कंपनी व्यवसायिक दायित्व या प्रतिधारण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु हार्डपरलिनक क्या है ? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	बैंक बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और इसका अवलोकन करने हेतु हार्डपरलिनक https://www.psbindia.com/system/uploads/document/2150_2020071812511785679.pdf है।

खंड ई : सिद्धांत वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और संचालित करना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या नैतिकता, रिश्तत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित करती है? हाँ/नहीं	<p>जी हाँ, यह केवल बैंक के रक्षित करता है। बैंक समय-समय पर शासन, सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। यह वर्ष 1908 था जब देश के गरीबों में गरीब के उत्थान के लिए भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जैसे दिग्गजों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म हुआ था।</p> <p>बैंक की स्थापना सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आर्थिक प्रयासों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु की गई थी। हालांकि दशकों निकल गए हैं लेकिन आज भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, संस्थापक जन्मदाताओं की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) अधिकारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) भरी जाती है तथा इसकी 100% जांच पडताल की जाती है। 2) प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों, जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है, की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। 3) मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशील जगहों पर न हो। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। <p>अप्रयोज्य</p>
	क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्य तक विस्तृत है?	

b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is “NO”, please explain why: Tick up to 2 options) - **To be filled by all the concerned departments**

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having policy for P7:- While there is no written policy for Principle 7, Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next one year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. **Governance related to BR**

(a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	The Board of Directors meets annually to assess the BR performance of the company.
(b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	The Bank publishes the BR report and the hyperlink for viewing this is https://www.psbindia.com/system/uploads/document/2150_2020071812511785679.pdf

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

No.	Question	Reply
1.	Does the policy relating to ethic, bribery and corruption cover only the company? Yes/No.	Yes, it covers the Bank only. Bank follows guidelines issued by Govt., CVC from time to time. It was in the year 1908, when a humble idea to uplift the poorest of poor of the land culminated in the birth of Punjab & Sind Bank with the far-sighted vision of luminaries like Bhai Vir Singh, Sir Sunder Singh Majitha and Sardar Tarlochan Singh. The bank was founded on the principle of social commitment to help the weaker section of the society in their economic endeavors to raise their standard of life. Though decades have gone by but even today Punjab & Sind Bank stands committed to honor the social commitments of the founding fathers. Bank has arrangements regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under: 1) Annual Property Returns (APR) are filed by the Officers and 100% scrutiny is carried out. 2) Agreed List and List of Officers of Doubtful integrity is prepared by HO Vigilance Department. 3) It is ensured by HRD Department that the Officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.
	Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Not applicable

2	विगत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से हल किया गया है? यदि ऐसा है तो उसका 50 शब्दों में उसका विवरण दें।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 22291 शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा इनमें से 22152 (99.38%) शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक सुप्रशिक्षित ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है और इस धारणा के लिए प्रतिबद्ध है कि तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद और स्टाफ कौशल का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाए।
---	---	---

सिद्धांत 2

व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में दीर्घकालीन योगदान करती हैं :

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	अपने 3 उन उत्पादों एवं सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरोपित किया गया है।	<p>बैंक ने वंचित और अयोग्य वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन को लागू किया है और बैंक का प्रयास इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए किया गया है, अर्थात् "बहिष्कृत का समावेश" और उन्हें समाज में एक उत्पादक संपत्ति बनाते हैं। बैंक की प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बैंक को कुल 3192 गाँव आवंटित किए गए हैं। सभी 3192 गाँवों को कवर करने के लिए सभी 961 सब सर्विस एरिया (SSAs) का गठन किया गया था। सभी एसएसए बैंक द्वारा या तो नियमित रूप से साधारण शाखाएं खोलकर या सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। 2. 353 बीसीज बैंक द्वारा आज के दिन से आँचलिक कार्यालयों / शाखाओं में लगे हैं और बैंक के द्वारा उन्हें माइक्रो-एटीएम प्रदान किया है और मैसर्स टीसीएस के माध्यम से वित्तीय समावेशन गेटवे लागू किया है। ई-केवाईसी को बीसी बिंदुओं पर लागू किया गया है, जिसने ग्राहकों को आधार आधारित खातों को खोलने और विभिन्न आधार आधारित लेनदेन (यानी जमा / आहरण / फंड अंतरण) को आसानी से बायोमीट्रिक सहायता से आसानी से किया है। 3. बैंक ने 151 आधार नामांकन केंद्र (AECs) (अर्थात् अपनी 10% शाखाओं में) स्थापित किए हैं। ये 151 आधार नामांकन केंद्र सभी राज्यों के ग्राहक को आधार जनरेशन / अपडेशन सेवा प्रदान करते हैं।
2	<p>ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, प्रति यूनिट उत्पाद (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कचरा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:</p> <p>(क) इस संदर्भ में पिछले वर्ष से साधनों/उत्पादन/वितरण के दौरान उपयोगिता में लाई गई कमी ?</p> <p>(ख) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई गई कमी ?</p>	सेवा संस्था होने के नाते यह अनुभाग लागू नहीं है।

2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	During the Financial Year 2019-20, 22291 complaints were received, out of which 22152 (99.38%) complaints were satisfactorily resolved. The bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board and a well instructed Customer Grievances Redressal Mechanism. The Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers and is committed to the belief that all technology, process, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers without fail.
----	---	---

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

No.	Question	Reply
1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities	<p>Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank has been allotted total 3192 villages. All 961 Sub Service Areas (SSAs) were formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the Bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. 2. 353 BCs has been engaged by Bank as on date through Zonal Offices/Branches & Bank has provided them MICRO-ATM and implemented Financial Inclusion Gateway through M/s TCS. E-KYC has been implemented at BC points, which has helped the customers in opening of Aadhaar based accounts & performing various Aadhaar based transactions (i.e. Deposit/Withdrawal/fund transfer) easily with the help of bio metric Authentication. 3. Bank has set up 151 Aadhaar Enrolment Centers (AECs) (i.e. in 10% of its Branches). These 151 AECs provide Aadhaar Generation / Updation services to the customer of all the states.
2.	<p>For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Reduction during sourcing/ production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain? b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? 	Being a service organization this section is not applicable.

3	क्या कंपनी की संसाधन प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थाई रूप से प्राप्त किया गया था? इसके अलावा लगभग 50 शब्दों में, विवरण प्रदान करें।	अप्रयोज्य
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	अप्रयोज्य
5	क्या कम्पनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की पुनर्निर्माण की प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं के पुनर्निर्माण का प्रतिशत क्या है? (अलग-अलग जैसे <5%,5-10%, >10%.) साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।	अप्रयोज्य

सिद्धांत 3

व्यवसाय से सभी कर्मचारियों के हित संवर्धन होने चाहिए

क्र.	प्रश्न	उत्तर																
1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं।	8890																
2	कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं।	1 (सीसीएसओ/CCSO)																
3	कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	2560																
4	कृपया दिव्यांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	274																
5	क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन के द्वारा मान्य है ?	हां, 31.03.2019 तक अखिल भारतीय पी.एस.बी. कर्मचारी संगठन बहुसंख्यक वर्कमैन संघ है। 31.03.2019 तक अखिल भारतीय पी.एस.बी. ऑफिसर्स फेडरेशन बहुमत अधिकारी संघ है।																
6	आपके स्थाई कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं	वर्तमान में चल रहे कोविड-19 संकट के कारण 31.03.2020 तक वर्कमैन के साथ-साथ अधिकारी संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।																
7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं :																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं</th> <th>श्रेणी</th> <th>वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या</th> <th>वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>यौन उत्पीड़न</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>भेदभावपूर्ण कार्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	1.	बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	2.	यौन उत्पीड़न	4	3	3.	भेदभावपूर्ण कार्य	शून्य	शून्य	
क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या															
1.	बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य															
2.	यौन उत्पीड़न	4	3															
3.	भेदभावपूर्ण कार्य	शून्य	शून्य															
8	पिछले वर्ष नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? क) स्थाई कर्मचारी ख) स्थाई महिला कर्मचारी ग) आकस्मिक/अस्थाई/संविदाकर्मचारी घ) दिव्यांग कर्मचारी	59.73% 44.41% शून्य 69.98%																

3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Not Applicable
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

No.	Question	Reply
1.	Please indicate the total number of employees	8890
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis	1 (CCSO)
3.	Please indicate the number of permanent women employees	2560
4.	Please indicate the number of permanent employees with disabilities	274
5.	Do you have an employee association that is recognized by Management	Yes All India PSB Staff organization is the majority workmen union as on 31.03.2019 All India PSB Officers Federation is the majority officer Union as on 31.03.2019
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	The process of verification of membership strength of workmen as well as officer union as on 31.03.2020 has not been completed yet due to ongoing COVID-19 crisis.
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.	
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up- gradation training in the last year? a) Permanent Employees b) Permanent Women Employees c) Casual/Temporary/Contractual Employees d) Employees with Disabilities	59.73% 44.41% NIL 69.98%

सिद्धांत 4

व्यवसाय के हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं? हाँ/नहीं	हां, बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं बैंक ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों को लाभ पहुंचाने और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।
2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों की पहचान कर ली है ?	हां, बैंक वंचित, सीमांत तथा कमजोर हितधारकों की वित्तीय सेवाओं और बीमा कवर पर पहुंच को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, कमजोर वर्ग को ऋण, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
3	क्या कम्पनी ने वंचित कमजोर और लाभांश रहित के हितधारकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पहल की है यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	<p>बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को ऋण देने के लिए कई कदम उठाए हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन, वित्तीय साक्षरता के संबंध में जागरूकता का निर्माण, डिजिटल लेनदेन के लिए समस्त शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंजाब के तीन जिलों अर्थात् लुधियाना, फरीदकोट व मोगा में हमारे बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया है। • बैंक ने बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने हेतु रु. 5.00 लाख तक के ऋण हथकरघा बुनकरों को देने अर्थात् लचीलेपन तथा कम लागत पर कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश के प्रयोजन हेतु "पी&एसबी बुनकर मुद्रा योजना" का शुभारंभ किया है। • पीएसबी फार्म मशीनीकरण योजना को फार्म के मशीनीकरण अर्थात् ट्रैक्टर/ कंबाईन हार्वेस्टर/पाँवर ट्रिलर/रीपर/ट्रॉली/ पुराने ट्रैक्टरों/ उपकरणों आदि को वित्त पोषित करने हेतु आरंभ किया गया है। • किसानों के लिए दो पहिया/जीप/कार/विशेष उपयोगिता वाहन (एसयूवी) के वित्तपोषण के लिए " पीएसबी स्कीन किसानों के लिए दो पहिया/जीप/ कार/ विशेष उपयोगिता वाहन (एसयूवी) के वित्तपोषण" शुरू की गई है। • बैंक ने के.सी.सी. योजना के अंतर्गत संस्वीकृति/ नवीकरण के समय फसली ऋणों पर रु. 3.00 लाख तक प्रसंस्करण शुल्क समाप्त कर दिए हैं और के.सी.सी. के वार्षिक नवीकरण प्रभारों को औचित्यपूर्ण कर दिया है। • बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरल शर्तों पर छोटे ऋणियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा वित्तपोषित करने हेतु "पीएसबी ईको-राईड योजना" आरंभ की है। • पीएमएमवाई के अंतर्गत ब्याज दर को कम कर दिया गया है और बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹ 2.00 लाख तक के ऋणों को एमसीएलआर पर प्रदान कर रहा है। • मुद्रा ऋणों के शिशु वर्ग के अंतर्गत (रु. 50,000/- तक) मार्जिन को 25% से घटा कर 10% कर दिया है। • बैंक ने कृषि-उपज ऋण (गोदाम रसीद के खिलाफ) के वित्तपोषण के लिए मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC), मैसर्स नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (NCML) और मैसर्स प्रेस्टीज बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन (P) लिमिटेड (PHCL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

Principle 4

Business should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

No.	Question	Reply
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes, Bank has mapped its internal and external stakeholder. Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, Bank adheres to the RBI guidelines on Priority Sector Lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker sections, SHGs, etc and government led initiatives to improve access to financial services and insurance cover for reaching out to the disadvantaged, marginalized and vulnerable stakeholders.
3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	<p>Bank has taken various initiatives to increase its lending to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as under:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Our Bank has been entrusted with the responsibility of LEAD BANK in three districts of Punjab viz. Ludhiana, Faridkot and Moga for effective implementation of all Govt sponsored schemes for poverty alleviation and employment generation, creation of awareness in respect of Financial literacy, Digital transactions. • Bank has launched a scheme “P&SB Weaver’s MUDRA Scheme” for extending loans upto Rs.5.00 lakhs to handloom weavers to provide adequate and timely assistance to the weavers to meet their credit requirements i.e. for investments need as well as for working capital, in a flexible and cost effective manner. • PSB Farm Mechanization Scheme has launched for financing of Farm Mechanization i.e. financing of Tractor/ Combine Harvester/ Power Tiller/ Reaper/ Trolley/ Old Tractors/ implements etc. • “PSB Scheme of Financing Two Wheeler/Jeep/Car/Suv for Farmers” has launched for financing Two wheeler/ Jeep/ Car/ Special Utility Vehicles (SUV) for Agriculturist introduced. • Bank has waived the processing fee on crop loans under KCC scheme upto Rs.3.00 Lakh at the time of Sanction/Renewal and also rationalized the Annual renewal charges of KCC. • Bank has launched “PSB ECO-RIDE Scheme” for financing E-Rickshaw under MUDRA Scheme to Micro borrowers on easy terms to create employment opportunities for the poor strata of society. • Rate of interest under PMMY has been reduced and the bank is offering Mudra loans upto Rs.2.00 lakh at MCLR. • Under the Shishu category of Mudra loan (upto Rs. 50,000/-), margin has been reduced from 25% to 10%. • Bank has signed MoU with M/s Central warehousing Corporation (CWC), M/s National Collateral Management Services Limited (NCML) and M/s Prestige Bulk Handling Corporation (P) Ltd (PHCL) for financing Agri-Produce Pledge Loan (against warehouse receipt).

	<ul style="list-style-type: none"> • हमारे बैंक में लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरएसईटीआई हैं, जो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास के लिए पी.एस.बी. ट्रस्ट आरएसईटीआई के सभी प्रशिक्षण खर्चों को वहन करता है। • आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 17 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। <p>वित्तीय समावेशन गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए, बैंक ने बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर एफ.एल.सी./आरएसईटीआई वेब पोर्टल लॉन्च किया है।</p> <p>आंतरिक हितधारक:</p> <p>i. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिक:</p> <p>बैंक अपने कर्मचारियों के साथ जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है। बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों हेतु कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराता है जैसे कि:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) दिनांक 31.03.2020 को पदोन्नति से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों जिनमें 386 अनुसूचित जाति, 146 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 444 कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। b) लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण प्रदान किया गया। c) अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें/विषयों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के पद का अधिकारी समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त है। इसके अतिरिक्त, आंचलिक कार्यालय स्तर पर मानव संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों के समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। <p>ii. दिव्यांग व्यक्ति: बैंक, एक नियोक्ता के रूप में अपने सभी कार्मिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। विकलांग व्यक्ति को कार्य सौंपते समय इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी विकलांगता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य सरलता से कर सकें। विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से कुछ लाभ/अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं जैसे कि नियुक्ति का सुविधाजनक स्थान, ग्रामीण/अर्ध-शहरी नियुक्ति से छूट, वाहन भत्ते का भुगतान आदि।</p> <p>दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति</p> <p>विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कार्य वातावरण दिव्यांगजन के खिलाफ किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्रवाई करता है कि दिव्यांगजन को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें और वहां उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Our bank has three RSETIs at Ludhiana, Moga and Faridkot which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. • With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at Block level. Presently, our bank has 17 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. <p>To popularize financial inclusion activities, Bank has launched FLC/RSETI Web Portal at Bank's website www.psbindia.com.</p> <p>Internal stakeholders:</p> <p>i. SC/ST Employees:</p> <p>The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance employees belonging to SC/ST employees such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pre- promotion training to SC/ST/OBC employees as on 31.03.2020, 386 SC, 146 ST & 444 OBC employees were imparted Pre- promotion trainings. b) The Reservations have been given to SC/ST employees in promotion process as per Government guidelines for promotions from Clerical Cadre to Officer Cadre. c) The Bank has designated Chief Liaison Officer of the rank of General Manager at Head Office for effectively addressing issues/grievances of SC/ST employees. In addition to this Head of the HR Department at Zonal offices are working as liaison officer for SC/ST/OBC/PHC employees. <p>ii. Persons with disabilities: The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability. Certain benefits/considerations are especially extended to persons with disabilities such as convenient place of posting, exemption from rural/ semi-urban posting, payment of conveyance allowance etc.</p> <p>Equal Opportunity Policy For Divyangjan</p> <p>In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan. Further, the Bank takes all actions to ensure that a conducive environment is provided to divyangjan to enable them to perform their role and excel in the same.</p>
--	--

	<p>यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक की प्रणाली और प्रक्रियाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगजन कर्मचारी समानता के अधिकार को प्राप्त करते हैं, गरिमा के साथ रहते हैं और दूसरे उनके साथ समान रूप से उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हैं। • उचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजन कर्मचारियों की क्षमता का उपयोग करना • किसी भी दिव्यांगजन कर्मचारियों को विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि लगाया गया अधिनियम या चूक एक वैध उद्देश्य प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है। • कोई भी व्यक्ति केवल विकलांगता (दिव्यांगजन) के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। • बैंक दिव्यांगजन के लिए व्यावहारिक और संपूर्ण कार्यस्थल के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
--	---

सिद्धांत 5

‘व्यवसाय को मानवाधिकारों का आदर एवं संवर्धन करना चाहिए’

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्घम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/अन्य शामिल है।	<p>बैंक की मानवाधिकार नीतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल बैंक परिचालन से ही संबंध है।</p> <p>बैंक इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान हैं और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बैंक रंग, राष्ट्रियता, विश्वास, धर्म, पूर्वजों, वैवाहिक स्थिति, लिंग, अपंगता, उम्र या अन्य किसी आधार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपात नहीं करता है।</p> <p>यौन उत्पीडन की रोकथाम: बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन को निषेद्ध करता है और महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत एवं तेजी के साथ निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम (रोकथाम, निषेद्ध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बैंक ने प्रत्येक अंचल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण बैंक की इंटरनेट साईट पर उपलब्ध है।</p> <p>प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेष महिला कक्ष का सृजन किया गया है ताकि वे मुख्य धारा में सहभागिता कर सकें और उनको उच्च दायित्व ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।</p>
2.	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया ?	<p>वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हितधारकों से 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका संतोषपूर्ण ढंग से निपटान कर दिया गया है।</p>

	<p>The systems and processes of the Bank to ensure that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The divyangjan employees enjoy the right to equality, live with dignity and respect for his or her integrity equally with others. • to utilise the capacity of divyangjan employees by providing appropriate environment. • No divyangjan employees shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim. • no person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability (divyangjan). • the Bank shall take necessary steps to ensure practical and wholesome workplace environment for divyangjan.
--	---

Principle 5

Business should respect and promote human rights

No.	Question	Reply
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?	<p>The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly cover only the operations of the Bank.</p> <p>The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank does not discriminate on the basis of color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age or any other basis.</p> <p>Prevention of Sexual Harassment: The Bank prohibits sexual harassment at the work place and initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. In compliance of the Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Bank has constituted Internal Complaints Committee at every Zone. The details of the members of the Internal Complaints Committee at Head Office level are also uploaded on the Bank's intranet site.</p> <p>A special Women Cell has been created at Head Office to exclusively look after the problems of the women employees, with a view to encourage them to participate more in the mainstream and motivate them towards taking up higher responsibilities.</p>
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	Four complaints were received from the shareholders during the year 2019-20 which were duly resolved.

सिद्धांत 6

‘व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए’

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्तउद्यम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल हैं ?	जी हाँ, यह नीति केवल बैंक को कवर करती है।
2.	क्या कंपनी के पास भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन,भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं ?अगर हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हाईपरलिंक दें.	जी हाँ,बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में सम्मिलित हैं: <ul style="list-style-type: none"> • बैंक की ऋण देने की नीति के निर्देशों के अनुसार, बैंक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले/ओजोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों का उत्पादन करने वाली नई ईकाइयों को ऋण नहीं देता है। • बैंक निर्धारित और सुनिश्चित करता है कि जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाली विनिर्माण इकाइयों के मामले में उधारकर्ता ग्राहक केंद्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करता है। • बैंक पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। • बैंक विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाता है। • बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत समाज सफाई अभियान चलाया। • उधारकर्ताओं को भुगतान / ऋण का आवंटन RTGS / NEFT द्वारा किया जा रहा है, ताकि कागज की खपत को बचाया जा सके। • इसके अलावा, कर्मचारियों से संबंधित भुगतान, जैसे वेतन, लाभ, दावे आदि ऑनलाइन किए जाते हैं, जिससे कागज की खपत कम होती है। • सर्वोत्तम स्वचालन और बिजली की खपत को अपनाकर बैंक विभिन्न नवीकरणीय खपत में सक्रिय रूप से प्रवेश करता है।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का निर्धारण/आकलन करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, बैंक टी.ई.वी. अध्ययन/ परियोजना मूल्यांकन में जोखिम और संस्वीकृति के समय विचार कर रहा है। इसके अलावा सभी ऋणों के लिए किए ध्यान दिए गए हैं।
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है ? अगर है तो,लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें,और यदि हाँ तो,क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?	हाँ, बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में ई-मेल के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आंतरिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम. आदि से कागज रहित बैंकिंग सम्मिलित हैं। हम डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी में सक्रिय सहभागी है।
5.	क्या कम्पनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है, यदि हाँ ,तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें.	बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं है लेकिन बैंक ने कई ऊर्जा नवीकरण परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की तथा जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमति सीमा के अंदर है?	बैंक सेवा उद्योग में है और इसलिए किसी प्रकार के जहरीले/खतरनाक प्रदूषण को पैदा नहीं करता है। परियोजना ऋणों को वित्त पोषित करते समय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऋण संस्वीकृति से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना हमारी प्रमुख शर्त है।

Principle 6**Business should respect, protect and make efforts to restore the environment**

No.	Question	Reply
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors / NGOs/ Others	Yes. The policy covers only the Bank.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming etc.? Y/N, if yes, please give hyperlink for webpage etc.	<p>Yes. Various green initiatives taken by Bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. We actively participate in digital banking and DBT. Further, the following additional steps have also been taken in this regard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In terms of Bank's Lending Policy guidelines, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone depleting substances. • Bank stipulates and ensures that the borrower client obtains NOC from Central/State Pollution Control Board, in case of manufacturing units emitting toxic pollutants. • Bank gives preference to environment friendly projects like Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects. • Bank undertakes drives such as tree plantation on special occasions. • Bank carries out society cleanliness drives under Swachh Bharat Abhiyan. • Payment to borrowers/disbursement of loans is being made by RTGS/NEFT, so as to save paper consumption. • In addition, staff related payments, such as salary, benefits, claims, etc. are made online, thereby reducing paper consumption. • Bank is actively enters to various renewable consumptions by adopting best automation and power consumption.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/No	Yes. Environmental risk is duly considered in TEV study/ project appraisal, and the same is duly considered at the time of sanction. Also due diligence done for all loans.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?	Yes, various green initiatives undertaken by the bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. We actively participate in digital banking and DBT.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.	The Bank has no such direct project, but the Bank has financed many renewable energy projects including Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	The Bank is in the service industry and as such does not emit any toxic/ hazardous pollutants. While financing project loans, NOC from Pollution control Boards and Ministry of Environment and Climate change is one of our prominent conditions of credit sanctions.

7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या।	शून्य
----	--	-------

सिद्धांत 7

“व्यवसाय जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो, तो उसे उत्तरदाई पूर्वक सम्पन्न किया जाना चाहिए”

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है ? यदि हाँ, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है.	हाँ 1. भारतीय बैंक संघ(आईबीए) 2. बैंक बोर्ड ब्यूरो(बीबीबी) 3. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान(आईआईबीएफ) 4. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान(आईबीपीएस) 5. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान(एनआईबीएम) 6. राष्ट्रीय बैंकिंग शिक्षण एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएससीओएम) 7. द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
2.	क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है? यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धांत, अन्य विनिर्दिष्ट करें।	बैंक, इन संगठनों के सदस्य होने के नाते नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास को शामिल करने वाली नीतियां तैयार करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत है।

सिद्धांत 8

“व्यवसाय से समावेशी वृद्धि तथा सामयिक विकास को बल मिलना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें.	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) वित्तीय समावेशन जोकि वित्तीय सेवाओं मुख्यतया: बैंकिंग/बचतों एवं जमा खातों, विप्रेषण, क्रेडिट, बीमा, सुविधाजनक रूप में पेंशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है। किसी भी बैंक की शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) की आउटलेट पर खाता खोला जा सकता है। पी.एम.जे.डी.वाई. खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खाता खोलेगा, रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त करेगा और रु. 2,00,000/- के दुर्घटना बीमा हेतु पात्र (दिनांक 28.08.2018 से प्रभावी) होंगे। पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत पात्र ग्राहकों को 10,000 / - प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिना किसी शर्त के 2000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त, खाता धारकों को अन्य बीमा तथा पेंशन उत्पाद भी उपलब्ध होंगे।

7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	Nil
----	---	-----

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, name only those major ones that your business deals with.	Yes 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Banks Board Bureau (BBB) 3. Indian Institute of Banking & Finance(IIBF) 4. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 5. National Institute of Bank Management (NIBM) 6. National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM) 7. The Associated Chamber of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No. If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development

No.	Question	Reply
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If Yes details thereof.	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner. Account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mitra) outlet. PMJDY accounts are being opened with Zero balance. Every person who opens the account under PMJDY will get a Rupay Debit card and would be eligible for Rs. 2,00,000/- accidental insurance cover (w.e.f. 28.08.2018). Overdraft under PMJDY upto Rs. 10,000/- is being provided to eligible customers. Further, each customer can avail OD upto Rs. 2000/- without any condition. Besides the financial literacy programs, other insurance and pension products also would be made available to account holders.

	<ul style="list-style-type: none"> • बैंक को कुल 3192 गाँव आबंटित किए गए हैं। 3192 गाँवों तक पहुँच बनाने हेतु कुल 961 एस.एस.ए. बनाए गए हैं। बैंक द्वारा सभी एस.एस.ए. को या तो पक्की की शाखाओं अथवा सूचना संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) पर आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडल से कवर किया जा रहा है। 961 एस.एस.ए. में से 353 एस.एस.ए. को व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से तथा 608 एस.एस.ए. को वर्तमान शाखाओं द्वारा कवर किया गया है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के फेज-1 के अंतर्गत कवर किया गया है (15.08.2014-26.01.2015)। • बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय के रूप में बीसी मॉडल बनाया है और प्रत्येक बी.सी. को लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। • सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म ए.टी.एम. मशीन उपलब्ध कराई गई है जिनके माध्यम से बीसी नामांकन (बचत खाते खोलना), लेन-देनों (ए.ई.पी.एस. ऑफ-यू.एस. एवं ऑन यू.एस.), नकदी जमा और आहरण, बैलेंस की पृष्ठताछ, मिनी विवरणी, आधार प्रविष्टि, रुपए कार्ड आधारित पिन-पेड लेन-देनों (ऑनस एवं ऑफस) कर रहे हैं। ऑन-लाइन/रियल टाइम लेन-देनों को ऑफ-डे तथा ऑफ-टाईम किया जा रहा है। • व्यवसाय प्रतिनिधि सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं (पी.एम.जे.जे.बी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. एवं ए.पी.वाई.) के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों को भी कवर कर रहे हैं। • दिनांक 31.03.2020 तक बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत 353 बैंक मित्रों तथा शाखाओं के माध्यम से 13.24 लाख खाते खोले हैं जिनमें कासा/एफडी/आरडी की रु. 644 करोड़ की राशि संग्रहित की है जो प्रति खाता औसतन रु. 4860 है। • बैंक ने पीएमजेडीवाई ओडी को सफलता पूर्वक ए.टी.एम./सूक्ष्म ए.टी.एम. के माध्यम से लागू किया है। • पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में कुल आधार की प्रविष्टि 85% है। • व्यवसाय प्रतिनिधि के स्तर पर आधार आधारित खातों को खोलने हेतु ई-के.वाई.सी. को लागू किया गया है। • बैंक ने साधारण मोबाईल पर मोबाईल बैंकिंग लेन-देनों को करने हेतु यूएस एसडी सुविधा लागू की है। • आंचलिक कार्यालय पर नियुक्त नामित अधिकारी का बीसी स्थल का प्रत्येक माह दौरा और प्रत्येक तथा सभी बीसी के वास्तविक कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट। आंचलिक कार्यालय में नियमित बैठक जहाँ बीसी को मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों तथा उनके एम/सी तथा अन्य समस्याओं से संबंधित की जानकारी दी जाती है। • हमने ए.ई.पी.एस. ऑफ-अस लेने-देनों में उच्च निरस्तीकरण का विश्लेषण किया है और असफल लेन-देनों को कम करने में उपचारात्मक उपाय किए हैं। • बैंक ने समाज की समग्र वृद्धि तथा समुचित विकास के लिए कई कार्यक्रमों/परियोजनाओं/पहलों को आरंभ किया है, जिनका विवरण निम्न है:- <p>1. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) : हमारे बैंक की लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरसेटी हैं जो बैंक के न्यास अर्थात् ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डेअर हेतु पीएसबी ट्रस्ट) के अधीन स्थापित है जोकि बेरोजगार युवकों हेतु स्व-रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मोगा, फरीदकोट और लुधियाना की आरसेटियां अपने परिसर में कार्य कर रही हैं ।</p> <p>आरसेटियों के प्रशिक्षण संबंधी व्ययों का वहन कृषि विकास एवं ग्रामीण रोजगार हेतु पीएसबी ट्रस्ट करता है।</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Bank has been allotted total 3192 villages. Total 961 SSAs formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. Out of 961 SSAs, 353 SSAs have been covered through BC and 608 SSAs have been covered through existing Branches, therefore all allotted Households has been covered under the Phase-I (15.08.2014-26.01.2015) of PMJDY. • Bank made BC model as banking business model & monthly targets are given to each BC • All individual BC are provided with Micro ATM machines through which BC are doing Enrollments (opening of SB accounts), Transactions (AEPS OFF-US & ON-US), Cash Deposit & withdrawal, Balance enquiry, Mini statement, Aadhaar Seeding, Rupay card based Pin-Pad transactions (Onus & Offus). On-line/Real time transactions are happening on off-days & off-time. • BCs are also covering people under insurance Policies of Government social benefit schemes (PMJJBY, PMSBY & APY). • As on 31.03.2020 Bank has opened 13.24 lac accounts through Branches and 353 BCs and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs. 644 crore, with average per account Rs. 4860/- • The Bank has successfully implemented PMJDY OD through ATMs/ MicroATMs. • Total Aadhaar seeding in active PMJDY Accounts is 85 %. • E-KYC has been implemented at BC points for opening of Aadhaar based accounts. • Bank has implemented USSD facility for carrying out mobile banking transactions on ordinary mobiles. • Monthly visit of BC location done by nodal officer appointed at Zonal Office and report the actual performance of each and every BCs. Regular meetings at Zonal Office where recent guidelines of Ministry communicated to BCs and also resolution of their M/c related or other problems. • We have analyzed the high rejection in AEPS off-us transactions and take remedial measures for reducing fail transactions. The Bank has taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: <p>1. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana districts are working in their own premises. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs.</p>
--	--

		<p>2. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) - आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 17 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भारि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। एफ.एल.सी. ऋणियों को भी संकट के समय उनके ऋणों की पुनर्संरचना योजनाओं में भी सहायता करती है और पूर्ववर्ती वित्तीय संस्थानों से उनका अनुमोदन भी करती है। यद्यपि, एफ.एल.सी. किसी भी बैंक/बैंकों के उत्पाद हेतु निवेश सलाहकार केंद्रों/मार्केटिंग केंद्रों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। परामर्शदाता मार्केटिंग/बीमा पॉलिसियों में निवेश करने के संबंध में सलाह उपलब्ध कराने, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद, या केवल बैंक के अपने उत्पादों को प्रोत्साहित करने अथवा निवेश करने पर सलाह नहीं देता है।</p>
<p>2.</p>	<p>क्या इस कार्यक्रम /परियोजना को आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है ?</p>	<p>बैंक की आंतरिक टीम द्वारा वित्तीय समावेशन परियोजना का कार्य किया जा रहा है। बैंक ने इस प्रयोजन हेतु अलग से महाप्रबंधक के नेतृत्व में विभाग का गठन किया है। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास (डेयर हेतु पीएसबी न्यास) के लिए पी.एस.बी ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां करता है। डेयरी फार्मिंग में नवीनतम तकनीक से किसानों को प्रशिक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को जैसे ड्रेस डिजायनिंग एवं कढ़ाई कार्य, टाई एवं डाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्यूटी पॉर्लर, जैम और आचार बनाने आदि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पीएसबी डेयर द्वारा पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय वहन किए जा रहे हैं।</p>
<p>3.</p>	<p>क्या आपने कभी अपनी पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?</p>	<p>जी हाँ, हमारे बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत की गई पहल से समाज के एक बड़े तबके को लाभ पहुंचा है जो बैंककारी सुविधाओं से वंचित था जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश मिला। हमने प्रति परिवार एक खाता खोल कर सभी घरों को सम्मिलित किया है और वर्तमान में हम "सभी घरों से" प्रत्येक वयस्क तक "खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं", यह देखा गया कि अपनी अतिरिक्त निधि को बचत करने हेतु भरोसेमंद स्रोत जैसे बैंक खाता प्राप्त करने के बाद, जो पहले बचत करने में समर्थ नहीं थे, ने बचत करने की आदत विकसित कर ली है। यह तथ्यों में देखा गया है कि बी.एस.बी.डी.ए. खातों में औसत निधि निरंतर वृद्धि कर रही है। बैंक खाता नहीं होने पर या तो इस निधि को बैंकिंग की मुख्य धारा में नहीं लाया गया होता अथवा उपभोग में ही यह समाप्त हो गई होती। बैंक मित्रों के माध्यम से प्रति माह लगभग 1 लाख लेन-देनों को किया गया जो दर्शा रहा है कि ग्रामीण व्यक्तियों ने बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया है। बैंक ने ए.टी.एम. के माध्यम से ऑन लाईन ओडी सुविधा क्रियान्वित कर दी है। इन-बिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा की उपलब्धता से उन्हें सहूलियत ही नहीं हुई है अपितु साहकारों के चंगुल से उनको धीरे-धीरे छुटकारा भी मिला है। इस प्रकार, यह उक्त आबादी की बचत करने की आदतों पर सकारात्मक प्रभाव और उनके संपूर्ण विकास हेतु मुख्य वित्तीय धारा में सम्मिलित होने को दर्शाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में, हमारे आरसेटी ने 61 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1719 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। 1719 उम्मीदवारों में, 903 उम्मीदवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. के 318 और 1212 महिला लाभार्थी हैं। 1719 आरसेटी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 487 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर 203 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं।</p>

		<p>2. Financial Literacy Centers (FLCs) - With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centers (FLCs) have been opened at District level. Presently, our bank has 17 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. FLCs also help borrowers in distress by formulating their debt restructuring plans and recommend the same to formal financial institutions. FLCs, however, do not act as investment advice centers /marketing centers for products of any particular bank/banks. Counselors refrain from marketing / providing advice regarding investment in insurance policies, investment in securities, value of securities, purchase/ sale of securities, etc., or promoting investments only in bank's own products.</p>
2.	<p>Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organization?</p>	<p>The financial inclusion project has been undertaken through in-house team. Bank has set up separate department headed by General Manager for this purpose.</p> <p>PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment (PSB Trust for DARE) undertake a number of welfare activities for farmer in rural areas. Special camps are being organized to train farmers about latest technology in Dairy Farming, Women Entrepreneurship in rural areas like Dress designing & embroidery work, tie & dye training programme, Beauty Parlour, Jam & pickle making etc. The entire expenses of such training programme are borne by PSB TDARE.</p>
3.	<p>Have you done any impact assessment of your initiative?</p>	<p>Yes. The initiatives taken by our bank under PMJDY benefited a large segment of society who was deprived of banking facility thereby bringing the unbanked population into the formal financial sector. We have covered all household by opening at least one A/c per family & presently us trying to focus on opening accounts from "every household" to "every adult". It is observed that after getting the reliable sources for saving of their surplus funds like bank account, the people who were earlier not able to save have started developing habits of saving money. It can be seen from the fact that average aggregate funds in BSBDA accounts are continuously increasing. In the absence of bank account, these funds either would not have brought in mainstream banking or would have been lost in consumption. Approx. 1 lac transactions per month is being processed through Bank Mitras, thereby indicating that rural people have started using banking facilities. Bank has also implemented online OD through ATM. The availability of in-built overdraft facility is not only giving them comfort but removing them slowly out of clutches of private money lenders. Thus it shows positive impact on savings habit of above said population and joining main financial stream for their overall development.</p> <p>During the current financial year 2019-20, our RSETIs have conducted 61 training programs wherein 1719 candidates have been trained. Out of 1719 candidates, 903 candidates belong to SC/ ST category, 318 belong to BPL & 1212 candidates are women beneficiary. Out of 1719 RSETI trained candidates, 487 candidates have settled during current financial year. 203 candidates have been settled through credit linkage during the year from different Banks.</p>

		बैंक ने 17 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के सहयोग के साथ ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता फैलाने हेतु गांवों में वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधारिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गांव वालों से विचार-विमर्श किया है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1349 कैंपों का आयोजन किया गया जिनमें 52,720 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है?(राशि रु. में एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण)	अब तक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों को करने के लिए अपनी सी.एस.आर. निधि से पीएसबी टीडेअर को अंशदान देता है। बैंक ने आरसेटी के भवन का निर्माण करने हेतु रु. 1.15 करोड़ तथा ग्रामीण बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु रु. 41.81 लाख का सहयोग दिया है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगो ने सफलतापूर्वक अपनाया है.यदि हाँ तो,कृपया 50 शब्दों में विवरण दें।	बैंक ने आरसेटी से प्रशिक्षित आवेदकों को स्थापित करने के लिए स्वरोजगार अथवा ऋण प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में बैंक के प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल को अद्यतित करने के प्रयास प्रसिद्ध हुए हैं।

सिद्धांत 9

“अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से व्यवसाय को महत्व देना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का 0.62% वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है।
2.	क्या कंपनी ने उत्पाद स्तर पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की है ? हाँ/नहीं	लागू नहीं
3.	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कम्पनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष तक लंबित है ? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	लागू नहीं
4.	क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति/ उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है ?	हमने सभी 25 आंचलिक कार्यालयों में जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण किया।

		Bank in coordination with 17 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD, Digital Banking etc. are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 1349 camps were organized in FY 2019-20 wherein 52,720 people actively participated.
4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Bank contributes out of its CSR fund to PSB TDARE for carrying welfare activities in rural areas. So far Bank has contributed Rs.1.15 Crore for construction of RSETIs building and Rs. 41.81 Lakh for providing various infrastructure facilities in RSETIs for training of rural unemployed youth.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Bank has taken a number of steps for settlement of RSETI trained candidates either through self employment or through credit linkage. Bank's initiatives to impart training & skill upgradation have been popular among rural people.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year	0.62 % of customer complaints/consumer cases are pending as at the end of the financial year.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/NA. Remarks (additional information)	NA
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, if about 50 words or so.	Nil
4.	Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?	We conducted Annual Survey of Depositor Satisfaction across all 25 Zones.

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ-1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
(क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	
(ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है।(जैसे कोई जोखिम भारत निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
(क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
(ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारत है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टियर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें :

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/ अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टियर II पूंजी के अन्य संगठक टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने 1000.00 करोड़ रुपये के बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टायर I बॉण्ड 08.05.2017 को जारी किए हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

क) टियर I पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि- रु/करोड़
- प्रदत्त अंश पूंजी;	701.05
- आरक्षितियाँ;	3938.71
- नवोन्मेषी प्रपत्र ;	1000.00
- अन्य पूंजी प्रपत्र ;	0.00
- उप योग	5639.36

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	The Bank does not belong to any group
(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has issued Basel III compliant Additional tier I Bonds amounting to Rs. 1000.00 Cr on 08.05.2017.

Amt. - Rs/ Crores

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	701.05
- Reserves;	3938.71
- Innovative instruments;	1000.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	5639.36

- घटाएं:टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	1754.82
कुल टीयर I पूंजी	3884.54
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	2055.63
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
- कुल बकाया राशि	लागू नहीं
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
- कुल बकाया राशि	1537.30
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	-
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1249.30
ड) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	5940.57

तालिका डी एफ 3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियाँ, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर , कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर /संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	1754.82
TOTAL TIER I CAPITAL	3884.54
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	2055.63
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1537.30
- Of which amount raised during the current year.	-
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1249.30
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	5940.57

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.



मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि- रु./करोड़
- 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	3569.13
- प्रतिभूतिकरण एकसपोज़र	शून्य

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु./करोड़
- ब्याज दर जोखिम	581.85
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
- इक्विटी जोखिम	45.73

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	343.84

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूंजी अनुपात:

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.09%
बासल II के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.91%

तालिका डीएफ 4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2018-19 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

Quantitative Disclosures

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	3569.13
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital requirements for Market Risk	Amt. - Rs/ Crores
- Interest rate risk	581.85
- Foreign exchange risk (including gold)	2.25
- Equity risk	45.73

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	343.84

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	12.09%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	7.91%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED (applicable for annual closing 2018-19) :

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताएं खाते (आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4 का संदर्भ ले)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के अधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।

'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.

- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन सगठनात्मक ढाँचा :

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।

- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि चेयरमैन की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- उपमहाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्ति पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the Deputy General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General manager / Deputy General Manager monitors the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि- रूपये / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	62564.20
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	3862.75

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि- रूपये / करोड़
1	विदेशी	
	- निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	- गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	
	- निधि आधारित ऋण जोखिम	62564.20
	- गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3862.75

एक्सपोजर का उद्योग वार वितरण

राशि - रु /करोड़

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	268.04	148.65	416.69
ख. खाद्य प्रसंस्करण	1062.70	29.84	1092.54
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	252.03	2.11	254.13
घ. कपड़ा उद्योग	1429.72	13.88	1443.60
ङ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	143.27	2.12	145.39
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	108.08	18.44	126.52
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	55.96	1.59	57.55
ज. पेट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	42.92	14.00	56.92
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद	95.87	7.81	103.68
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	143.97	9.00	152.97
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	18.56	0.25	18.81
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	34.20	62.47	96.67
ढ. मूल धातु-धातु उत्पाद	1205.45	53.83	1259.28
ण. समस्त इंजीनियरिंग	394.31	63.82	458.13
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	129.01	56.20	185.21
थ. रत्न और आभूषण	37.98	0.01	37.99
द. निर्माण	456.74	378.85	835.59
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	12584.39	1570.30	14154.69
न. अन्य उद्योग	163.21	11.15	174.36
प. अवशिष्ट	43937.79	1418.44	45356.23
कुल योग	62564.20	3862.75	66426.95

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	62564.20
2	Non Fund Based Credit Exposures	3862.75

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	62564.20
	- Non Fund Based Credit Exposures	3862.75

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - Rs/ Crores

INDUSTRY NAME	Funded	Non-Funded	Total
A.MINING & QUARRYING	268.04	148.65	416.69
B.FOOD PROCESSING	1062.70	29.84	1092.54
C.BEVERAGES & TOBACCO	252.03	2.11	254.13
D.TEXTILES	1429.72	13.88	1443.60
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	143.27	2.12	145.39
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	108.08	18.44	126.52
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	55.96	1.59	57.55
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	42.92	14.00	56.92
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	95.87	7.81	103.68
J.RUBBER, PLASTIC & ITS PROD.	143.97	9.00	152.97
K.GLASS & GLASSWARE	18.56	0.25	18.81
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	34.20	62.47	96.67
M.BASIC METAL & METAL PROD.	1205.45	53.83	1259.28
N.ALL ENGINEERING	394.31	63.82	458.13
O.VEHICLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	129.01	56.20	185.21
P.GEMS & JEWELLARY	37.98	0.01	37.99
Q.CONSTRUCTIONS	456.74	378.85	835.59
R.INFRASTRUCTURE	12584.39	1570.30	14154.69
S.OTHER INDUSTRIES	163.21	11.15	174.36
T. Residuary	43937.79	1418.44	45356.23
TOTAL :	62564.20	3862.75	66426.95



उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5 % से अधिक हैं:

राशि - ₹/करोड़

क्र. सं.	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	14154.68

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :

राशि - ₹/करोड़

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधि	जमा राशियां	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताए	आस्तियां
अगला 1 दिन	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 दिन से 7 दिन	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 दिन से 14 दिन	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 दिन से 30 दिन	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 दिनों से 2 माह	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
2 माह से अधिक 3 माह तक	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
3 माह से अधिक 6 माह तक	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
5 वर्षों से अधिक	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
कुल योग	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि - ₹ / करोड़
1	अवस्तरीय	2562.35
2	संदिग्ध 1	2249.95
3	संदिग्ध 2	2531.77
4	संदिग्ध 3	1224.77
5.	हानि	305.73
	कुल	8874.57

निवल एन.पी.ए

राशि-₹./करोड़

निवल.एन.पी.ए	4684.15
--------------	---------

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम से सकल एन.पी.ए	14.18%
2	निवल अग्रिम से निवल एन.पी.ए	8.03%

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S. No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	14154.68

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 – 7 days	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 – 14 days	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 - 30 days	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 days to 2 months	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
Over 2 months & up to 3 months	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
Over 3 months & up to 6 months	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
Over 6 months & up to 1 year	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
Over 1 year & up to 3 years	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
Over 3 years & up to 5 years	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
Over 5 years	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
Total	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

Amount of NPAs (Gross)

Sr. No.	Category	Amt. in Crore
1	Substandard	2562.35
2	Doubtful 1	2249.95
3	Doubtful 2	2531.77
4	Doubtful 3	1224.77
5	Loss	305.73
	Total	8874.57

Net NPAs

Amt. in Crore

Net NPAs	4684.15
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	14.18%
2	Net NPAs to Net advances	8.03%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि-रू. /करोड़
अथशेष	7801.65
जमा	3666.37
कमी	2862.15
इति शेष	8605.87

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि-रू. /करोड़

क्रम संख्या	प्रावधान	अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान
	अथ शेष	3563.60
जमा	अवधि (अ) के दौरान किए गए प्रावधान	2538.79
घटाएं :	अपग्रेड किए गए खाते	91.22
	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	1733.11
	बंद (एनपीए) खातों में उत्क्रमण	139.26
	उप-योग (ब)	1963.59
	अंतिम शेष	4138.80

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

राशि-रू. /करोड़

गैर निष्पादित निवेशों की राशि	468.36
-------------------------------	--------

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

राशि-रू / करोड़

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	383.11
---------------------------------------	--------

निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	राशि-रू./करोड़
अथशेष	79.92
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.07
बट्टे खाते डालना	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	(75.82)
इतिशेष	11.17

तालिका डी.एफ. 5 - ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in crore
Opening Balance	8605.87
Additions	2908.56
Reductions	2639.86
Closing Balance	8874.57

Movement of Provisions for NPAs

Amt. in crores

Sr. No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	3563.60
Add	Provisions made during the period (A)	2538.79
Less:	Upgraded Accounts	91.22
	Write-off/ Write-back of excess provisions	1733.11
	Reversal in closed (NPA) accounts	139.26
	Sub- Total (B)	1963.59
	Closing Balance	4138.80

Amount of Non-Performing Investments

Amt. in crores

Amount of Non-Performing Investments	468.36
--------------------------------------	--------

Amount of provisions held for non-performing investments

Amt. in crores

Provisions held for non-performing investments	383.11
--	--------

Movement of provisions for depreciation on investments

Amt. in crores

Opening Balance	79.92
Provisions made during the period	7.07
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	(75.82)
Closing Balance	11.17

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुसारी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तें पर जाखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशि

राशि-रु./करोड़

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर
100 % जोखिम भार से कम	35149.10
100 %जोखिम भार	9535.30
100% जोखिम भार से अधिक	4701.25
कटौती	0
कुल	49385.65

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	35149.10
100 % risk weight	9535.30
More than 100 % risk weight	4701.25
Deducted	0
TOTAL	49385.65

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- संपार्श्विक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी **संपार्श्विक** को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय **संपार्श्विक** निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाराशियाँ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
- 2.) सोना : 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसी।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रत्याभूतिकरण (रीसिक्व्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर **संपार्श्विक** प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और **संपार्श्विक** प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जाँच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राथमिक डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारत जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.- अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए- अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES
Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमोंका समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्थिकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत- ₹ 3910 करोड़

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आबंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. : ₹ 142.21 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. **3910 Crores**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Bank has Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 142.21 Crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि - ₹/करोड़
ब्याज दर जोखिम	581.85
शेयर स्थिति जोखिम	45.72
विदेशी विनिमय जोखिम	2.25

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने " परिचालन जोखिम प्रबंधन " और " व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन" पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक अंचल कार्यालय / प्रधान कार्यालय से हानि आंकड़ों " एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित / कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति(ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है।

तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs/ Crores
Interest rate risk;	581.85
Equity position risk;	45.72
Foreign exchange risk;	2.25

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF-8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.



- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर आय

एक साल अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	रु 89.12 करोड़
--	----------------

ख. आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.) -3.63%

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	Rs 89.12 Crores
---	------------------------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 3.63%

बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1- अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण क) गुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) गुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक-प्रकटीकरण ग) ऐसी गुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारत हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक संरचना कार्यरत है। जोखिम भारत आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आसार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा-परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/ अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2020

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

<u>Qualitative Disclosures</u>	
(a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
<u>Quantitative Disclosures</u>	
(c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रु/ लाखों में
- 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	355444
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि रु.लाखों में
- ब्याज दर जोखिम	58333
- विदेशी विनिमय जोखिम (सोने सहित)	225
- इक्विटी जोखिम	4573

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रु. लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	38686

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल - III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.76%
बासल - III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.59%
बासल - III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.58%

तालिका डी एफ 3 - ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lacs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	355444
- Securitization exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

	Amt. in Lacs
Capital Charge on account of General Market Risk	
- Interest rate risk	58333
- Foreign exchange risk (including gold)	225
- Equity risk	4573

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lacs
Basic indicator approach	38686

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	12.76%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.59%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.58%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

- ड) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं / कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

- बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।
- एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

- e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g)

Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन सगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- उपमहाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्षा तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Non-Executive Chairman devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the Deputy General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, ALM cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager/ Deputy General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Large Exposure Framework limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्ति पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारत आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

	श्रेणी	राशि रु. / लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	6256420
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	386275

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	विदेशी	
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी	
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	6256420
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	386275

एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	26804	14865	41669
ख. खाद्य प्रसंस्करण	106270	2984	109254
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	25203	211	25413
घ. कपड़ा उद्योग	142972	1388	144360
इ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	14327	212	14539
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	10808	1844	12652
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	5596	159	5755
ज. पेट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	4292	1400	5692
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद	9587	781	10368
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	14397	900	15297
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1856	25	1881
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	3420	6247	9667

- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	Fund Based Credit Exposures	6256420
2	Non Fund Based Credit Exposures	386275

Geographic distribution of exposures

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	6256420
	- Non Fund Based Credit Exposures	386275

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakh

INDUSTRY NAME	Funded	Non-Funded	Total
A.MINING & QUARRYING	26804	14865	41669
B.FOOD PROCESSING	106270	2984	109254
C.BEVERAGES & TOBACCO	25203	211	25413
D.TEXTILES	142972	1388	144360
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	14327	212	14539
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	10808	1844	12652
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	5596	159	5755
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	4292	1400	5692
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	9587	781	10368
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	14397	900	15297
K.GLASS & GLASSWARE	1856	25	1881
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	3420	6247	9667

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
ढ. मूल धातू-धातू उत्पाद	120545	5383	125928
ण. समस्त इंजीनियरिंग	39431	6382	45813
त. वाहन/वाहन कलपुर्ज/टीपीटी औजार	12901	5620	18521
थ. रतन और आभूषण	3798	1	3799
द. निर्माण	45674	37885	83559
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1258439	157030	1415468
न. अन्य उद्योग	16321	1115	17436
प. अवशिष्ट	4393779	141844	4535623
कुल योग	6256420	386275	6642695

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि- रु/लाखों में

क्र. सं.	उद्योग	एक्सपोजर
1	मूलभूत आवश्यक तत्व	1415468

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि- रु/ लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधि	जमा राशियां	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
अगला 1 दिन	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 दिन से 7 दिन	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 दिन से 14 दिन	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 दिन से 30 दिन	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 दिनों से 2 माह	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
2 माह से अधिक 3 माह तक	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
3 माह से अधिक 6 माह तक	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
5 वर्षों से अधिक	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
कुल योग	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

INDUSTRY NAME	Funded	Non-Funded	Total
M.BASIC METAL & METAL PROD.	120545	5383	125928
N.ALL ENGINEERING	39431	6382	45813
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	12901	5620	18521
P.GEMS & JEWELLARY	3798	1	3799
Q.CONSTRUCTIONS	45674	37885	83559
R.INFRASTRUCTURE	1258439	157030	1415468
S.OTHER INDUSTRIES	16321	1115	17436
T. Residuary	4393779	141844	4535623
TOTAL :	6256420	386275	6642695

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lacs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1415468

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 – 7 days	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 – 14 days	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 - 30 days	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 days to 2 months	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
Over 2 months & up to 3 months	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
Over 3 months & up to 6 months	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
Over 6 months & up to 1 year	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
Over 1 year & up to 3 years	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
Over 3 years & up to 5 years	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
Over 5 years	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
Total	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

एन-पी-ए- की राशि(सकल)

	श्रेणी	राशि-रूपए/-लाखों में
1.	अवस्तरीय	256235
2.	संदिग्ध 1	224995
3.	संदिग्ध 2	253177
4.	संदिग्ध 3	122477
5.	हानि	30573
	कुल	887457

निवल:- एन.पी.ए.

राशि- रू./लाखों में

निवल:- एन.पी.ए	468415
----------------	--------

एन-पी-ए-अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	14.18%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	8.03%

एन-पी-ए-(सकल) में उतार-चढ़ाव

राशि. रू./लाखों में

अथशेष	860587
जमा	290856
कमी	263986
इतिशेष	887457

एन-पी-ए- हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि. रू./लाखों में

क्रम संख्या	प्रावधान	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	356360
जमा	अवधि (अ) के दौरान किए गए प्रावधान	253879
घटाएं :	अपग्रेड किए गए खाते	9122
	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	173311
	बंद (एनपीए) खातों में उत्क्रमण	13926
	उप-योग (बी)	196359
	अंतिम शेष	413880

Amount of NPAs (Gross)

Sr.No.	Category	Amt. in Lacs
1	Substandard	256235
2	Doubtful 1	224995
3	Doubtful 2	253177
4	Doubtful 3	122477
5	Loss	30573
	Total	887457

Net NPAs

	Amt. in Lacs
Net NPAs	468415

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	14.18%
2	Net NPAs to Net advances	8.03%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lacs
Opening Balance	860587
Additions	290856
Reductions	263986
Closing Balance	887457

Movement of Provisions for NPAs

	Provisions for NPAs	
Sr.No	Provision	
	Opening Balance	356360
Add	Provisions made during the period (A)	253879
Less:	Upgraded Accounts	9122
	Write-off/ Write-back of excess provisions	173311
	Reversal in closed (NPA) accounts	13926
	Sub- Total (B)	196359
	Closing Balance	413880

बड़े खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

रुपए लाखों में

तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	9758
विविध आय - तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	17795
कुल	27553

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

राशि- रु/लाखों में

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	46836
-------------------------------	-------

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

राशि- रु/लाखों में

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	38311
---------------------------------------	-------

निवेश पर मूल्य हास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु/लाखों में
अथ शेष	7992
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	707
बट्टे खाते खोलना	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	(7582)
इतिशेष	1117

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि- रु/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियां	302447	160853

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

राशि- रु/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	887457	413880	30996
विदेशी	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.- 4 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तैशब ,बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

Amt. in Lacs

Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	9758
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	17795
TOTAL	27553

Amount of Non-Performing Investments

Amt. in Lacs

Amount of Non-Performing Investments	46836
--------------------------------------	-------

Amount of provisions held for non-performing investments

Amt. in Lacs

Provisions held for non-performing investments	38311
--	-------

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lacs
Opening Balance	7992
Provisions made during the period	707
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	(7582)
Closing Balance	1117

Major Industry Breakup of NPA

Amt. in Lacs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	302447	160853

Geography wise Distribution of NPA & Provision

Amt. in Lacs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	887457	413880	30996
Overseas	0.00	0.00	0.00

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH
Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, ACUITE, BRICKWORK, CARE and Infomeric for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel III as defined by RBI.

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉर्पोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि. ₹/लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100 % जोखिम भार से कम	3514910
100 %जोखिम भार	953530
100% जोखिम भार से अधिक	470125
कटौती	0
कुल	4938565

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *paripassu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *paripassu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lacs

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	3514910
100 % risk weight	953530
More than 100 % risk weight	470125
Deducted	0
TOTAL	4938565

तालिका डी.एफ. 5. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। बेसल-III के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाशिविक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपाशिविक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपाशिविकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपाशिविक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमा राशियाँ जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपाशिविक के पात्र नहीं।

संपाशिविक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पाशिविक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पाशिविक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपाशिविक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-II तथा बासल-III के अनुसार पात्र गारंटरी/प्रति गारंटरी के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारत जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.-अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए- अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES
Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. KisanVikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमोंका समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्थिकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी.एम.एस.ई कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त ₹.391040 लाख

तालिका डी.एफ.- 6- प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्दण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन: पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ₹.300000/- लाख के मानकीकृत ऋण संविभाग को अन्य बैंक को बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) **₹.14221 लाखों में** ।

तालिका डी.एफ.- 7- ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGTMSE coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs.391040 lacs**

Table DF 6 -SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank sold standard credit portfolio of Rs 300000 lacs under securitization to other Banks.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets - **Rs 14221 lacs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.

- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	राशि. रु/लाखों में
ब्याज दर जोखिम	58333
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4573
विदेशी विनिमय जोखिम	225

तालिका डी.एफ.- 8- परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने “ परिचालन जोखिम प्रबंधन “ और “ व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन” पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय से “ हानि आंकड़ों “ एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है। बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित / कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति(ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है।ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है।शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है। तथापि बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना के अग्रिम पहुंच की ओर अग्रसर होने की तैयारी कर रहा है।

तालिका डी.एफ.- 9- बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम(आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. in Lacs
Interest rate risk;	58333
Equity position risk;	4573
Foreign exchange risk;	225

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्छ्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर आय

राशि- रु./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	8912
--	------

ख. आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)- 3.63 %

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन-देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(रूपए/-लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	205034	6796

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोज़र)/लेन -देन नहीं है।

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. in Lacs

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	8912
---	------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) –3.63%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting. For reporting purpose total exposure is considered.

Amt. in Lacs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	205034	6796

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपए/-लाखों में)

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से		संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत व आरक्षित	
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूंजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	338826
2	प्रतिधारित उपार्जन	32310
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	134425
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूंजी	लागू नहीं
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	लागू नहीं
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	505561
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	455
10	आस्थगित कर आस्तियां	0
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूंजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	0.00
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूंजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	लागू नहीं
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियां (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	124515

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lacs

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	338826	
2	Retained earnings	32310	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	134425	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	505561	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	455	
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of eligible DTL) to be deducted in full from CET1)	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0	
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	Not Relevant	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	124515	

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से			संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत व आरक्षित		
22	आरम्भिक 15प्रतिशत से अधिक की राशि	लागू नहीं	
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	लागू नहीं	
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	0.00	
26ए	असमेकित बीमा सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश		
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश	लागू नहीं	
26सी	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई	लागू नहीं	
26डी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	लागू नहीं	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य इक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	124970	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	380591	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31++32)	0.00	
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन इक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00	
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00	
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00	
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता न हो की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	
22	Amount exceeding the 15% threshold	n.a.
23	of which: significant investments in the common stock of financials	n.a.
24	of which: mortgage servicing rights	n.a.
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	n.a.
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries ⁸	
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries ⁸	n.a.
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	n.a.
26d	Unamortised pension funds expenditures	n.a.
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	124970
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	380591
Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से			संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत व आरक्षित		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00	
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायिकाएं का अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश।	0.00	
41बी	जिसमें से: सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गईं, के अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	100000	
45	(टियर-1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29++ पंक्ति 44)	480591	
टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00	
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	124930	सबार्डीनेट ऋण
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00	
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00	
50	प्रावधान	34268	
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	159198	
टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56 ए + 56 बी)	0.00	
56ए	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायिकाओं की टियर II पूँजी में निवेश।		
56बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियाँ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गईं, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00	

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions ¹⁰)	0	
41	National specific regulatory adjustments	0	
41a	Of which : Investment in the Additional Tier I capital of unconsolidated insurance subsidiaries.	0	
41b	Of which : Shortfall in the Additional Tier I capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank..		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	100000	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	480591	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	124930	Subordinate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	n.a.	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	n.a.	
50	Provisions	34268	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	159198	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which : Investment in the Tier II capital of unconsolidated insurance subsidiaries.		
56b	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से			संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत व आरक्षित		
57	टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	
58	टियर-2 पूँजी (टी2)	159198	
59	कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58)	639789	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	5013898	
60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	3949381	
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	580940	
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	483577	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.59%	
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.58%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.76%	
64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.375%	
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकता	-	
67	जिसका: जी.एसआईबी बफर आवश्यकता	-	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.09%	
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00%	
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	26715	
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	0.00	
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	34268	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	49367	

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00
58	Tier 2 capital (T2)	159198
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)	639789
60	Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	5013898
60a	of which: total credit risk weighted assets	3949381
60b	of which: total market risk weighted assets	580940
60c	of which: total operational risk weighted assets	483577
	Capital ratios and buffers	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.59%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.58%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.76%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-
67	of which: G-SIB buffer requirement	-
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.09%
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financials	26715
73	Significant investments in the common stock of financials	0
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	34268
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	49367

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से			संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत व आरक्षित		
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
फ्रेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
82	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करंट उच्चतम सीमा		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
84	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करंट उच्चतम सीमा		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		

तालिका डी.एफ.-12 - पूँजी का संयोजन -समाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी-एफ-13-विनियामक पूंजी लिखतों मुख्य विशेषताएं

क्रम सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट(डिस्कलोजर टेम्पलेट)	सीरीज - XI=200 करोड़	सीरीज - XII=300 करोड़	सीरीज - XIV=500 करोड़	पीएसबी -1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV=237.30 करोड़	सीरीज - XVI=500 करोड़
1.	जापीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता(अथवा सी-यू-एस-आई-पी, आई-एस-आई-एन-अथवा प्रोड्युट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई608A09122	आईएनई608A09130	आईएनई608A08017	आईएनई608A08025	आईएनई608A08033	आईएनई608A08041
3.	लिखत के शासी विधान	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधियोग एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 निक्षेपगार अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक,सेबी, संबन्धित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध-ग / अथवा उल्लिखित अनुबंध में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधियोग एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 निक्षेपगार अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक,सेबी, संबन्धित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध-ग / अथवा उल्लिखित उपबंध	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 का परिपत्र संख्या सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013) तथा परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 मार्च, 2015 संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2014-15/25/539 यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) 2015 और भा.रि. बैंक/2015-16/58 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 1/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 संख्या भा.रि. बैंक/2015-16/285 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी 71/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 01.03.2016 संख्या भा.रि. बैंक /2015-16/331 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 तथा अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.50/21.06.201/2016-17	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014		
	विनियामक व्यवहार						
4.	ट्रांजिशनल बासल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-1	टियर-2	टियर 2
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-1	टियर-2	टियर 2

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series - XII =200 crore	Series- XIII =300 crore	Series- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	Series- XV =237.30 crore	Series- XVI =500 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09122	INE608A09130	INE608A08017	INE608A08025	INE608A08033	INE608A08041
3	Governing law(s) of the instrument	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED LAD-NRO/GN/2012-13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR. NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BPBC. NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED LAD-NRO/GN/2012-13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR. NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BPBC. NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED LAD-NRO/GN/2012-13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR. NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BPBC. NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED LAD-NRO/GN/2012-13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008. AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR. NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BPBC. NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I	Tier II	Tier II

6.	एकल/समूह/ समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखित स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I ऋण लिखत	टियर I लिखित
8.	द्वितीयमक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि (करोड़ रुपयों में रिपोर्टिंग की तिथि)	0	12	500	500	1000	237.30	500	
9.	लिखत का सममूल्य	रुपय 1000000	रुपय 1000000	रुपय 1000000	रुपय 1000000	रुपय 1000000	रुपय 1000000	रुपय 1000000	
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता (ऋण)	
11.	ज़ारी करने की मूल तिथि	11.01.2010	24.06.2011	19.10.2016	08.05.2017	27.06.2019	04.11.2019	04.11.2019	
12.	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत	सतत	दिनांकित	दिनांकित	
13.	मूल परिपक्वता तिथि	15.04.2020	24.10.2021	19.10.2026	लागू नहीं	लागू नहीं	26.10.2029	03.12.2029	
14.	ज़ारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी हां	जी नहीं	जी हां- लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भा.रि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।	जी हां- लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भा.रि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।	जी नहीं	जी नहीं	
15.	वैकल्पिक काल की तिथि, आकस्मिक काल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/ लाभांश								
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश /कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	8.70%	9.73%	7.99%	10.90%	9.50%	8.67%	8.67%	
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार	अनिवार्य	अनिवार्य	
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	नहीं	
22.	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर-संचयी	
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु टियर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier I instrument	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crore, as of most recent reporting date)	0	12	1000	500	500	237.3	500	500
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	11.01.2010	24.06.2011	08.05.2017	19.10.2016	19.10.2016	27.06.2019	04.11.2019	04.11.2019
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	15.04.2020	24.10.2021	NA	19.10.2026	19.10.2026	26.10.2029	03.12.2029	03.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	No	No	No	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends								
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.70%	9.73%	10.90%	7.99%	7.99%	9.50%	8.67%	8.67%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	Yes	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	खारिज करना लागू है	खारिज करना लागू है	खारिज करना लागू है	खारिज करना लागू है	खारिज करना लागू है
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार पी.ओ.एन.वी.ट्रिगर	भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार पी.ओ.एन.वी.ट्रिगर	भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार पी.ओ.एन.वी.ट्रिगर	भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार पी.ओ.एन.वी.ट्रिगर	भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार पी.ओ.एन.वी.ट्रिगर
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक	पूर्णतः अथवा आंशिक
33.	अवलेखन की दशा में स्थाई है अथवा अस्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34.	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों
36.	गैर-अनुपालन सुविधाएं	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37.	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालन सुविधाएं निर्दिष्ट करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा

29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines
32	If write-down, full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	NA	NO	NO	NO	NO	NA
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	NA	NA	NA	NA	NA	NA

तालिका डी-एफ-14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बाण्ड निर्गमन-XII - 200 करोड़ रूपए
संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 200 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए \ स्थिर" और क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष 3 महीने (123 महीने)
पुट एवं कॉल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने (123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	8.70% प्रतिवर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
सूचीबद्ध शेयर	प्रस्तावित- नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेंट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70 % सर्विसेज दर से) - बैंक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी बैंक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित बैंक(कों)/ डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि	06.01.2010
निर्गम के बंद होने की तिथि	13.01.2010
पे-इन डेट्स	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि	15.01.2010

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

बैंक के पास (निर्गम) में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Table DF 14 – Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. **BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE**

VII. SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA\Stable" by ICRA and "CRISIL AA\Stable" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

2. बाण्ड निर्गमन - XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 300 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
सूचीबद्ध	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों)/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9-73 % वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रॉनिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस-खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" में किया जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि	20.06.2011
निर्गम के बंद होने की तिथि	24.06.2011
पे-इन डेट्स	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि	24.06.2011

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

2. BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“AA\Stable” by ICRA and “CARE AA\Stable” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6 th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24 th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of “ Punjab & Sind Bank RTGS Account ” IFSC Code: “ PSIB0000001 ” for New Delhi
Issue Opens on ^	20 th June 2011
Issue Closes on ^	24 th June 2011
Pay-In Date ^	20 th June 2011 to 24 th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24 th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.



3. बाण्ड निर्गमन- XIV 500 करोड रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 500 करोड
निर्गम का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समय पूंजी को बढ़ाया जाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III कॉप्लाधेंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बांडधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बांड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (10,00,000 रुपये /- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु 10,00,000 / - प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बाण्ड तथा उसके बाद 1 (एक) बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीमड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्टूबर 2026
कूपन दर*	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बांड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्टूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	निर्गम में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बाण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीमड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटिती को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्यूज या प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	चैक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक एकाउंट" के पक्ष में "केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्था न/ केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्ले स, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांसफर/ आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
निर्गम के खुलने की तिथि	05.10.2016
निर्गम के बंद होने की तिथि	05.10.2016
पे-इन डेटस	19.10.2016
आबंटन की मानी गई तिथि	19.10.2016

3. BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 500 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital (“Bonds”)
<u>Nature of Instrument</u>	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	“CRISIL AA\Stable” by CRISIL and “CARE AA\Stable” by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured and Subordinated
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	10 years from the Deemed Date of Allotment
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	None
<u>Redemption/ Maturity</u>	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
<u>Redemption Date</u>	October 19, 2026
<u>Coupon Rate</u>	7.99% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
<u>Trustee</u>	Axis Trustee Services Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer’s account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Mode of Subscription</u>	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of “Punjab & Sind Bank A/c” and crossed “Account Payee Only” payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
<u>Issue Opens on</u>	05.10.2016
<u>Issue Closes on</u>	05.10.2016
<u>Pay in Date</u>	19.10.2016
<u>Deemed Date of Allotment</u>	19.10.2016

4. पीएसबी एटी 1 बॉन्ड्स सीरीज-1 रुपए 1000 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रुपए 1000 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	दीर्घ अवधि के स्रोत में वृद्धि करने तथा भविष्य के विकास हेतु बॉसलि III के अनुसार इसकी अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक की समग्र पूंजी में वृद्धि करना।
लिखत	डिबेंचर के रूप में वचनपत्र ("बाण्ड") असुरक्षित, अपरिपत्तीय, सुबोर्दिनते बेमियादी कर योग्य बाण्ड जो टीयर 1 पूंजी के रूप में मान्य होंगे (जैसा वक भारतीय रिजर्व बैंक के बॉसलि III की शर्तों में परिभाषित है)
लिखत की प्रकृति	बॉन्ड न तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर बॉन्ड धारको के दावों की विररष्ठता में वृद्धि करता है ("बॉन्ड धारको") अर्थात् निगामकर्ता के अन्य ऋणदाता। बॉन्ड धारको के दावि होंगे : (i) ईकक्विटी शेयरो में निवेशको तथा बैंक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरो, यदि कोई हैं, के दाविो पर तरजीह पाएंगे; (ii) जमाकतारओ के दावो, आम ऋणदाताओ तथा टीयर 1 पूंजी के तौर पर गौण ऋणो(जैसा वक बॉसलि III की शतर में परिभाषित है) के अतिरिक्त बैंक के गौण ऋणो से गौण होंगे; (iii) ना तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर दाविो की वीरिश्ठा में वृद्धि करता है अर्थात् बैंक के अन्य ऋणदाता। (iv) अधिमान के बगैर समान रूप रखते हैं; (v) यदि बैंक द्वारा तत्पत्यात जारी वकए गए बॉन्डो/दीबेंतेरो (ए.टी.आई. लिखित की प्रकृति अनुसार) की शर्तों में उल्लेखित नहीं किया जाता है वक ऐसे बॉन्ड धारको के दावो को तरजीह दी जाएगी या इस प्रकटन प्रलेख के अंतगतरत जारी वकए बॉन्डो से गौण होंगे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अपने दशा-निर्देशो में अन्यथा निर्धारित नहीं करता है, बैंक के ऐसे दीबेंतेरो/बॉन्डो के धारको के दावो के समरूप बॉन्ड धारको के दावि होंगे।;
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर ए \ स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बाँड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बाँड)
प्रतिदेय मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बाँड)
न्यूनतम आवेदन	दस (10) बाँड और उसके बाद 1(एक) के गुणांक में बाँड
अवधि	बेमियादी
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	लिखित की कम से कम पाच वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर काल विकल्प की अनुमति है।
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	सम मूल्य पर
प्रतिदेयता तिथि	बेमियादी
कूपन दर	10.90% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष 08 मई को वार्षिक
न्यासी	विस्वा आई.टी.सी.एल. (इंडिया) लिमिटेड
डिपाजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपांजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपांजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

4. **PSB AT-1 BONDS SERIES I- Rs 1000 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 1000 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Unsecured, subordinated, non-convertible, perpetual taxable bonds which will qualify as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines of the Reserve Bank of India) in the nature of Debentures (the "Bonds")
<u>Nature of Instrument</u>	<p>The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis-à-vis other creditors of the Issuer.</p> <p>The claims of the Bondholders shall be :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual noncumulative preference shares of the Bank, if any; (ii) subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines); (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors. (iv) rank pari passu without preference amongst; (v) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures (in the nature of AT1 instruments) by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the bond issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall be pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank;
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	"ICRA A\Stable" by ICRA and "CARE A\Stable" by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	10 (Ten) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	Perpetual
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years
<u>Redemption/ Maturity</u>	At PAR
<u>Redemption Date</u>	Perpetual
<u>Coupon Rate</u>	10.90% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annual on May 08, of each year
<u>Trustee</u>	Vistra ITCL (India) Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited

आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की शर्तों के अंतर्गत आय कर की कटौती या कोई संविधानिक संशोधन अथवा पुनः क्रियाशील करना जैसा भी लागू हो) का भुगतान सभी आवेदकों को बॉन्डों की आवेदन राशि पर चैक (ओ)/डिमांड ड्राफ्ट(ओ) के पास होने की तिथि से किया जाएगा और आर.टी.जी.एस./अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण के मामले में, निधियों की प्राप्ति होने पर आवेदन की अनुमानित तिथि से एक दिन पहले ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दिन के गणना की परम्परा/ वास्तविकता के अनुसार आवेदन राशि पर गणना की जाएगी। सभी वेध्य आवेदनों पर जिसमें रिफंड भी शामिल हैं , ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आवेदन राशि जिसको विापस लोटाया गया है, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान रिफंड आदेश के साथ लोटाया जाएगा और आवेदन राशि जिसके विरुद्ध बॉन्डों को आबंटित किया गया है, आबंटन की अनुमानित तिथि से आवेदन राशि पर ब्याज 10 कार्य दिवसों के अंदर अदा किया जाएगा। जहाँ एक आवेदक को आवेदित बॉन्डों से कम संख्या में बॉन्डों का आबंटन किया जाता है, आवेदक को आवेदन पर अदा की गई फालतू राशि के साथ विापस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान भी वकया जाएगा। आवेदन राशि पर ब्याज पर लागू दर पर स्रोत पर आय कर कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्या/ज/ प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य/ किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	विप्रेषण को या तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहरित "केवल अदाता के खाते में" क्रास चैक(ओ)/मांग पत्र(ओ) जो की सम मूल्य पर देय हो जिन स्थानों/केंद्रों पर आवेदन पत्र जमा किया गया हो और निधि अंतरण/ आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000606" में किया जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि	02.05.2017
निर्गम के बंद होने की तिथि	02.05.2017
पे-इन डेट्स	08.05.2017
आबंटन की मानी गई तिथि	08.05.2017

5. बाण्ड निर्गमन-XV 237.30 करोड़ रूपर

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रु. 237.30 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए भविष्य के विकल्प हेतु और दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंक की समग्र पूंजी संवर्धित करना
साधन	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बासल-III टियर II बांड (सीरीज XV) पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में बांड
साधन की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से असुरक्षित, भुगतान किए जाएंगे। बांडहोल्डर्स के दावे इस प्रकार होंगे: (ए) बैंक की टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए योग्य उपकरणों में निवेशकों के दावों के लिए वरिष्ठ; (बी) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ; और (ग) बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी या कानूनी रूप से या आर्थिक रूप से दावे की वरिष्ठता को बढ़ाता है कि बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित है और न ही कवर किया गया है।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	ब्रीकवर्क द्वारा " ब्रीकवर्क एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"।
सुरक्षा	असुरक्षित और अधीनस्थ
अंकित मूल्य	रु. 10,00,000/- प्रति बांड
निर्गत मूल्य	सम मूल्य पर (रु. 10,00,000/- प्रति बांड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु. 10,00,000/- प्रति बांड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बांड और एक बांड उसके बाद गुणकों में
कार्यकाल	आवंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं

<u>Interest on Application Money</u>	Interest at the Coupon Rate (subject to deduction of Income-tax under the provisions of the Income-tax Act 1961, or any statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the application money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/demand draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The Interest on application money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. For the application amount that has been refunded, the Interest on application money will be paid along with the refund orders and for the application amount against which Bonds have been allotted, the Interest on application money will be paid within ten working days from the Deemed Date of Allotment. Where an applicant is allotted lesser number of Bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on Interest on application money.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Mode of Subscription</u>	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi
<u>Issue Opens on</u>	02.05.2017
<u>Issue Closes on</u>	02.05.2017
<u>Pay in Date</u>	08.05.2017
<u>Deemed Date of Allotment</u>	08.05.2017

5. **BOND ISSUE – XV Rs 237.30 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 237.30 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
<u>Nature of Instrument</u>	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	"Brickwork AA\Stable" by Brickwork and "CARE AA\Stable" by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured and Subordinated
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	None

प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आवंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह के अंत पर
प्रतिदेयता तिथि	अक्टूबर, 26, 2029
कूपन दर*	9.50% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथि	बांड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्टूबर वार्षिक
न्यासी	विस्तार आईटीसीएल(इंडिया) लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	अंक में बांड का आवंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के संबंध में, आवेदन धन पर ब्याज का भुगतान कूपन दर (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आयकर में कटौती के अधीन, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या फिर से किया जाएगा) जारी करने के लिए (जैसा कि लागू हो) बांड की कुल अंकित मूल्य राशि से शुरू होने वाली अवधि के लिए और जारीकर्ता के खाते में आवेदन धन की प्राप्ति की तारीख सहित, लेकिन आबंटित की जमा तिथि को छोड़कर। आबंटन की धनराशि पर इस तरह का ब्याज आबंटक द्वारा आबंटित की गई दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर आवंटियों को भुगतान किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की पुनर्अदायगी आरटीजीएस/ एनीएफटी तंत्र के द्वारा या ऐसी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी जिसको आरबीआई मान्य करेगा।।
निर्गम के खुलने की तिथि	25.06.2019
निर्गम के बंद होने की तिथि	25.06.2019
पे-इन डेटस	27.06.2019
आबंटन की मानी गई तिथि	27.06.2019

6. बाण्ड निर्गमन- XVI 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 500 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III कॉप्लेअंट टियर 2 बाण्ड (सीरीज XIV) टीचर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में (बाण्ड)
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बांड धारकों के दावों में यह होगा कि: (क) बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखितों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जोकि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीमंड दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	03 दिसंबर 2029
कूपन दर*	8.67% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक

<u>Redemption/ Maturity</u>	At the end of 10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
<u>Redemption Date</u>	October 26, 2029
<u>Coupon Rate</u>	9.50% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
<u>Trustee</u>	Vistra ITCL (India) Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer’s account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Issue Opens on</u>	25.06.2019
<u>Issue Closes on</u>	25.06.2019
<u>Pay in Date</u>	27.06.2019
<u>Deemed Date of Allotment</u>	27.06.2019

6. BOND ISSUE – XVI Rs 500 Crore

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 500 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XVI) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital (“Bonds”)
<u>Nature of Instrument</u>	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	“CRISIL AA\Stable” by CRISIL and “CARE AA\Stable” by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured and Subordinated
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	None
<u>Redemption/ Maturity</u>	At the end of 10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
<u>Redemption Date</u>	December 03, 2029
<u>Coupon Rate</u>	8.67% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual

ब्याज भुगतान तिथियां	बाँड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 08 मई वार्षिक
न्यासी	आईडीबीआई टस्टीसिप सर्विसेज लिमिटेड
निकषागार	नेशनल सिक्स्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
पंजीयक	लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट
आवेदन राशि पर ब्याज*	इश्यू में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जोकि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बाण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीमड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटितों को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15(पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी आरटीजीएस प्रणाली/एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य अन्य ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
निर्गम के खुलने की तिथि	31.10.2019
निर्गम के बंद होने की तिथि	31.10.2019
भुगतान करने की तिथि	04.11.2019
आबंटन की मानी गई तिथि	04.11.2019

तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ- 16: इक्विटी - बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

<ul style="list-style-type: none"> धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है। 	<p>बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।</p>
<ul style="list-style-type: none"> बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओं तथा इन प्रथाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन प्रणालियां शामिल होनी चाहिए। 	<p>ऐसे निवेश, जिसे परिपक्वता तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में अस्थायी ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् "आरक्षित पूँजी" से समायोजित किया जाता है।</p>

राशि लाखों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्य, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्य से तुलना, जहाँ शेयर मूल्य, वास्तविक मूल्य से वस्तुतः भिन्न है।	शून्य
2	निवेशों के प्रकार और स्वरूप, जिसमें निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा निजी रूप से धारित। 	शून्य
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ(हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	शून्य

<u>Interest Payment Date</u>	Annually on May 08, of each year till maturity of Bonds
<u>Trustee</u>	IDBI Trusteeship Services Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer’s account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Issue Opens on</u>	31.10.2019
<u>Issue Closes on</u>	31.10.2019
<u>Pay in Date</u>	04.11.2019
<u>Deemed Date of Allotment</u>	04.11.2019

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions**Qualitative Disclosures**

<ul style="list-style-type: none"> Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons. 	Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
<ul style="list-style-type: none"> Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices. 	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to “Capital Reserves” in accordance with RBI guidelines.

Amount in Lacs

Quantitative Disclosures		
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Nil
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: <ul style="list-style-type: none"> Publicly traded; and Privately held. 	Nil
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	Nil

6	उपर्युक्त में से टीयर-I तथा/या टीयर-II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाएँ और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्हीं पर्यवेक्षी सक्रमण या गैडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश, को मास्टर परिपत्र बासल-III पूंजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डी-एफ- 17- लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति		31.03.2020
मदें		(रु. लाखों में)
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	10050380.71
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	-
3.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।	-
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	-
5.	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	42671.16
6.	तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	735020.49
7.	अन्य समायोजन	-
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	10785401.20

तालिका डी-एफ-18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैपलेट		31.03.2020
लीवरेज अनुपात मद संरचना		(रु. लाखों में)
तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1.	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	10007709.55
2.	(निर्धारक बेसल III टियर 1 पूंजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	-124970.36
3.	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	9882739.19
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4.	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	-
5.	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	-
6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।	-
7.	(डेरिवेटिव लेन-देनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	-
8.	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	-
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-
10.	(लिखत ऋण डेरिवेटिव हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ)	-
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	-
प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर		
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत	42671.16
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	-
14.	एसएफटी आस्तियाँ हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-

6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		31.03.2020
	Item	(Rs. in Lakhs)
1	Total consolidated assets	10050380.71
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	42671.16
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	735020.49
7	Other adjustments	
8	Leverage ratio exposure	10785401.20

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template		31.03.2020
	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Lakhs)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	10007709.55
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-124970.36
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	9882739.19
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all <i>derivatives</i> transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-
5	Add-on amounts transactions for PFE associated with <i>all</i> derivatives	-
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	0
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT <i>assets</i> (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	42671.16
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-

15.	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	-
16.	कुल प्रतिभूति वित्तापोषण लेनदेन एक्सपोजर (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)	42671.16
	अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	2951576.01
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	-2216555.51
19	तुलनपत्रेतर मर्दे (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)	735020.49
	पूँजी तथा कुल एक्सपोजर	
20	टीयर 1 पूँजी	480591.05
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	10660430.84
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	4.51%

15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities lines 12 to 15)	42671.16
	financing transaction exposures (sum of	
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	2951576.01
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-2216555.51
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	735020.49
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	480591.05
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	10660430.84
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	4.51%



एस. मान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	बल्देव कुमार एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार
सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार	राज गुप्ता एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की 31 मार्च, 2019 की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित एकल वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियों जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में वर्ष की समाप्ति पर उस तिथि पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न, 20 शाखाएं तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 689 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 817 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9.96 प्रतिशत, जमाराशियों का 27.44 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 7.20 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 22.48 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के अनुसार बैंक हेतु आवश्यक जानकारी देती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा मानकों की पुष्टि करते हुए, उक्त तिथि पर

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र तथा लाभ/हानि के शेषों का सत्य एवं पारदर्शी दृष्टांत दर्शाती है;

ख. लाभ हानि खाता समाप्त वर्ष के लिए उस तिथि को वास्तविक हानि को दर्शाता है; और

ग. नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष को सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखा परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अनुसार किया।

उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को तदुपरांत वर्णित किया गया है। हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोड ऑफ नैतिकता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, जो एक वित्तीय आवश्यकताओं के लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं [क्षेत्राधिकार] में, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यों का प्रभाव

- हम आपका ध्यान नोट सं. 16 से संलग्न एकल वित्तीय परिणाम की ओर आकर्षित करते हैं जो कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप के कारण हुई अनिश्चितताओं की व्याख्या करता है और बैंक के व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन/आकलन करता है।

हमारी राय ऊपर दिए गए तथ्यों से प्रभावित नहीं होगी।

S. Mann & Co. Chartered Accountants	Baldev Kumar & Co. Chartered Accountants
Suresh Chandra & Associates Chartered Accountants	Raj Gupta & Co. Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To the Members of Punjab & Sind Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Punjab & Sind Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and 1 treasury division audited by us and 689 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 817 branches of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.96 percent of advances, 27.44 per cent of deposits, 7.20 per cent of interest income and 22.48 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;
- true balance of loss in case of Profit / loss account for the year ended on that date; and
- true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

- We draw your attention to Note No. 16 to the accompanying standalone financial results, which describes the uncertainties due to outbreak of Corona Virus (Covid-19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the bank.

Our opinion is not modified in respect of the matter stated above.

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय

4. प्रमुख लेखा परीक्षण विषय वे विषय हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय हेतु वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षण में पूर्ण रूप से जांच की गई और उस पर हमने अपना अभिमत तैयार किया तथा इन विषयों पर हम अलग से अभिमत नहीं देते हैं। हमने निम्न उल्लेखित विषयों को हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षण विषयों के रूप में संप्रेषण करना निर्धारित किया है:-

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय	हमारा उत्तर/प्रक्रियाएं
<p>अग्रिम - वर्गीकरण एवं प्रावधानन</p> <p>(वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एन.पी.ए.) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा निर्धारित प्रमुख नियम एवं शर्तों के अनुसार, उन पर प्रावधानन किया जाता है। बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी.बी.एस.) के एकीकृत सॉफ्टवेयर द्वारा वर्गीकरण एवं प्रावधानन किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधान की सीमा मुख्य रूप से इसकी उम्र बढ़ने और रेखांकित सुरक्षा की पुनर्प्राप्ति पर आधारित है।</p> <p>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या सुरक्षा के गलत मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, क्योंकि सुरक्षा के मूल्यांकन में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भौतिक रूप से खराब हो सकता है, और वित्तीय वक्तव्यों में अग्रिमों की राशि के महत्व के मद्देनजर, अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधान को हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा पदार्थ माना गया है।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं</p> <p>हमने आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के डिजाईन की जांच की ताकि मामले में भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की टेस्ट बैंकिंग की जा सके।</p> <p>हमने प्रलेखीकरण, परिचालनों/निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है और अग्रिम खातों की निगरानी, बड़े एवं दबावग्रस्त ऋणों की टेस्ट बैंकिंग के आधार पर ताकि किसी ऋण खाते में अतिदेय गलत आचरण तथा कमजोरी को सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि इसका वर्गीकरण भा.रि. बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, किया गया।</p> <p>इसके अलावा हमने टैस्ट परिक्षण के आधार पर क्रेडिट ऑडिट, निरीक्षण ऑडिट, जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, नियामक ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा की है कि ऋणों में कोई प्रतिकूल फीचर/टिप्पणियों का पता लगाने के लिए और बैंक प्रणाली द्वारा ली गई रिपोर्टों की समीक्षा की है।</p> <p>लेखा परीक्षण के दौरान आवश्यक परिवर्तनों को किया गया और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इसके प्रभाव का लेखांकन किया गया है।</p> <p>हमारे परिणाम:</p> <p>लेन-देनों की वास्तविकता पर विचार करते हुए, हमारे लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।</p>

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
<p><u>Advances - Classification and Provisioning</u> (Refer Schedule 9 to the financial statements)</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank Of India (RBI). The classification and provisioning is done by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p> <p>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and its provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non – Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking, identification and valuation of Non-performing assets.</p> <p>We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches audited by us. In respect of the branches, audited by the branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary.</p> <p>Further we have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the bank's system.</p> <p>Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2020.</p> <p><u>Our Results:</u></p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>

<p>निवेश - अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यांकन, पहचान और प्रावधानन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 8 का संदर्भ लें)</p> <p>बैंक के निवेश संविभाग सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/भा.रि. बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।</p>	<p>निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षण के दृष्टिकोण में भा.रि. बैंक के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेशों से संबंधित मूल्यहास/प्रावधानन, अनर्जक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावोक्ता सम्मिलित हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> - हमने बैंक द्वारा संबंधित भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर, इसको समझा है। - हमने एन.पी.आई. की पहचान करने की प्रक्रिया, संबंधित आय का प्रत्यावर्तन और प्रावधान के सृजन का मूल्यांकन और आंकलन किया है। - हमने स्वतंत्र रूप से बनाए जाने वाले प्रावधान की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं कीं। ऑडिट के दौरान आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और उसी के प्रभाव को 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। <p>हमारे परिणाम:</p> <p>लेनदेन की भौतिकता को देखते हुए हमारी ऑडिट प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।</p>
<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन:</p> <p>आईटी लेनदेन की रिकार्डिंग पर नियंत्रण रखता है, आरबीआई के दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी रिपोर्टिंग बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्य पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सत्यापन में विफलताओं, गलत इनपुट डेटा और डेटा के गलत निष्कर्षण से प्रबंधन और नियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।</p>	<p>हमने बैंक द्वारा अपनाई गई सीबीएस प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा।</p> <p>-हमने सिस्टम में डेटा की फीडिंग का आकलन किया और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और विवरणियों के देखा।</p> <p>नमूने के आधार पर सिस्टम द्वारा दी गई आउटपुट और रिपोर्ट की समीक्षा की।</p> <p>हमारे परिणाम:</p> <p>सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है।</p>
<p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान</p> <p>आस्थगित आयकर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान नहीं होगी जब तक कोई परोक्ष निश्चितता नहीं होगी कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिसंपत्तियों से वसूली होगी।</p>	<p>हम भविष्य में कर योग्य आय के विरुद्ध सेटऑफ के लिए कर हानि की पात्रता के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों पर भरोसा करते हैं और हमें उपलब्ध कराए गए प्रबंधन के दावों, मान्यताओं और लाभप्रदता के पूर्वानुमान और दावे का मूल्यांकन करने में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं, पर्याप्त भविष्य कर आय होगी आगे किए गए कर हानि के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगी।</p>
<p>आकस्मिक देयताएं और दावे</p> <p>आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसके आकस्मिक रूप से घटने या नहीं घटने पर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घट सकती हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। यद्यपि, एक प्रतिकूल परिणाम होता है तो बैंक ब्याज/जुर्माने के साथ विवादित मात्रा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा तय किया जा सकता है, जिसका प्रभाव इस स्तर पर अनिश्चित/नगण्य है।</p>	<p>हम बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा करते हैं जो कि इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनके स्थायित्व और दावों/मुकदमों की संभावना की समीक्षा करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को अंतिम संकल्प में, आज तक की तिथि तक उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम तक। शामिल किया है,</p>

<p><u>Investments – Valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments.</u> (Refer Schedule 8 to the financial statements)</p> <p>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade.</p> <p>Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. - We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines. - We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of income and creation of provision. - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created. Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2020. <p><u>Our Results:</u></p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>
<p><u>Assessment of Information Technology (IT):</u></p> <p>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines/directions. Such reporting is dependent on working of Core Banking System in the Bank. Therefore any validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.</p>	<p>We evaluated and understood the CBS system adopted by the Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> -We assessed the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the bank. -Reviewed the output and reports generated by the system on sample basis. <p><u>Our Result:</u></p> <p>The system needs to be further strengthened.</p>
<p><u>Recognition of Deferred Tax Assets</u></p> <p>Deferred income tax reflects the impact of timing difference between taxable income and accounting income. Deferred tax asset is not recognized unless there is a virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such asset will be realized.</p>	<p>We have relied upon the management estimates regarding eligibility of carried forward tax losses for setoff against future taxable income and used our own internal expertise in evaluating the claims, assumptions and profitability forecasts and assertions of the management provided to us, that sufficient future taxable income will be available for set off against the tax losses carried forward.</p>
<p><u>Contingent Liabilities and Claims</u></p> <p>Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, should there be an adverse outcome, the bank will be liable to pay the disputed amounts with interest/ penalty as may be decided by the competent authorities, the impact of which is uncertain/unascertainable at this stage.</p>	<p>We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.</p>

<p>COVID-19 प्रकोप के कारण संशोधित ऑडिट प्रक्रिया की गई :-</p> <p>हमारी ऑडिट की अवधि के दौरान केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय अधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी बंद के कारण COVID-19 महामारी के कारण सदेह आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया गया है कि जहाँ कहीं भी भौतिक पहुंच संभव न हो, दूर से ऑडिट करने की सुविधा प्रदान करें। बैंक के प्रधान कार्यालय के कुछ विभागों में/ कुछ शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / में जाकर ऑडिट नहीं किया जा सका है</p> <p>जैसा कि हम शाखा / आंचलिक / प्रधान कार्यालय में अधिकारियों के साथ सदेह आमने-सामने और व्यक्तिगत बातचीत में ऑडिट साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसे संशोधित ऑडिट प्रक्रियाओं को कुंजी ऑडिट मीटर के रूप में पहचान की है।</p> <p>तदनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से संशोधित किया गया था।</p>	<p>जहां तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और सीबीएस तक रिमोट से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इस हद तक, ऑडिट प्रक्रिया को ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया जो हमें उपलब्ध कराए गए तथा जो ऑडिट के सबूत के रूप में ऑडिट करने और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग करने पर निर्भर थे।</p> <p>तदनुसार, हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया:</p> <p>क. बैंक की कुछ शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों के संबंध में रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज / सीबीएस जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, आवश्यक रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया।</p> <p>ख. दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियों और संबंधित रिकॉर्ड्स का सत्यापन हमें रिमोट एक्सेस के जरिए ईमेल और सीबीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।</p> <p>ग. संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमने-सामने के बजाय टेलीफोन द्वारा / ईमेल के माध्यम से ऑडिट के पर्यावलोकन पर चर्चा की समाधान किया।</p>
---	--

अन्य मामले

- हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 689 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक रु. 22481.54 करोड़ के कुल अग्रिम तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष में कुल ब्याज से आय रु. 2148.55 करोड़ दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध करायी गई हैं, और अब तक की हमारी राय, इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय विवरणियाँ और उनपर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरणियाँ और उनपर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और निदेशकों की रिपोर्ट, जिसमें अनुलग्नक, यदि कोई हो, शामिल है, जोकि उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बैसेल II के अंतर्गत पिलर 3 के तहत अन्य जानकारी और प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं/करेंगे।
- वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त दी गई अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी या ऑडिट करने पर प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत होना दिखता है।
- यदि, उस ऑडिटर की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तथ्य गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
- जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट पढ़ते हैं, अनुलग्नक सहित, यदि कोई है, तो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तथ्य गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ संप्रेषण करने की आवश्यकता है।

<p><u>Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:</u></p> <p>COVID-19 pandemic induced restrictions on physical movement due to Nation-wide lockdown by Central/ State government/ Local Authorities during the period of our audit. RBI directions to the Bank to facilitate to carrying out audit remotely wherever physical access was not possible; audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ ZOs/various departments at Head Office of the Bank.</p> <p>As we could not gather audit evidence in person/ Physically and personal interaction with the officials at the Branch/ Zonal/ Head Office we have identified such modified audit procedures as Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, our audit procedures were modified to carry out remotely.</p>	<p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p> <p>Accordingly, we modified our audit procedures as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conducted verification of necessary records. Documents/ CBS electronically through remote access/ emails in respect of some of the Branches/ ZO and Head Office Departments of the Bank wherever physical access was not possible. Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates and the related records made available to us through emails and CBS through remote access. Discussions and resolution of audit observations telephonically/through emails instead of face to face interaction with the concerned officials.
--	---

Other Matters

5. We did not audit the financial statements / information of 689 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs. 22481.54 Crore as at 31st March 2020 and total interest income of Rs. 2148.55 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel II and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, including annexure, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणियों के लिए एकल रूप से उत्तरदायी गवर्नेंस प्रभारी

7. बैंक का निदेशक मण्डल उन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है, जो सामान्यतया: भारत में स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखों के अभिलेखों का रखरखाव करना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनको लागू करना; निर्णय लेना और आंकलन करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण है; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहा है, और वित्तीय व्यवस्थाओं की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले वास्तविक गलत अभिकथन से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए, बैंक का एक संस्था के रूप में लगातार कार्य करते रहने, प्रकटीकरण जैसा भी लागू हो, कार्यरत संस्था से संबंधित विषयों और कार्यरत संस्था के आधार पर लेखा परीक्षण के आंकलन के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हो।

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरणों की विषय-वस्तु, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत कथन से मुक्त है और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा एक गलत कथन का पता लगाएगा जब यह मौजूद है। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत जानकारी उत्पन्न हो सकती है और इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करने के लिए वे यथोचित हो सकते हैं।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षण के रूप में, हम लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं और पेशेवर निर्णय लेते हैं। हम करते हैं:

- वित्तीय विवरणियों की वास्तविक जानकारी छुपाने के जोखिम की पहचान और उसका आंकलन चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि कार्य-प्रणाली के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी होते हुए, लेखा परीक्षण की प्रक्रिया करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली गलत भौतिक जानकारी की पहचान नहीं करने के कारण त्रुटि के कारण होने वाली हानि के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर की गई चूक, गलतबयानी, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, किंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की व्यावहारिकता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों के औचित्यकरण का मूल्यांकन करें।
- रिपोर्ट करें कि शाखा में प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन के आधार शाखा स्तर पर लेखा परीक्षण का समापन नहीं हो सका और शाखा स्तर पर गलत साक्ष्य प्राप्त होने के आधार पर, चाहे घटनाओं से संबंधित भौतिक अनिश्चितता हो अथवा एक कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी विषय पर अनिश्चितता मौजूद है, तो हम को अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक की चिंता बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण, स्ट्रक्चर और विषय-वस्तु का प्रकटन सहित मूल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरणियां चिह्नित लेन-देनों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं जो उचित प्रस्तुतिकरण दे सके।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
- In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बीच, शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा पहचाने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को इंगित करते हैं।

हम उन लोगों को जो शासन करते हैं, एक विवरणी प्रदान करते हैं जिसको हमने स्वतंत्रतापूर्वक प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पूरा किया है, और उन सभी रिश्तों के साथ संप्रेषण और अन्य मामलों जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित रूप से सहने योग्य हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं।

शासन के साथ संबंधित मामलों से संप्रेषित मामलों में, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों हेतु यथोचित अपेक्षा की जाएगी। इस तरह के संप्रेषण से सार्वजनिक हित को हानि संभव हो सकती है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं। उपरोक्त 6 से 8 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. आगे हम सूचित करते हैं कि:
- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा लेखों का उचित रखरखाव किया गया है जैसा कि विधिक रूप से आवश्यक है और जैसा कि यह हमारे द्वारा की गई लेखों की जांच से पता चलता है।
- ख) रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते और कैश फ्लो की विवरणियाँ, तथा ऐसी शाखाएं जहाँ विजिट नहीं किया गया कि रिटर्न, लेखा बहियों से मेल खाती हैं।
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित प्रकार से कार्रवाई की गई है; और
- घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के समरूप हैं।
- ड.) वित्तीय लेनदेन या अन्य किसी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (च) जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है, बैंक के निदेशक मंडल में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से 31,2020 के रूप में डेबिट या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मामले या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण।
- छ) रखरखाव के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है खातों और अन्य मामलों में जुड़े।
- ज) बैंक ने आवश्यकतानुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्टिंग को स्थगित करने का विकल्प चुना है RBI और इसलिए मार्च 31,2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- f) As confirmed by the management, none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified as on March 31, 2020 from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.
- g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) The bank has opted for deferment of reporting of Internal Financial Control as required by RBI and hence no reporting is required for the current year ended March 31, 2020.



कृते एस. मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 000075एन

यूडीआईएन - 20080500AAAACE9146

स्थान: नई दिल्ली

सीए सुभाष मान

पार्टनर

एम.नं. 080500

सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन:001359एन

यूडीआईएन - 20090205AAAAAK4156

स्थान: नई दिल्ली

सीए मधुर गुप्ता

एम.नं. 090205

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.06.2020

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 013148एन

यूडीआईएन - 20092225AAAAAX8283

स्थान: चंडीगढ़

सीए बलदेव गर्ग

पार्टनर

एम.नं. 092225

राज गुप्ता एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन:000203एन

यूडीआईएन -20017039AAAABZ9765

स्थान: लुधियाना

सीए संदीप गुप्ता

एम.नं. 529774

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN – 000075N
UDIN - 20080500AAAACE9146
Place - New Delhi

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN – 013148N
UDIN – 20092225AAAAAX8283
Place - Chandigarh

CA Subhash Mann
Partner
M.No. 080500

CA Baldev Garg
Partner
M.No. 092225

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN – 001359N
UDIN – 20090205AAAAAK4156
Place - New Delhi

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN- 000203N
UDIN -20017039AAAAABZ9765
Place - Ludhiana

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205

CA Raj Gupta
Partner
M. No. 017039

Place: New Delhi
Date: 29 June, 2020

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	रु. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	रु. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	7010531	5649123
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	48953443	51364900
जमाराशियाँ	3	896675534	985576045
उधार	4	32130500	27140000
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	20268062	20090390
जोड़		1005038070	1089820458
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	94884015	49410845
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	898529	16771391
निवेश	8	245520958	261729278
अग्रिम	9	584119082	691755333
अचल आस्तियाँ	10	12408273	12303845
अन्य आस्तियाँ	11	67207213	57849766
जोड़		1005038070	1089820458
आकस्मिक देयताएं	12	53899320	72625233
वसूली के लिए बिल		8990861	7647029
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2020

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES SCHEDULE AS ON AS ON	SCHEDULE	AS ON 31.03.20 [Audited]	AS ON 31.03.19 [Audited]
Capital	1	7010531	5649123
Reserves & Surplus	2	48953443	51364900
Deposits	3	896675534	985576045
Borrowings	4	32130500	27140000
Other liabilities & Provisions	5	20268062	20090390
TOTAL		1005038070	1089820458
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	94884015	49410845
Balances with banks & money at call and short notice	7	898529	16771391
Investments	8	245520958	261729278
Advances	9	584119082	691755333
Fixed Assets	10	12408273	12303845
Other Assets	11	67207213	57849766
TOTAL		1005038070	1089820458
Contingent Liabilities	12	53899320	72625233
Bills for Collection		8990861	7647029
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची	रु.	रु.
		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	79295261	85586703
अन्य आय	14	8973975	8282784
जोड़		88269236	93869487
II. व्यय			
ब्याज पर किया गया व्यय	15	58719813	62789690
परिचालन व्यय	16	18580275	17111220
प्रावधान और आकस्मिक		20877131	19403356
जोड़		98177219	99304266
III. लाभ/हानि			
अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (-)		-9907983	-5434779
अग्रानीत लाभ/हानि (-)		3231063	9869878
सामान्य रिजर्व से आहरण		0	0
जोड़		-6676920	4435099
मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		-15.76	-9.62
IV. विनियोजन			
अंतरण:		0	0
सांविधिक आरक्षित निधियाँ			
पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		601708	868633
धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		87260	173560
आरक्षित निवेश		126437	161843
आस्थगित कर देयताएं		0	0
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी)		0	0
लाभांश वितरण कर		0	0
शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		-7492325	3231063
जोड़		-6676920	4435099
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.20 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.19 [Audited]
I.	INCOME			
	Interest earned	13	79295261	85586703
	Other income	14	8973975	8282784
	TOTAL		88269236	93869487
II.	EXPENDITURE			
	Interest expended	15	58719813	62789690
	Operating expenses	16	18580275	17111220
	Provisions and contingencies		20877131	19403356
	TOTAL		98177219	99304266
III.	PROFIT/LOSS			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		-9907983	-5434779
	Profit/ Loss(-) brought forward		3231063	9869878
	Withdrawal from General Reserve		0	0
	TOTAL		-6676920	4435099
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		-15.76	-9.62
IV.	APPROPRIATIONS			
	Transfer to: Statutory Reserve		0	0
	Capital Reserve [Investment]		601708	868633
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		87260	173560
	Investment Reserve		126437	161843
	Deferred Tax Liability		0	0
	Corporate Social Responsibility Fund		0	0
	Proposed Dividend (Equity)		0	0
	Dividend Distribution Tax		0	0
	Balance carried over to Balance Sheet		-7492325	3231063
	TOTAL		-6676920	4435099
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			



विन्नी मखीजा
मुख्य प्रबंधक

सी.एम.सिंह
सहायक महाप्रबंधक

रवि मेहरा
महाप्रबंधक

गोपाल कृष्ण
महाप्रबंधक

पंकज द्विवेदी
महाप्रबंधक

वी.के.मेहरोत्रा
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक
स्थान : चंडीगढ़

टी.आर.मेंदिरत्ता
निदेशक
स्थान : नोएडा

एम.एस.दादू
निदेशक
स्थान : नोएडा

एस.आर.घेड़िया
निदेशक
स्थान : मुंबई

बी.पी.विजयेन्द्र
निदेशक
स्थान : मुंबई

एस.आर.मेहर
निदेशक
स्थान : नई दिल्ली

अजित कुमार दास
कार्यकारी निदेशक
स्थान : नई दिल्ली

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक
स्थान : नई दिल्ली

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली

चरन सिंह
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
स्थान : नोएडा

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075 एन
यूडीआईएन - 20080500AAAAACE9146
स्थान : नई दिल्ली

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148 एन
यूडीआईएन - 20092225AAAAAX8283
स्थान : चंडीगढ़

(सुभाष मान)
पार्टनर
एम.नं. 080500

(बलदेव गर्ग)
पार्टनर
एम.नं. 092225

कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001359 एन
यूडीआईएन - 20090205AAAAAK4156
स्थान : नई दिल्ली

कृते राज गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000203 एन
यूडीआईएन - 20017039AAAAABZ9765
स्थान : लुधियाना

(मधुर गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 090205

(राज गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 017039

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.06.2020

VINNY MAKHIJA
CHIEF MANAGER

C.M. SINGH
ASSTT.GEN.MANAGER

RAVI MEHRA
GENERAL MANAGER

GOPAL KRISHAN
GENERAL MANAGER

PANKAJ DWIVEDI
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR
PLACE : CHANDIGARH

T.R. MENDIRATTA
DIRECTOR
PLACE : NOIDA

M.S. DADU
DIRECTOR
PLACE : NOIDA

S.R. GHEDIA
DIRECTOR
PLACE : MUMBAI

B.P. VIJAYENDRA
DIRECTOR
PLACE : MUMBAI

S.R. MEHAR
DIRECTOR
PLACE : NEW DELHI

AJIT KUMAR DAS
EXECUTIVE DIRECTOR
PLACE : NEW DELHI

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR
PLACE : NEW DELHI

S. HARISANKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO
PLACE : NEW DELHI

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN
PLACE : NOIDA

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN – 000075N
UDIN - 20080500AAAACE9146
Place - New Delhi

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN – 013148N
UDIN – 20092225AAAAAX8283
Place - Chandigarh

CA Subhash Mann
Partner
M.No. 080500

CA Baldev Garg
Partner
M.No. 092225

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN – 001359N
UDIN – 20090205AAAAAK4156
Place - New Delhi

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN- 000203N
UDIN -20017039AAAABZ9765
Place - Ludhiana

CA Madhur Gupta
Partner
M.No. 090205

CA Raj Gupta
Partner
M. No. 017039

Place: New Delhi
Dated: June 29, 2020

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
अनुसूची 1 - पूँजी		
प्राधिकृत पूँजी :		
I. इक्विटी शेयर पूँजी	30000000	30000000
II. अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
	30000000	30000000
निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I. इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10/. के 70,10,53,096 शेयर (पिछले वर्ष 56,49,12,284) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10/. के 58,23,17,742 शेयर (पिछले वर्ष 48,33,24,032) सम्मिलित हैं।	7010531	5649123
II. अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
कुल [I+II]	7010531	5649123

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
I सांविधिक आरक्षित निधि		
अथशेष	10936906	10936906
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
उप-योग- I	10936906	10936906
II. पूँजी आरक्षित निधि		
क) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
अथशेष	9298144	8470420
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	884594
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56870	-56870
उप-योग II क	9241274	9298144
ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
अथशेष	5154369	4285736
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	601708	868633
उप-योग II ख	5756077	5154369
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	19375543	19375543
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	7508592	0
जमा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	-12066	0
उप-योग - III	26872069	19375543
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
क) सामान्य आरक्षित		
अथ शेष	1089003	1089003
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
उप-योग- IV. क	1089003	1089003

000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
		[Audited]	[Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital	30000000	30000000
II.	(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 70,10,53,096 (Previous Year 56,49,12,284) shares of Rs.10/- each [including 58,23,17,742 (Previous Year 48,33,24,032) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	7010531	5649123
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	7010531	5649123

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
		[Audited]	[Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	10936906	10936906
	Addition during the year	0	0
	Sub Total I	10936906	10936906
II.	Capital Reserves:		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	9298144	8470420
	Add: Addition during the year	0	884594
	Less:Deduction during the year	-56870	-56870
	Sub Total II.a	9241274	9298144
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	5154369	4285736
	Add: Addition during the year	601708	868633
	Sub-Total II.b	5756077	5154369
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	19375543	19375543
	Add: Addition during the year	7508592	0
	Less: Share Issue Expenses	-12066	0
	Sub-Total III	26872069	19375543
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	162570	368342
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	56870	56870
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	-262642
	उप-योग IV ख	219440	162570
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत(-)		
	अथशेष	1918642	1745082
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	87260	173560
	उप-योग IV ग	2005902	1918642
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	198660	36817
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	126437	161843
	उप-योग IV घ	325097	198660
V.	लाभ-हानि खाते में शेष	-7492325	3231063
	कुल योग (I-V)	48953443	51364900

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 3 - जमा राशियाँ	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क.	I मांग जमा		
	i) बैंकों से	471789	733548
	ii) अन्य से	31655987	49026087
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ	233045225	214311187
	III. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	12385620	18901180
	ii) अन्य से	619116913	702604043
	जोड़ (I+II+III)	896675534	985576045
ख)	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	896675534	985576045

(000 को छोड़कर)

		रु.	रु.
	अनुसूची 4 - उधार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	4410000	0
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	347500	1390000
	iv) अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड	10000000	10000000
	v) गौण ऋण	17373000	15750000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (1+2)	32130500	27140000
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	4757500	1390000

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	162570	368342
	Add: Addition during the year	56870	56870
	Less: Deduction during the year	0	-262642
	Sub-Total IV.b	219440	162570
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	1918642	1745082
	Add: Addition during the year	87260	173560
	Sub-Total IV.c	2005902	1918642
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	198660	36817
	Add: Addition during the year	126437	161843
	Sub-Total IV.d	325097	198660
V.	Balance in Profit & Loss Account	-7492325	3231063
	Total [I to V]	48953443	51364900

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	471789	733548
	ii. From others	31655987	49026087
	II. Savings Bank Deposits	233045225	214311187
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	12385620	18901180
	ii. From others	619116913	702604043
	TOTAL [I+II+III]	896675534	985576045
B	Deposits of branches in India	896675534	985576045

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
		[Audited]	[Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	4410000	0
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	347500	1390000
	iv) Additional Tier - I Bonds	10000000	10000000
	v) Subordinated Debt	17373000	15750000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	32130500	27140000
	Secured borrowings Included in I & II above	4757500	1390000

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. देय बिल	1814011	2243306
II. अंतकार्यालय समायोजन (निवल)	342400	0
III. प्रोदभूत ब्याज	8756406	10197908
IV. आस्थगित कर देयता	0	0
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	9355245	7649176
जोड़	20268062	20090390

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी(इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	3042599	2080512
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	91841416	43830333
ii) अन्य खातों में	0	3500000
जोड़ (I तथा II)	94884015	49410845

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	371423	327281
ख) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	0	5000000
ख) अन्य संस्थाओं से	0	10792541
उप योग- (1)	371423	16119822
2.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	527106	651569
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
उप-योग (2)	527106	651569
जोड़ (1+2)	898529	16771391

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Bills Payable	1814011	2243306
II. Inter-office adjustments [net]	342400	0
III. Interest accrued	8756406	10197908
IV. Deferred Tax Liability	0	0
V. Others (including provisions)	9355245	7649176
TOTAL	20268062	20090390

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	3042599	2080512
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	91841416	43830333
ii) in Other Account	0	3500000
TOTAL [I & II]	94884015	49410845

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	371423	327281
b) in other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	0	5000000
b) with other institutions	0	10792541
SUB-TOTAL [I]	371423	16119822
II. Outside India		
i) In Current Accounts	527106	651569
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	527106	651569
TOTAL [I & II]	898529	16771391

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 8 - निवेश	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ " **	190597471	206305705
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	69969	84903
iii) शेयर	1301206	1975232
iv) डिबेंचर तथा बांड्स	53135155	52465415
v) सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	0	0
vi) अन्य		
क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	376223	864567
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	40934	33456
उप-योग (I)	245520958	261729278
II. भारत से बाहर निवेश	NIL	NIL
कुल योग (I+II)	245520958	261729278
कुल मूल्य	249463766	264613157
मूल्य हास का प्रावधान (-)	3942808	2883879
निवल निवेश	245520958	261729278

** इनमें रु. 663.28 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु. 658.43 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 230.93 करोड़ (अंकित मूल्य रु.231.60 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	3545869	4389918
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	251691819	304788136
iii) मीयादी ऋण	328881394	382577279
जोड़	584119082	691755333
ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज सहित अग्रिम)	455846086	552980588
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	111430163	98086614
iii) प्रतिभूति रहित	16842833	40688131
जोड़	584119082	691755333
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	239641997	240410834
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	146305934	142616281
iii) बैंक	0	10164478
iv) अन्य	198171151	298563740
जोड़	584119082	691755333

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	190597471	206305705
ii) Other approved securities	69969	84903
iii) Shares	1301206	1975232
iv) Debentures & Bonds	53135155	52465415
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	0	0
vi) Others:		
a) Commercial Paper/CD/Securitized Receipts	376223	864567
b) Units of UTI, other MF	40934	33456
SUB-TOTAL [I]	245520958	261729278
II. Investments outside India	NIL	NIL
TOTAL [I + II]	245520958	261729278
Gross Value	249463766	264613157
Provision for Depreciation [-]	3942808	2883879
Net Investments	245520958	261729278

** Includes encumbered securities of Rs.663.28 crore [Face Value Rs.658.43 crore] previous year Rs.230.93 crore [Face Value Rs.231.60 crore]

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
A i) Bills purchased & discounted	3545869	4389918
ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	251691819	304788136
iii) Term Loans	328881394	382577279
Total	584119082	691755333
B i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	455846086	552980588
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	111430163	98086614
iii) Unsecured	16842833	40688131
Total	584119082	691755333
C ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	239641997	240410834
ii) Public Sector	146305934	142616281
iii) Banks	0	10164478
iv) Others	198171151	298563740
Total	584119082	691755333

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियाँ	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अथ शेष)	1490259	1226329
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	9355015	9190459
उप- योग	10845274	10416788
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	39627	271211
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	9355015
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	-728	-7281
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	-9190459
घटाएं- अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
वास्तविक लागत पर	-181099	-164057
पुनर्मूल्यन लागत पर	-113741	-56870
जोड़ 1	10589333	10624347
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	5193901	4839442
वर्ष के दौरान परिवर्धन	622531	453700
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-72999	-99241
अद्यतन मूल्यह्रास	-3924493	-3514403
जोड़ 2	1818940	1679498
कुल जोड़ (1+2)	12408273	12303845

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	649173
II. प्रोदभूत ब्याज	6272917	5327329
III. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	1682683	44183
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	40030	39393
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
VI. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	17502682	11130753
VII. अन्य \$\$	41708901	40658935
जोड़	67207213	57849766

\$\$ आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि रु. 2977.53 करोड़ (पिछले वर्ष यह रु. 2878.39 करोड़ थी) सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Premises		
Cost [Opening Balance]	1490259	1226329
Appreciation in cost on account of revaluation	9355015	9190459
Sub-Total	10845274	10416788
Additions during the year		
Original Cost	39627	271211
Revaluation Cost	0	9355015
Deductions during the year on		
Original Cost	-728	-7281
Revaluation Cost	0	-9190459
Less Depreciation to date on		
Original cost	-181099	-164057
Revaluation cost	-113741	-56870
Total-I	10589333	10624347
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
Cost [Opening Balance]	5193901	4839442
Additions during the year	622531	453700
Deductions during the year	-72999	-99241
Depreciation to date	-3924493	-3514403
Total II	1818940	1679498
TOTAL I & II	12408273	12303845

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Inter-office adjustments [net]	0	649173
II. Interest accrued	6272917	5327329
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	1682683	44183
IV. Stationery & Stamps	40030	39393
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Deferred Tax asset (Net)	17502682	11130753
VII. Others \$\$	41708901	40658935
TOTAL	67207213	57849766

\$\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.2977.53 crore [Previous Year Rs.2878.39 crore]

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	74825	47907
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	840898	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	19426190	42915007
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
क) भारत में	26303069	27284544
ख) भारत के बाहर	7078	
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1292420	1802955
VI अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	5954840	574820
जोड़	53899320	72625233

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	57738308	60297191
II. निवेशों पर आय	19904903	22977517
III. भारतीय रिजर्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	374777	602627
IV अन्य	1277273	1709368
जोड़	79295261	85586703

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 14 - अन्य आय	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I कमीशन, विनिमय और दलाली	886823	947900
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	4048278	3583587
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	9639	97994
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	230557	198918
V. विविध आय	3798678	3454385
जोड़	8973975	8282784

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.20	AS ON 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	74825	47907
II. Liability for partly paid investments	840898	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	19426190	42915007
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	26303069	27284544
b) Outside India	7078	
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1292420	1802955
VI. Other items for which the bank is contingently liable	5954840	574820
TOTAL	53899320	72625233

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.20	Year Ended
	[Audited]	31.03.19
		[Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	57738308	60297191
II. Income on investments	19904903	22977517
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	374777	602627
IV. Others	1277273	1709368
TOTAL	79295261	85586703

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.20	Year Ended 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	886823	947900
II. Profit on sale of Investments [net]	4048278	3583587
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	9639	97994
IV. Profit on exchange transactions [net]	230557	198918
V. Miscellaneous Income	3798678	3454385
TOTAL	8973975	8282784

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 15 - अपचित ब्याज	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I जमाराशियों पर ब्याज	56107308	59906866
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	201364	208218
III अन्य	2411141	2674606
जोड़	58719813	62789690

(000 को छोड़कर)

	रु.	रु.
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	12110889	11758113
II किराया, कर और रोशनी	1376175	1335493
III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	86403	86862
IV विज्ञापन और प्रचार	56266	30457
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	539094	-147207
घटा: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	0	0
	-539094	-147207
VI निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	9818	5170
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	112479	116831
VIII विधि प्रभार	118774	91413
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	92360	86575
X मरम्मत और अनुरक्षण	219896	176323
XI बीमा	895463	953525
XII अन्य व्यय	2962658	2617665
जोड़	18580275	17111220

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.20	Year Ended 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Interest on deposits	56107308	59906866
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	201364	208218
III. Others	2411141	2674606
TOTAL	58719813	62789690

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.20	Year Ended 31.03.19
	[Audited]	[Audited]
I. Payments to and provisions for employees	12110889	11758113
II. Rent, taxes and lighting	1376175	1335493
III. Printing and stationery	86403	86862
IV. Advertisement & publicity	56266	30457
V. Depreciation on Bank's property	539094	-147207
Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	0
	-539094	-147207
VI. Directors' fees, allowances and expenses	9818	5170
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	112479	116831
VIII. Law Charges	118774	91413
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	92360	86575
X. Repairs & maintenance	219896	176323
XI. Insurance	895463	953525
XII. Other expenditure	2962658	2617665
TOTAL	18580275	17111220

अनुसूची - 17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी हेतु प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि, सूचित आय और व्यय के अनुसार रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों में आंकलन करने व और विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय वक्तव्यों बनाने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा-निर्देशों व एएस 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित आय और व्यय की वस्तुएं लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फैडाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:
 - I. सरकारी प्रतिभूतियां
 - II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - III. शेयर (अंश)
 - IV. ऋण-पत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
 - V. सहायक ईकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
 - VI. अन्य

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 वर्गीकरण का आधार

- I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - IV. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां, जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थाई तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
 - 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणीवार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है।
 - 3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
 - 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारत औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 लेखा पद्धति - लेखा निपटान तिथि

लेखा निपटान तिथि का अभिप्राय (क) संस्था द्वारा प्राप्त की गई आस्ति जिस दिन इसकी पहचान हुई, और (ख) संस्था द्वारा इसके निस्तारण किए जाने वाले दिन पर होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का, एस.एल.आर. और गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारत औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार आधारित है।

- 3.9 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष "बाजार दर" निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां: और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स पर लाभ:	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर:	निर्दिष्ट भाव वाले शेयर के लिए बाजार मूल्य एनएसई तथा बीएसई से लिया गया है। नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य (आरक्षित पुनर्मूल्यांकन को बिना ध्यान में रखकर) आधार पर जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनः पूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान:	शुद्ध लागत पर।

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
 - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
 - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
 - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 Method Of Accounting – Settlement Date Accounting

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the derecognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

- 3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, “परिपक्वता तक रखना” श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 अनर्जक निवेश:

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.14 यदि किसी मामले में, ‘एएफएस’ और ‘एचएफटी’ श्रेणियों में एमटीएम खाते पर किसी भी वर्ष में मूल्य-हास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातों में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातों – “राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां” के शीर्ष के अंतर्गत “आरक्षित और अधिशेष” में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर-आरक्षित ऋणों का 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात् बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘अन्य दायित्वों तथा प्रावधान’ शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.10 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 In the event, depreciation booked on account of MTM in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है:

- i) जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
- ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाता है।
- iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों को अलग से करने और उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थिति में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल संपत्तियां

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पुनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास:

7.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है:

- 7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 % परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
- 7.1.2 अचल परिसंपत्तियों के 5% पर अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों को उपयोग की अवधि के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के आधार पर बदल दिया जाता है। वर्ष के दौरान इसके पूरे होने की तारीख के बावजूद वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यहास किया जाता है। उपयोग की अवधि और मूल्यहास दर नीचे दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यहास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर तथा फिक्चर	10	9.50%
3	प्लांट तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

- i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
- iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5 Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 Depreciation on Fixed Assets

7.1 Depreciation is provided for on -

- 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
- 7.1.2 Depreciation on fixed Assets is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

- 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8 Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

- 8.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मामले हेतु अर्थात् दबाव में आस्तियों की धारणीय भुगतान की अनुसूची पुनः बनाने की योजना (एस4ए). नीतिगत ऋण पुनःसंरचना, लंबी अवधि की परियोजना ऋणों की लचीली संरचना(5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर),जहाँ उसके बाद खाता अनर्जक हो जाता है तो किसी भी वसूली को पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। उसके बाद वसूली को बकाया मूलधन में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आ रहे सभी खातों में लेखा प्रक्रिया एक समान एक सी बनी रहेगी
- 8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनितों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.9 टीयर - II पूँजी में उल्लयन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

- 9.1 ग्रेच्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।
- 9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का हास

अचल परिसंपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई हो) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एस 28 (आस्तियों पर हास) के अनुसार की जाती है और लाभ-हानि खाते के नामे की जाती है।

11. आय पर कर

- 11.1 चालू आयकर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 11.2 ए.एस. 22- आस्थगित कर अनुसार इस अवधि को आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रखकर किया गया है।

- 8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.
- 8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund, Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 Taxes on Income

- 11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favourable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1 बहियों का शेष मिलान व समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में, सहायक बही खातों के साथ नियंत्रण खातों के मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 सीबीएस सिस्टम से पहले, अंतर बैंक खाते (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट व क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान। दिनांक 31.03.2020 तक समायोजन (पुराने बकाया प्रविष्टियों सहित) कर लिया गया है और मिलान जारी है।
- 1.3 देय ड्राफ्ट, प्राप्य/देय नामे नोट, आरटीजीएस/एनईएफटी (उंचत) इत्यादि का समायोजन जारी है। आरबीआई नियमानुसार प्रावधान कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2020 तक नोस्ट्रो खाता का समायोजन कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ व हानि खाते तथा तुलनपत्र पर उपरोक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव, यदि कोई है, हालांकि मात्रात्मक नहीं है, तो नगण्य होगा।

- 1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 30.09.2019 तक की अवधि और 31.03.2020 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है। अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- 1.5 विविध लेनदार अदावी (निरुद्ध) खाते, निरुद्ध नोस्ट्रो विविध खाता तथा निरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए निरुद्ध खाता) में दर्शित नोस्ट्रो खातों में 31.12.2009 तक बकाया जमा-प्रविष्टियाँ राशि रुपये 0.02 करोड़ को दिसंबर 2019 तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है। 01.01.2010 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए अवरुद्ध खाता) में बकाया जमा-प्रविष्टि रुपये 0.04 करोड़ की राशि को मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 वर्षों से अधिक से संबंधित असमायोजित प्रविष्टियों को बैंक तिमाही आधार पर डीईएएफ खाते में अंतरित कर रहा है।

31.03.2020 को, दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2017 तक की अवधि से संबंधित असमायोजित जमा-प्रविष्टियाँ राशि रुपये 0.82 करोड़ हैं तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है और इसलिए इसे निरुद्ध अदावा जमाराशि खाते (नए निरुद्ध खाता) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

- 2.1 31.03.2020 को रुपये 1.00 करोड़ की मूल लागत वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना शेष है (विगत वर्ष 2 संपत्ति रुपये 1.00 करोड़ की लागत से)

3 पूंजी

- 3.1 वर्ष एक दौरान, बैंक ने रुपये 100 करोड़ के समुच्चयन के लिए कर्मचारी स्टॉक पर्यस योजना के अंतर्गत रुपये 26.92 प्रति सामान्य शेयर के निर्गम मूल्य में 25% की छूट पर प्रति 10 रुपये के अंकित मूल्य के 37147102 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं और रुपये 25 करोड़ के संयुक्त छूट के अवयव को कर्मचारी व्यय के रूप में लाभ व हानि खाते को डेबिट किया गया है।
- 3.2 इक्विटी शेयर के अधिमान्य आबंटन के लिए भारत सरकार ने रुपये 787 करोड़ निस्सारित किया है। तदनुसार, बैंक ने रुपये 79.50 (रुपये 69.50 प्रति इक्विटी शेयर के प्रिमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर पूर्णतः चुकता रुपये 10/- के 9,89,93,710 सामान्य शेयर आबंटित किए हैं।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2020 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2020.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, if any on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2019 and remained outstanding as on 31.03.2020 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- 1.5 Credit entries outstanding in Nostro Accounts up to 31.12.2009 amounting to Rs.0.02 crore shown in Sundry Creditors Unclaimed (Blocked) Account, Blocked Nostro Sundry Account and Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) has been transferred to the DEAF account during December 2019 Quarter. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2010 to 31.03.2020 amounting to Rs.0.04 crore has been transferred to DEAF account during quarter ended March 2020. Further, the Bank is transferring unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2020, un-reconciled credit entries amounting to Rs.0.82 crore pertain to the period from 01.04.2010 to 31.03.2017 and are outstanding for more than 3 years and hence are transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked Account).

- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 02 Bank's properties having original cost of Rs.1.00 crore as on 31.03.2020 (Previous year 2 properties costing Rs.1.00 crore).

3. Capital

- 3.1 During the year, Bank has allotted, 37147102 equity shares of face value of Rs.10 each at a discount of 25% on the issue price of Rs. 26.92 per equity share (i.e. offer price of Rs. 20.19 per equity share) under Employee Stock Purchase Scheme aggregating to Rs.100 Crore and the element of discount aggregating to Rs.25 Crore has been debited to Profit and Loss account as employee expenses.
- 3.2 Government of India has infused Rs.787 Crore towards preferential allotment of Equity shares. Accordingly, the bank has allotted 9,89,93,710 equity shares of Rs.10/- each fully paid up at an issue price of Rs.79.50 (including premium of Rs.69.50 per equity share).

3.3 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर)

(राशि करोड़ में)

मर्दे		2019-20	2018-19
(i)	सीआरएआर - टीयर I पूंजी (बासल - II)	7.91%	8.27%
(ii)	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (बासल - II)	4.18%	2.44%
(iii)	कुल सीआरएआर (बासल - II)	12.09%	10.71%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (बासल - III)	7.59%	7.80%
(v)	अतिरिक्त टीयर I पूंजी अनुपात (एटी- I) (बासल- III)	1.99%	1.70%
(vi)	सीआरएआर - टीयर I पूंजी अनुपात (बासल - III)	9.58%	9.50%
(vii)	सी.आर.ए.आर. टियर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	3.18%	1.43%
(viii)	कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (बासल-III)	12.76%	10.93%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	83.06%	85.56%
(x)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	887.00	शून्य
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस.: आई.पी.डी.आई. :	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर-II पूंजी जिसमें से ऋण पूंजी लिखित : अधिमाननी शेयर पूंजी लिखित: [बेमीयादी संचयी अधिमाननी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमाननी शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमाननी शेयर (आरसीपीएस)]	737.30 शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रुपये करोड़ में)

मर्दे		2019-20	2018-19	
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क)	भारत में	24946.38	26461.32
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान (एनपीए के लिए प्रावधान सहित)		
	(क)	भारत में	387.78	288.39
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	(क)	भारत में	24558.60	26172.93
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (एनपीए के लिए प्रावधान सहित)			
	(i)	अथ शेष	288.39	168.28
	(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	174.68	136.30
	(iii)	घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	68.79	16.19
	(iv)	अंत शेष	394.28	288.39

3.3 Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)

(Rupees in crore)

Items		2019-20	2018-19
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	7.91%	8.27%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	4.18%	2.44%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	12.09%	10.71%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	7.59%	7.80%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	1.99%	1.70%
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	9.58%	9.50%
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	3.18%	1.43%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	12.76%	10.93%
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	83.06%	85.56%
(x)	Amount of equity capital raised (including share premium)	887.00	NIL
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which	NIL	NIL
	PNCPS:	NIL	NIL
	IPDI:	NIL	NIL
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument:	737.30	NIL
	Preference Share Capital Instruments:	NIL	NIL
	[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	737.30	NIL

4. Investments

4.1 Value of Investments

(Rupees in crore)

Items		2019-20	2018-19
(1)	(i) Gross Value of Investments		
	(a) In India	24946.38	26461.32
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(ii) Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a) In India	387.78	288.39
	(b) Outside India	Nil	Nil
	(iii) Net Value of Investments		
	(a) In India	24558.60	26172.93
	(b) Outside India	Nil	Nil
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)		
	(i) Opening balance	288.39	168.28
	(ii) Add: Provisions made during the year	174.68	136.30
	(iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	68.79	16.19
	(iv) Closing balance	394.28	288.39

4.2 रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2020 को शेष
रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	-	441.00	47.36	441.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	-	2600.00	337.06	-

4.2.2 रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2020 को शेष
रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

4.3 एसजीएल अंतरण फॉर्म के वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की गई दंड की कुल राशि :

	2019-20	2018-19
i. निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एसजीएल अंतरण फॉर्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड राशि	शून्य	शून्य

4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31.03.2020 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	3304.13	2957.82	0.00	2989.28	2576.03
ii.	वित्तीय संस्थान	485.51	14.60	0.00	46.66	14.60
iii.	बैंक	145.49	0.00	0.00	25.09	0.00
iv.	निजी औद्योगिक	1902.51	240.05	517.12	264.23	216.51
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	अन्य	42.00	42.00	37.62	42.00	42.00
vii.	मूल्यहास के लिए प्रावधान (एनपीए सहित)	(394.28)				
	कुल	5485.36	3254.46	554.74	3367.26	2849.14

4.5 गैर निष्पादित और गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार चढ़ाव

(रुपये करोड़ में)

मर्दे	2019-20	2018-19
अथ शेष	382.67	170.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन	141.84	211.76
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	56.15	-
इति शेष	468.36	382.67
कुल प्रावधान	383.11	208.46

4.2 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2020
Securities sold under Repos	-	441.00	47.36	441.00
Securities purchased under Reverse Repos	-	2600.00	337.06	-

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2020
Securities sold under Repos	-	-	-	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	-	-	-

4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2019-20	2018-19
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2020

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	3304.13	2957.82	0.00	2989.28	2576.03
ii.	FIs	485.51	14.60	0.00	46.66	14.60
iii.	Banks	145.49	0.00	0.00	25.09	0.00
iv.	Private Corporate	1902.51	240.05	517.12	264.23	216.51
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Others	42.00	42.00	37.62	42.00	42.00
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	(394.28)				
	Total *	5485.36	3254.46	554.74	3367.26	2849.14

4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening balance	382.67	170.91
Additions during the year	141.84	211.76
Reductions during the year	56.15	-
Closing balance	468.36	382.67
Total Provisions held	383.11	208.46

4.6 व्युत्पत्तियाँ

व्युत्पत्तियाँ के अंतर्गत बैंक केवल व्यापारी वायदा ठेका में व्यापार करता है और बकाया वायदा ठेका रुपये 427.40 करोड़ है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित/पुनः परक्रमित निवेश

(रुपये करोड़ में)

मदें	2019-20	2019-18
पुनर्संरचित इत्यादि के अधीन मानक आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचित इत्यादि के अधीन अवमानक आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचित इत्यादि के अधीन संदिग्ध आस्तियां	शून्य	शून्य
पुनर्संरचित इत्यादि के अधीन आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य

4.8 मार्च, 20 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने रुपये 1967.87 करोड़ (अंकित मूल्य) (बही मूल्य-रुपये 1980.40 करोड़) राशि की शासकीय प्रतिभूतियां "परिपक्वता तक धारण (एचटीएम)" से "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणी में स्थानांतरित किया है और रुपये 1051.98 करोड़ (अंकित मूल्य) (बही मूल्य रुपये 1033.28 करोड़) राशि की शासकीय प्रतिभूतियां "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" से "परिपक्वता तक धारण (एचटीएम)" श्रेणी में स्थानांतरित किया है। अवधि के दौरान एएफएस से एचटीएम में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर रुपये 56.11 करोड़ का एमटीएम हानि निर्धारित किया गया था।

4.9.1 वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/बिक्रियों का मूल्य (पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत एकबारगी अंतरण व बिक्री तथा भारत सरकार द्वारा शासकीय प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद के अतिरिक्त), वर्ष के प्रारंभ पर एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य का 5% से अधिक नहीं है।

4.9.2 एचटीएम श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री पर सकल लाभ (करों के समायोजन बिना) को आरक्षित पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

4.9.3 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यहास के कारण किए गए प्रावधान किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाए जाते हैं, अधिकता को लाभ-हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है और समकक्ष राशि को निवेश आरक्षित खाते में विनियोजित किया जाता है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 गैर निष्पादित आस्तियां

(रुपये करोड़ में)

मदें		2019-20	2018-19
(i)	निवल एनपीए को निवल अग्रिम (%)	8.03	7.22
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	66.74	59.46
(iii)	सकल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	8605.87	7801.65
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2908.56	3666.37
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	2639.86	2862.15
	(घ) इति शेष	8874.57	8605.87
(iv)	निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	4994.23	4607.87
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2136.42	3048.58
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	2446.50	2662.22
	(घ) इति शेष	4684.15	4994.23
(v)	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अतिरिक्त)		
	(क) अथ शेष	3563.60	3154.18
	(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	805.68	2193.89
	(ग) घटा : अधिक प्रावधान का बट्टा खाते डालना, प्रतिलेखन	230.49	1784.47
	(घ) इति शेष	4138.79	3563.60

4.6 Derivatives

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs.427.40 crore.

4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2019-20	2018-18
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.8 During the year ending March, 20 the Bank has shifted Govt. securities amounting to Rs.1967.87 crore (Face value) (Book Value -Rs.1980.40 crore) from "Held till Maturity (HTM)" to "Available for Sale (AFS)" category and Rs 1051.98 crore (Face Value) (Book Value Rs.1033.28 crore) from "Available for Sale (AFS)" to "Held till Maturity (HTM)" category. During the period, MTM loss of Rs.56.11 crore was booked on shifting to securities from AFS to HTM.

4.9.1 The value of shifting/ sales from HTM category(excluding one time transfer and sale under pre-announced OMO auctions and repurchase of Government securities by Government of India) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

4.9.2 Gross profit (without netting of Taxes) on sale of securities under HTM categories are transferred to Capital Reserve Account.

4.9.3 Provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items		2019-20	2018-19
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	8.03	7.22
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	66.74	59.46
(iii)	Movement of Gross NPAs		
(a)	Opening Balance	8605.87	7801.65
(b)	Additions during the year	2908.56	3666.37
(c)	Reductions during the year	2639.86	2862.15
(d)	Closing balance	8874.57	8605.87
(iv)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	4994.23	4607.87
(b)	Additions during the year	2136.42	3048.58
(c)	Reductions during the year	2446.50	2662.22
(d)	Closing balance	4684.15	4994.23
(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening Balance	3563.60	3154.18
(b)	Add: provisions made during the year	805.68	2193.89
(c)	Less: write off, write back of excess provisions	230.49	1784.47
(d)	Closing balance	4138.79	3563.60

5.2 डीआईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी के उपयुक्त दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य हैं, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए प्रावधान में विचलन

2018-19 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को रिपोर्ट के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आरबीआई परिपत्र संख्या बीआर., बीपी.बीसी.सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18.04.2017 व डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांकित 01.04.2019 तथा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/80/2017 दिनांकित 18.07.2017 के अनुरूप, आवश्यक प्रकटीकरण का विवरण निम्न है:

क्र सं.	विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
1	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	8605.87
2	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित सकल एनपीए	8925.87
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	320.00
4	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	4994.22
5	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया निवल एनपीए	4677.22
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	(317.00)
7	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	3563.60
8	दिनांक 31.03.2019 को आरबीआई द्वारा निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधान	4200.60
9	प्रावधानन में विचलन (8-7)	637.00
10	मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	(543.48)
11	प्रावधानन में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (कल्पित) शुद्ध लाभ	(1180.48)

* 31 मार्च, 2019 संदर्भित अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में विचलन का निर्धारण किया गया है।

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

In compliance with the Risk Assessment Report (RAR) for the year ended 2018-19, non-performing assets as per report have duly been classified and additional provision has been made. In conformity with RBI Circular No. BR.BP. BC.NO>63/21.04.018/2016-17 dated 18th April 2017 & DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/80/2017 dated July 18, 2017, the required disclosure is detailed below-

S. No	Particulars	Amount (Rs. in crores)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2019* as reported by the bank	8605.87
2.	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	8925.87
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	320.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the bank	4994.22
5.	Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	4677.22
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	(317.00)
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the bank	3563.60
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	4200.60
9.	Divergence in provisioning (8-7)	637.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	(543.48)
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(1180.48)

* March 31, 2019 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed

5.4 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

31.03.2020 को पुनः संरचित खातों का विवरण

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	पुनःसंरचना का प्रकार	सीडीभार के अंतर्गत व्यवस्था				एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनःसंरचना व्यवस्था				अन्य				कुल				
		मानक	अवमानक	संविध्य	शुल्क	मानक	अवमानक	संविध्य	शुल्क	मानक	अवमानक	संविध्य	शुल्क	मानक	अवमानक	संविध्य	शुल्क	
	आस्ति वर्गीकरण																	
	विवरण																	
1	वित्तीय-वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*					1214		2	1216	4		1	5	1218		3		1221
						72.77		0.76	73.53	236.63		116.41	353.04	309.4		117.17		426.57
						5.57		0.2	5.77	11.41		46.56	57.97	16.98		46.76		63.74
2	वर्ष के दौरान नए पुनःसंरचित खाते					3030	64	5	3099	107	9	1	117	3137	73	6		3216
						172.25	13.72	0.13	186.1	198.66	0.35		199.01	370.91	14.07	0.13		385.11
						18.19	2.06	0.04	20.29	14.84	0.06		14.9	33.03	2.12	0.04		35.19
3	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्मयन																	
4	अग्रिम पुनःसंरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त-वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित मानक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है																	
5	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का उन्मयन																	
6	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अपतिलिखित																	
7	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खाते (अंतिम आंकड़े)*																	

* मानक मानक अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)

5.4 Details of Accounts Restructured:

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2020

(Rupees in crores)

Sl.	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism			Under SME Debt Restructuring Mechanism			Others			TOTAL					
		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower	1214	2	1216	4	1	5	1218	3	1221					
		Amt.O/s	72.77	0.76	73.53	236.63	116.41	353.04	309.4	117.17	426.57					
		Prov. thereon	5.57	0.2	5.77	11.41	46.56	57.97	16.98	46.76	63.74					
2	Fresh Restructuring during the year	No. of Borrower	3030	5	3099	107	9	117	3137	6	3216					
		Amt.O/s	172.25	0.13	186.1	198.66	0.35	199.01	370.91	14.07	385.11					
		Prov. thereon	18.19	0.04	20.29	14.84	0.06	14.9	33.03	2.12	35.19					
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No. of Borrower														
		Amt.O/s														
		Prov. thereon														
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower														
		Amt.O/s														
		Prov. thereon														
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrower(-)	61		61		1	1		61	1	62				
		Amt.O/s (-)	2.04		2.04		99.25	99.25		2.04	99.25	101.29				
		Prov. Thereon (-)	0.3		0.3		5.7	5.7		0.3	5.7	6				
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower	259	2	261		1	1	259	3	262					
		Amt.O/s (-)	18.59	0.16	19.35	155.94	154.4	310.34	174.53	13.43	187.96					
7	Restructured accounts as on Mar'31 of the FY ((Closing figures)*)	No. of Borrower	3985	5	4115	111	9	122	4096	134	4237					
		Amt.O/s	226.43	15.60	242.16	279.35	61.26	340.96	505.78	15.95	583.12					
		Prov. thereon	19.86	2.36	22.26	18.92	24.5	43.48	38.78	2.42	65.74					

*/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

5.5 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना को लागू करना

(रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की भारत औसत जोखिम अवधि	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पूर्व	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2018-19)	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20	-	-	-	-	-

5.6 अनुकूल ऋण पुनःसंरचना योजना (खाते जो वर्तमान में जकड़ी हुई अवधि में हैं)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को इनवोक किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.7 एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू कर दिया गया है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्री या जारी किए गए नए शेयरों से स्वामित्व में परिवर्तन उल्लिखित है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
	59.05	शून्य	शून्य	शून्य	7.16	शून्य	NIL	शून्य

5.8 दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनःसंरचना हेतु योजना (एस4ए)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
		पार्ट A में	पार्ट B में	
मानक वर्गीकृत	-	शून्य	-	-
एनपीए वर्गीकृत	-	शून्य	-	-

5.5 Application of Flexible Structuring to Existing Loans

(Rupees in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexile structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year (2018-19)	-	-	-	-	-
Current Financial Year (2019-20)	-	-	-	-	-

5.6 Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Rupees in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

5.7 Change in Ownership outside SDR Scheme

(Rupees in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
	59.05	NIL	NIL	NIL	7.16	NIL	NIL	NIL

5.8 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

(Rupees in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard	-	NIL	-	-
Classified as NPA	-	NIL	-	-

5.9 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(रु.करोड़ में)

मर्दे		2019-20	2018-19
(i)	खातों की संख्या	1	शून्य
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	0	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	66.62	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	NIL	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	66.62	शून्य

ख. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(रु.करोड़ में)

मर्दे		2019-20	2018-19
(i)	बैंक द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	37.62	37.62
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संगठनों/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	-	-
कुल		37.62	37.62

5.10 खरीदे/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) क्रय की गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु.करोड़ में)

विवरण		2019-20	2018-19
1.	क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु.करोड़ में)

विवरण		2019-20	2018-19
1.	बेचे गए खातों की संख्या	01	शून्य
2.	कुल बकाया	122.32	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	66.62	शून्य

5.11 मानक आस्तियों पर प्रावधान

मर्दे		2019-20	2018-19
मानक आस्तियों पर प्रावधान		309.96	269.81
अंकित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम		13.49	8.33

5.12 धोखाधड़ी संबंधी खातों में प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	सम्मिलित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित राशि	आज की तिथि में अपरिशोधित राशि
2019-20	67	397.28	380.09	17.19	17.19
2018-19	41	412.27	412.27	शून्य	शून्य
2017-18	23	136.60	136.28	शून्य	शून्य
2016-17	16	178.78	178.76	शून्य	शून्य

5.9 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(Rupees in crore)

Item		2019-20	2018-19
(i)	Number of Accounts	1	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0	Nil
(iii)	Aggregate consideration	66.62	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	66.62	Nil

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Rupees in crore)

Item		2019-20	2018-19
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	37.62	37.62
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	-	-
Total		37.62	37.62

5.10 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2019-20	2018-19
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars		2019-20	2018-19
1.	No. of accounts sold	01	NIL
2.	Aggregate outstanding	122.32	NIL
3.	Aggregate consideration received	66.62	NIL

5.11 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item		2019-20	2018-19
Provisions towards Standard Assets		309.96	269.81
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances		13.49	8.33

5.12 Provisioning pertaining to Fraud Accounts

(Rs in crores)

Year	No of Frauds Reported	Amount Involved	Provision made	Unamortized Amount	Unamortized Amount As on Date
2019-20	67	397.28	380.09	17.19	17.19
2018-19	41	412.27	412.27	Nil	Nil
2017-18	23	136.60	136.28	Nil	Nil
2016-17	16	178.78	178.76	Nil	Nil

- 5.13.1 भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी.बीसी.18/21.04.048/12018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 से और उसी दिशा-निर्देश के लिए विस्तारित दिशा-निर्देश भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/ 21.04.048 / 2019-20 फरवरी 11, 2020 को "माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत, 31 मार्च, 2019 को एमएसएमई पुनर्गठन खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठन किए गए खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
4023	159.35

- 5.13.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिनांक 22.04.2019 और भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देश, बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को मानक खाते के रूप में रखा है। हालाँकि, आईआरएसी मानदंड के अनुसार आवश्यक प्रावधान @ 25% बनाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं

आईआरएसी मानदंड के अनुसार एनपीए के अनुसार राशि उपचारित नहीं की गई	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	किया गया वास्तविक प्रावधान
142.65	35.66	35.66

- 5.13.3 बैंक 31 मार्च, 2020 तक रु. 3.36 करोड़ का प्रावधान कर रहा है, जो पंजाब सरकार द्वारा आरबीआई के पत्र क्रमांक डीबीआर (बीपी) क्रमांक- 7201/ 21.04.132/2017-18 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार बकाया खाद्य ऋण का 5% है, जो भारतीय स्टेट बैंक, लीड बैंक को जारी किया गया।

- 5.13.4 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)को 2019-20 के मार्च 2020 तिमाही के दौरान सड़क परियोजनाओं में एक उधार खाते की रिपोर्ट दी है, जिसमें 31.12.2019 की बकाया राशि रु.38.19 करोड़ शामिल है। दिनांक 31.10.2016 से खाता पहले से ही एनपीए की श्रेणी में था और 31.12.2019 तक 15.27 करोड़ रुपये का प्रावधान था। 2019-20 की मार्च तिमाही के दौरान रु. 5.73 करोड़ का एक और प्रावधान किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार रु .17.19 करोड़ की शेष राशि के प्रावधान को स्थगित करने का लाभ उठाया है। तदनुसार दिनांक 31.03.2020 तक रु 21 करोड़ की राशि प्रदान की गई है और शेष राशि 17.19 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2020-21 की आगामी तीन तिमाहियों में प्रदान की गई है।

6 कारोबार अनुपात

मदें		2019-20	2018-19
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	7.25%	7.42%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.82%	0.72%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.00%	1.21%
(iv)	आस्तियों से आय	(-) 0.91%	(-)0.47%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ +अग्रिम)	16.98	18.87
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़ में)	(-) 11.14	(-)6.06

5.13.1 As per RBI Circular No. DBR.No.BP.BC18\21.04.048/2018-19 dated 01st January, 2019 and extended guidelines for the same vide RBI Circular No. DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Service Tax (GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2019 are as under:

No. of Accounts Restructured	Amount(Rs.in crore)
4023	159.35

5.13.2 In terms of Hon`ble Supreme Court order dated 22.04.2019 and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI), the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Private Limited (DAMEPL) as standard account. However, the necessary provisions as per IRAC norms @ 25% have been made which are as under:

(Rs. in crore)

Amount not treated as per NPA as per IRAC norms	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held
142.65	35.66	35.66

5.13.3 The Bank is carrying a provision of Rs.11.36 crore as at 31st March, 2020 being 5% of outstanding food credit availed by the State Government of Punjab as per the RBI letter No. DBR(BP) No!7201!21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018 issued to SBI the lead bank.

5.13.4 Bank has reported one borrowal account in the Road Projects under borrowal fraud category to Reserve Bank of India (RBI) during March 2020 quarter of the year 2019-20, involving an amount of Rs.38.19 crore outstanding as on 31.12.2019. The account was already under NPA category since 31.10.2016 and provision of Rs.15.27 crore was held till 31.12.2019. A further provision of Rs.5.73 crore has been made during the March quarter of 2019-20 and has availed dispensation for deferment of balance provision of Rs.17.19 crore, as per RBI circular no DBR No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18-04-2016. Accordingly, an amount of Rs.21 Crore has been provided till 31.03.2020 and balance Rs.17.19 crore has been deferred to be provided in next 3 quarters of Financial Year 2020-21.

6. Business Ratios

Items		2019-20	2018-19
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	7.25%	7.42%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.82%	0.72%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.00%	1.21%
(iv)	Return on Assets	(-) 0.91%	(-)0.47%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	16.98	18.87
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	(-) 11.14	(-)6.06

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2020 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रुपये करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 - 7 दिन	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 - 14 दिन	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 - 30 दिन	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 दिन से 2 महीने	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
2 महीने से 3 महीने तक	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
3 महीने से 6 महीने तक	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
6 महीने से 1 साल तक	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
1 साल से 3 साल तक	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
3 साल से 5 साल तक	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
5 साल से ज्यादा	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
कुल	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

8. ऋण जोखिम:

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2020	31.03.2019
1)	प्रत्यक्ष जोखिम		
	(क) रिहायशी बंधक		
	i. आवासीय संपत्ति को बंधक रख श्रृण देना पूर्णतया सुरक्षित है	6575.30	6000.25
	ii. प्राथमिकतो क्षेत्र के अग्रिम में समावेशन हेतु व्यक्तिगत आवासीय श्रृण उपयुक्त है।	4536.96	4342.82
	(ख) व्यावसायिक अचल संपत्ति		
	व्यावसायिक अचल संपत्ति(कार्यालय इमारतों, खुदरा क्षेत्र, बहु उद्देश्य व्यावसायिक परिसर, बहु परिवार आवासीय इमारतों, बहु किरायेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक गोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण, इत्यादि) को बंधक रख श्रृण देना पूर्णतया सुरक्षित है। विवरण में गैर कोष आधारित सीमाओं को भी लिया गया है।	2054.98	2227.04
	(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतिकृत विवरण में निवेश	शून्य	शून्य
	क. आवासीय	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक अचल संपत्ति	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष विवरण (राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर कोष एवं गैर कोष आधारित विवरण।)	4647.32*	4808.62*
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी		13271.88	13035.91

* एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 1256.55 करोड़(विगत वर्ष में रु. 1373.81) के निवेश शामिल हैं।

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2020:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	401.19	760.48	0.00	0.00	17.53	97.22
2 – 7 days	1707.20	755.94	97.80	0.00	1.55	13.30
8 – 14 days	1222.60	1039.32	30.00	0.00	1.97	21.70
15 - 30 days	4118.03	845.49	5.21	0.00	9.13	32.33
31 days to 2 months	6672.76	535.82	75.20	0.00	15.59	63.86
Over 2 months & up to 3 months	6091.90	1161.84	60.98	0.00	8.11	84.10
Over 3 months & up to 6 months	12333.02	1824.37	421.69	0.00	30.38	98.67
Over 6 months & up to 1 year	22997.51	4720.13	325.6	0.00	61.40	69.23
Over 1 year & up to 3 years	15804.33	10313.35	2567.35	475.75	87.61	0.23
Over 3 years & up to 5 years	9388.35	10268.47	2913.13	0.00	12.46	0.00
Over 5 years	8930.65	26186.69	18055.14	0.00	0.00	0.00
Total	89667.55	58411.91	24552.10	475.75	245.73	480.64

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category		31.03.2020	31.03.2019
1)	Direct Exposure		
	(a) Residential Mortgages		
	i. Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	6575.30	6000.25
	ii. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	4536.96	4342.82
	(b) Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2054.98	2227.04
	(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	Nil	Nil
	a. Residential	Nil	Nil
	b. Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	4647.32*	4808.62*
Total Exposure to Real Estate Sector		13271.88	13035.91

* includes Rs. 1256.55 crore (Previous year Rs. 1373.81 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रुपये करोड़ में)

मर्दे		31.03.2020	31.03.2019
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया।	352.25	344.79
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों /बाण्डों /ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम।	शून्य	1.20
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	शून्य	शून्य
4.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड्स की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम यानी जहाँ शेयरों / परिवर्तनीय बॉन्डों / परिवर्तनीय डिबेंचर्स / इक्विटी म्युचुअल फंडों की इकाइयों के अलावा अन्य प्राथमिक सुरक्षा करता है म्युचुअल फंडों को पूरी तरह से कवर नहीं करना;	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकर्स को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां।	8.60	8.54
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्ड्स एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों /बाण्डों /ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कपनियों के संस्वीकृत ऋण।	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे ।	शून्य	शून्य
9.	सीमांत सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकर्स को दिया गया वित्त ।	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	4.38	3.63
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी		365.23	356.96

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंटी एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा अतिक्रमण की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा का निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अतिक्रमण नहीं किया है:

क्र. सं.	उधारकर्ताओं का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	एलईएफ के अनुसार ऋण जोखिम की सीमा	31.03.2020 को लिमिट/ देयताएं	31.03.2019 को टियर-1 पूंजी के संबंध में एक्सपोजर (%)
1	आईएलएफएस ग्रुप	1390	25%	1770.79	31.81%
2	इंडियाबुल्स ग्रुप	1390	25%	1513.95	27.19%
3	कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1390	25%	1401.69	25.18%

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items		31.03.2020	31.03.2019
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	352.25	344.79
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	Nil
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	Nil	Nil
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	8.60	8.54
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	4.38	3.63
Total Exposure to Capital Market		365.23	356.96

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2019-20, Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group/ borrower, in the following case :

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2020	Exposure (%) w.r.t. Tier-I Capital as on 31.03.2019
1	ILFS GROUP	1390	25%	1770.79	31.81%
2	Indiabulls Group	1390	25%	1513.95	27.19%
3	Kaleshwaram Irrigation Project Corporation Limited	1390	25%	1401.69	25.18%

8.5 अमूर्त संपार्श्विक के खिलाफ असुरक्षित अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि पर ऋण भार ।	520.49	158.08
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	520.49	158.08

8.6 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)

भा.रि. बैंक डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रु3000 करोड़ का जोखिम बाँटने के आधार पर अधिकतम 95 दिन के लिए अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी किया गया है जिसके कारण कुछ सीमा तक दिनांक 31.03.2020 को बैंक के कुल अग्रिम उस सीमा तक कम हो गए हैं।

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड का प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	3.87	1.00
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

	2019-20	2018-19
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	5.15	2.83
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
ग. एपीवाई पर कमीशन	0.89	0.38

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एस)

10.1 एस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मर्दे तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

10.1.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि मर्दों में से कोई भी तथ्य शेष नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें नोट्स में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 अप्रैल 2017 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड - 10, (संशोधित 2016) के लिए रु 5.68 करोड़ का मूल्यह्रास चालू वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के पुनरीक्षित हिस्से पर 5.68 करोड़ रुपये रेवल्यूशन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, लाभ और हानि खाते में जमा करने के बजाय लाभ में 5.68 करोड़ की कमी आई है।

10.3 एस-9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मर्दों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता) में प्रकट मर्दों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त आय को ठोस न माना जाए।

10.4 एस 15 - कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस-15) के आधार पर किया गया है।

10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	520.49	158.08
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	520.49	158.08

8.6 Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC)

In terms of RBI Guidelines DBOD No. BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) of Rs.3000 crore has been issued on risk sharing basis for maximum period of 95 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2020 to same extent.

9.1 Disclosure of penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
A. Penalty imposed by RBI on Bank during the year	3.87	1.00
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	NIL	NIL

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

	2019-20	2018-19
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	5.15	2.83
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	NIL	NIL
C. Commission on APY	0.89	0.38

10. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 Pursuant to Accounting Standard – 10, (Revised 2016) on Property Plant & Equipment, applicable from 1st April 2017, depreciation of Rs.5.68 crore for the year on revalued portion of fixed assets has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve during the current year instead of crediting to Profit and Loss Account resulting decrease in profit by Rs.5.68 crore.

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 AS 15 - Employees Benefit

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43
ब्याज लागत	205.39	221.04	15.81	20.14	8.92	9.50
गत सेवा लागत	0	0	0	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	165.89	92.08	14.11	11.86	16.36	8.85
प्रदत्त लाभ	(355.05)	(345.89)	(65.00)	(75.24)	(30.01)	(32.56)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	206.78	238.76	44.50	13.48	42.73	23.37
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	292.76	274.96	24.14	19.17	14.11	9.69
नियोक्ता अंशदान	244.24	288.52	18.00	119.32	12.00	65.82
प्रदत्त लाभ	(355.05)	(345.89)	(65.00)	(75.24)	(30.01)	(32.56)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	37.23	13.71	5.10	4.91	(0.14)	2.49
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	329.99	288.67	29.24	24.08	13.97	12.18

10.4.5 कुल वास्तविक हानि/ (लाभ)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) दायित्व(ए)	206.78	238.76	44.50	13.48	42.73	23.37
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(37.23)	(13.71)	(5.10)	(4.91)	0.14	(2.49)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.3 Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Present Value of defined benefit obligation as at 1 st April	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43
Interest cost	205.39	221.04	15.81	20.14	8.92	9.50
Past Service Cost	0	0	0	0	0	0
Current service cost	165.89	92.08	14.11	11.86	16.36	8.85
Benefits paid	(355.05)	(345.89)	(65.00)	(75.24)	(30.01)	(32.56)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	206.78	238.76	44.50	13.48	42.73	23.37
Present value of defined Benefit obligation at 31 st March	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59

10.4.4 Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Fair value of Plan Assets as at 1st April	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
Expected return of Plan Assets	292.76	274.96	24.14	19.17	14.11	9.69
Contributions	244.24	288.52	18.00	119.32	12.00	65.82
Benefits paid	(355.05)	(345.89)	(65.00)	(75.24)	(30.01)	(32.56)
Actuarial gain/(loss)	37.23	13.71	5.10	4.91	(0.14)	2.49
Fair value of Plan Assets as at 31st March	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
Actual return on Plan Assets	329.99	288.67	29.24	24.08	13.97	12.18

10.4.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	206.78	238.76	44.50	13.48	42.73	23.37
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(37.23)	(13.71)	(5.10)	(4.91)	0.14	(2.49)
Net Actuarial loss/(gain)	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

10.4.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(26.16)	(22.33)	(3.38)	23.80	(41.39)	0.65
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	---	---
अमान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	---	---
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(26.16)	(22.33)	(3.38)	23.80	(41.39)	0.65

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
चालू सेवा लागत	165.89	92.08	14.11	11.86	16.36	8.85
बीती हुई सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत	205.39	221.04	15.81	20.14	8.92	9.50
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(292.76)	(274.96)	(24.14)	(19.17)	(14.11)	(9.69)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ)/हानि	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
शुद्ध (लाभ) व्यय	248.07	263.22	45.18	21.40	54.04	29.54

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियां	22.33	47.63	(23.80)	74.12	(0.65)	35.63
शुद्ध लाभ व्यय	248.07	263.22	45.18	21.40	54.04	29.54
घटाएं -दिया गया अंशदान	244.24	288.52	18.00	119.32	12.00	65.82
अन्तिम देयता/आस्तियां	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)
जोड़ें- किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्तिम देयता/आस्तियां	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)

10.4.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	3629.86	3406.85	278.57	269.15	186.59	148.59
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	3603.70	3384.52	275.19	292.95	145.20	149.24
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(26.16)	(22.33)	(3.38)	23.80	(41.39)	0.65
Higher Provisioning kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Transitional liability recognized during the year	---	---	---	---	---	---
Unrecognized transitional liability	---	---	---	---	---	---
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(26.16)	(22.33)	(3.38)	23.80	(41.39)	0.65

10.4.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Current service cost	165.89	92.08	14.11	11.86	16.36	8.85
Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
Interest cost	205.39	221.04	15.81	20.14	8.92	9.50
Expected return on plan assets	(292.76)	(274.96)	(24.14)	(19.17)	(14.11)	(9.69)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	169.55	225.05	39.40	8.57	42.87	20.88
Net (benefit)/ expense	248.07	263.22	45.18	21.40	54.04	29.54

10.4.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Opening net Liability/(Asset)	22.33	47.63	(23.80)	74.12	(0.65)	35.63
Net benefit expense	248.07	263.22	45.18	21.40	54.04	29.54
Less: Contribution paid	244.24	288.52	18.00	119.32	12.00	65.82
Closing liability/(Asset)	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	26.16	22.33	3.38	(23.80)	41.39	(0.65)

10.4.9 न्यास द्वारा रखरखाव किए जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	11.36	12.20	---	---	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	32.55	33.09	24.34	22.31	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बॉण्ड्स	32.61	33.51	36.96	36.30	100.00	100.00
अन्य निवेश	23.48	20.98	38.70	41.38	शून्य	शून्य

10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
बट्टा दर	6.36	7.30	6.68	7.71	6.68	7.71
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.65	8.72	8.24	8.53	9.46	9.34
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर योजनागत आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मांग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ*		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
देयता का वर्तमान मूल्य	6.28	6.16	1.22	1.03	0.598	0.603	1.45	1.34
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	6.28	6.16	1.22	1.03	0.598	0.603	1.45	1.34

* जैसा कि प्रबंधन ने आकलन किया।

10.4.9 Investment percentage maintained by the trust

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Central Government Securities	11.36	12.20	---	---	Nil	Nil
State Government Securities	32.55	33.09	24.34	22.31	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	32.61	33.51	36.96	36.30	100.00	100.00
Other investments	23.48	20.98	38.70	41.38	Nil	Nil

10.4.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Discount rate	6.36	7.30	6.68	7.71	6.68	7.71
Expected rate of return on plan assets	8.65	8.72	8.24	8.53	9.46	9.34
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Present Value of Obligation	6.28	6.16	1.22	1.03	0.598	0.603	1.45	1.34
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.28	6.16	1.22	1.03	0.598	0.603	1.45	1.34

* As assessed by the management

10.5 लेखामानक - 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

(रु.लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.20 (लेखा परीक्षित)	31.03.19 (लेखा परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	239532	265611
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	403037	439024
ग. फुटकर बैंकिंग	239519	233739
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	604	321
कुल	882692	938695
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	72770	80528
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	53713	73356
ग. फुटकर बैंकिंग	31921	39056
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	604	321
कुल	159008	193261
3. गैर-आबंटित व्यय	49317	53575
4. परिचालन लाभ	109691	139686
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	261928	225563
6. आयकर	-53157	-31529
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	-99080	-54348
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2500578	2665888
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4593134	5277448
ग. फुटकर बैंकिंग	2729632	2809743
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	227037	145126
कुल आस्तियां	10050381	10898205
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2415041	2560519
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4436017	5068858
ग. फुटकर बैंकिंग	2636260	2698688
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	3424	0
कुल आस्तियां	9490742	10328065

10.5 AS 17 – Segment Reporting:

Part A : Business Segment:

(Rs. in Lacs)

Particulars	Year ended	
	31.03.20 (Audited)	31.03.19 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	239532	265611
b) Corporate/ Wholesale Banking	403037	439024
c) Retail Banking	239519	233739
d) Other Banking Operations	604	321
Total	882692	938695
2. Segment Result		
a) Treasury	72770	80528
b) Corporate/ Wholesale Banking	53713	73356
c) Retail Banking	31921	39056
d) Other Banking Operations	604	321
Total	159008	193261
3. Unallocated Expenses	49317	53575
4. Operating Profit	109691	139686
5. Provisions & Contingencies	261928	225563
6. Income Tax	-53157	-31529
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	-99080	-54348
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2500578	2665888
b) Corporate/ Wholesale Banking	4593134	5277448
c) Retail Banking	2729632	2809743
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	227037	145126
Total Assets	10050381	10898205
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2415041	2560519
b) Corporate/ Wholesale Banking	4436017	5068858
c) Retail Banking	2636260	2698688
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	3424	0
Total Liabilities	9490742	10328065

नोट: आईसीएआई मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि क. राजकोष परिचालन ख. कारपोरेट/थोक बैंकिंग ग. फुटकर बैंकिंग घ. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कारपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

भाग ख : भौगोलिक खंड :

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी 20.09.2018 से
श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक 17.02.2017 से
श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक 10.10.2017 से

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक :

(रुपये लाख में)

नाम एवं पदनाम	2019-20	2018-19
श्री एस. हरिशंकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	29.37	14.25
श्री फरीद अहमद	26.42	23.99
श्री गोविंद एन डोंग्रे	26.04	23.64

ख. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

10.7 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	-990.80	-543.48
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	62.89	56.49
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	-15.76	-9.62
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21 - लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B : Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

(i) Mr. S. Harisankar	Managing Director & CEO w.e.f. 20.09.2018
(ii) Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017
(iii) Mr.Govind N.Dongre	Executive Director w.e.f. 10.10.2017

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in Lacs)

Name and Designation	2019-20	2018-19
Mr. S. Harisankar, Managing Director & CEO	29.37	14.25
Mr. Fareed Ahmed	26.42	23.99
Mr.Govind N.Dongre	26.04	23.64

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Loans outstanding	Nil	NIL

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Net Profit After tax available for equity Shareholders	-990.80	-543.48
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	62.89	56.49
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	-15.76	-9.62
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

मद	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-	21.89	15.41
2 संशोधित मजदूरी का प्रावधान	85.17	59.24	-	-
3 धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	-	-	70.10	67.04
4 निवेशों हेतु एनपीए पर प्रावधान	133.87	72.85	-	-
5 खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (एनपीए)	1618.50	1060.53	-	-
6 पुनः संरचित मानक आस्तियों के अंकित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	4.72	2.91	-	-
कुल	1842.26	1195.53	91.99	82.45

10.9.3 बैंक द्वारा आयोजित आयकर और आस्थगित कर के प्रावधान को कानूनी विशेषज्ञों और अनुकूल न्यायिक घोषणाओं की राय को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

10.9.4 भविष्य की कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता पर बैंक द्वारा की गई समीक्षा, जिस पर बुरे और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के कारण समय पर मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने उपरोक्त समय के अंतर पर आस्थगित कर रु 557.97 करोड़ की परिसंपत्ति को मान्यता दी है।

10.9.5 अपीलीय प्राधिकारियों / न्यायिक घोषणाओं / कानूनी विशेषज्ञों की राय के निर्णयों के मद्देनजर रु 595.48 करोड़ (पिछले वर्ष रु 57.48 करोड़) को एकत्रित करने की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

10.9.6 भारत सरकार, करानुदान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की, 1 अप्रैल, 2019 से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 115BAA डाला गया, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन कम दरों पर कॉरपोरेट कर का भुगतान करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। बैंक ने जारी प्रावधानों के अनुसार तिमाही और 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर मानना जारी रखा है।

10.10 लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी नहीं है अतः लेखांकन 23 लागू नहीं है।

10.11 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि प्रतिदान आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.12 लेखा मानक 28- आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28- में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2020 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

10.13.1 लेखा मानक - 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है:

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। या

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	Depreciation on Fixed Assets	-	-	21.89	15.41
2	Provision for wage revision	85.17	59.24	-	-
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	-	-	70.10	67.04
4	Provision for NPA on Investments	133.87	72.85	-	-
5	Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	1618.50	1060.53	-	-
6	Provision for diminution in FV of Restructured Standard Assets	4.72	2.91	-	-
	Total	1842.26	1195.53	91.99	82.45

10.9.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.4 Review made by the bank on reasonable certainty of availability of future taxable income on which timing differences arising on account of provision for bad and doubtful debt, that can be realized and accordingly during the year 2019-20, the Bank has recognized Deferred Tax Asset of Rs.557.97 crore on the above timing differences.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.595.48 crore (Previous year Rs.57.48 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019, which provides irrevocable option to domestic companies to pay corporate tax at reduced rates subject to certain conditions. The Bank is currently in the process of evaluating this option. Bank continues to recognize the Taxes on Income for the quarter and year ended 31.03.2020 as per the earlier provisions.

10.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

10.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2020, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

- * यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके या
- * देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में घट-बढ़:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	25.55	26.44	1.82	4.46	3.02	5.35	24.35	25.55
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	7.62	6.83	0.00	0.79	0.00	NIL	7.62	7.62
एल.सी. डेवेलब्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.14 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के नोट उपयुक्त भाग में उपयुक्त स्थानों पर किया गया है।

11.1. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रुपये करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2019-20	2018-19
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	2308.30	1962.25
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	40.15	-17.41
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	5.16	-6.83
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	230.79	136.30
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-12.64	121.61
अन्य प्रावधान	47.51	59.71
कर-निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	188.62	291.68
आस्थगित कर	-637.19	-519.74
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता-वर्तमान वर्ष	-82.99	-130.76
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता संशोधित	-	-
पिछले वर्ष का कर व्यय	-	43.53
कुल	2087.71	1940.34

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रुपये करोड़ में)

	2019-20	2018-19
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	25.55	26.44	1.82	4.46	3.02	5.35	24.35	25.55
Invoked Bank Guarantees	7.62	6.83	0.00	0.79	0.00	NIL	7.62	7.62
L.C Devolved	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

10.14 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1. Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2019-20	2018-19
Provision for Non Performing Advances	2308.30	1962.25
Provision for Standard Assets	40.15	-17.41
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	5.16	-6.83
Provision for Non Performing Investments	230.79	136.30
Provision for Depreciation in the value of Investments	-12.64	121.61
Other Provisions	47.51	59.71
Provision for Taxation:		
Current Tax	188.62	291.68
Deferred Tax	-637.19	-519.74
MAT Credit Entitlement—Current Year	-82.99	-130.76
MAT Credit Entitlement Reversed	-	-
Previous Year Tax Expenses	-	43.53
Total	2087.71	1940.34

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees. in crore)

	2019-20	2018-19
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

वित्तीय वर्ष 31.03.2020 को समाप्ति के दौरान कुल रुपये शून्य की राशि पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से निकाला गया है।

11.4 ग्राहक शिकायतें:

		2019-20	2018-19
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	60	46
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	22291	9213
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	22212	9199
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	139	60

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले:

		2019-20	2018-19
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	1	शून्य
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	शून्य
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2020	31.03.2019
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	14429.59	24907.28
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	16.09%	25.27%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2020	31.03.2019
कुल 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम	18320.00	19700.21
कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का प्रतिशत	29.28%	27.08%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2020	31.03.2019
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	19644.82	22768.80
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	22.41%	24.57%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2020	31.03.2019
सबसे बड़े 4 एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	1911.98	1402.71

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs. Nil during Financial year ended 31.03.2020 has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2019-20	2018-19
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	60	46
b)	No. of Complaints received during the year	22291	9213
c)	No. of Complaints redressed during the year	22212	9199
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	139	60

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2019-20	2018-19
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	1	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	1	Nil
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2020	31.03.2019
Total Deposits of twenty largest depositors	14429.59	24907.28
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	16.09%	25.27%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. in crore)

	31.03.2020	31.03.2019
Total Advances to twenty largest borrowers	18320.00	19700.21
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	29.28%	27.08%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. in crore)

	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	19644.82	22768.80
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	22.41%	24.57%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. in crore)

	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to top four NPA Accounts	1911.98	1402.71

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु करोड़ों में)

क्र.सं	क्षेत्र	31.03.2020			31.03.2019		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	9824.86	993.99	10.12%	9854.63	1062.37	10.78%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	2945.45	619.83	21.04%	3460.94	768.97	22.22%
3.	सेवा क्षेत्र	8156.64	1278.10	15.67%	6639.55	967.81	14.58%
4.	व्यक्तिगत ऋण	4635.40	303.22	6.54%	5453.73	414.3	7.60%
	उप-योग (क)	25562.35	3195.14	12.50%	25408.85	3213.45	12.65%
ख	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	0	0	0%	0	0	0%
2	उद्योग	13168.20	2207.56	16.76%	18935.87	3391.07	17.91%
3	सेवा क्षेत्र	19748.27	3110.48	15.75%	25312.14	1815.69	7.17%
4	व्यक्तिगत ऋण	4085.38	361.39	8.85%	3090.61	185.65	6.01%
	उप-योग (ख)	37001.85	5679.43	15.35%	47338.62	5392.41	11.39%
	कुल (क+ख)	62564.20	8874.57	14.18%	72747.47	8605.86	11.83%

* बैंक उक्त प्रारूप में उन उप क्षेत्रों को जिनके कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, को प्रकट कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	8605.87	7801.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	2908.56	3666.37
उप-योग (क)	11514.43	11468.02
घटा : i) उन्नयन	394.39	343.73
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	464.60	883.38
iii) बट्टे खातों में डालना	1733.11	1574.45
iv) उक्त iii) के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डाले गए	47.76	60.59
उप-योग ख,	2639.86	2862.15
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क-ख)	8874.57	8605.87

11.7 Sector Wise NPAs

Sl. No.	Sector*	31.03.2020			31.03.2019		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	9824.86	993.99	10.12%	9854.63	1062.37	10.78%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	2945.45	619.83	21.04%	3460.94	768.97	22.22%
3	Services	8156.64	1278.10	15.67%	6639.55	967.81	14.58%
4	Personal loans	4635.40	303.22	6.54%	5453.73	414.3	7.60%
	Sub-total (A)	25562.35	3195.14	12.50%	25408.85	3213.45	12.65%
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0	0	0%	0	0	0%
2	Industry	13168.20	2207.56	16.76%	18935.87	3391.07	17.91%
3	Services	19748.27	3110.48	15.75%	25312.14	1815.69	7.17%
4	Personal loans	4085.38	361.39	8.85%	3090.61	185.65	6.01%
	Sub-total (B)	37001.85	5679.43	15.35%	47338.62	5392.41	11.39%
	Total (A+B)	62564.20	8874.57	14.18%	72747.47	8605.86	11.83%

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	8605.87	7801.65
Additions (Fresh NPAs) during the year	2908.56	3666.37
Sub-total (A)	11514.43	11468.02
Less: (i) Up-gradations	394.39	343.73
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	464.60	883.38
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	1733.11	1574.45
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	47.76	60.59
Sub-total (B)	2639.86	2862.15
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	8874.57	8605.87

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों का प्रारंभिक शेष	3712.52	2306.34
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खाते	1733.11	1574.45
उप-योग (क)	5445.63	3880.79
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों से की गई वसूली (ख)	235.46	168.27
31 मार्च को (इति शेष) (क-ख)	5210.17	3712.52

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियाँ	52.71	65.16
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	2.34	3.22

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं	विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
		संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	उधारियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता की शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएफ) हेतु अंतरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
डीइएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	187.51	158.82
जमा : वर्ष के दौरान डीइएफ हेतु अंतरित राशि	30.35	31.00
घटा : डीइएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	2.49	2.31
डीइएफ को अंतरित राशि का इति शेष	215.37	187.51

11.13 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 के अनुसार बैंक ने गैर-विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान किया है और 31 मार्च, 2020 तक रु 2.21 करोड़ की राशि बकाया है।

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	3712.52	2306.34
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	1733.11	1574.45
Sub-total (A)	5445.63	3880.79
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	235.46	168.27
Closing balance as at March 31 (A-B)	5210.17	3712.52

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rupees. in Crores)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	52.71	65.16
Total NPAs	0	0
Total Revenue	2.34	3.22

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
NIL	NIL	NIL	NIL

11.11 Intra-Group Exposures

S.No.	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil	Nil	Nil
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	Nil	Nil	Nil	Nil
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil	Nil	Nil
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil	Nil	Nil

11.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of amounts transferred to DEAF	187.51	158.82
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	30.35	31.00
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.49	2.31
Closing balance of amounts transferred to DEAF	215.37	187.51

11.13 In terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014, the Bank has made provision for Unhedged Foreign Currency and a sum of Rs.0.21 Crore is outstanding as on March 31, 2020.

12. चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(रुपये लाख में)

	30.06.2019		30.09.2019		31.12.2019		31.03.2020	
	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)							
नकदी प्रवाह								
2	5247311.87	522750.48	5303763.02	528391.56	5411333.06	539070.38	5515994.44	549514.90
(i)	39614.18	1980.71	39694.79	1984.74	41258.49	2062.92	41690.91	2084.55
(ii)	5207697.69	520769.77	5264068.23	526406.82	5370074.56	537007.46	5474303.53	547430.35
3	1272766.05	684799.60	1207434.11	657053.44	1150799.96	614625.22	1206235.53	646373.94
(i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	1272766.05	684799.60	1207434.11	657053.44	1150799.96	614625.22	1206235.53	646373.94
(iii)								
4	149422.02	10112.53	194237.21	15586.78	315149.81	26630.89	299137.94	25564.47
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	149422.02	10112.53	194237.21	15586.78	315149.81	26630.89	299137.94	25564.47
(iii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1225676.55	53526.37	1086106.36	46794.76	1116340.55	48212.56	1272697.38	55989.35
7		1271188.98		1247826.54		1228539.05		1277442.66
8	149422.02	10112.53	194237.21	15586.78	315149.81	26630.89	299137.94	25564.47
नकदी अंतः प्रवाह								
9	6808.62	0.00	27563.16	0.00	37481.16	0.00	62439.44	0.00
10	226633.44	120747.07	225306.83	137766.67	135513.76	74819.42	182834.58	100849.74
11	61574.07	57327.59	12803.03	12071.43	10053.03	9615.94	16564.29	15556.34
12	295016.14	178074.65	265673.02	149838.10	183047.95	84435.36	261838.31	116406.08
13		1818422.75		1829960.20		2022555.27		1943563.31
14		1093114.33		1097988.44		1144103.69		1161036.57
15		166.35%		166.66%		176.78%		167.40%

12. Liquidity Coverage Ratio

(Rs. In Crore)

		30.06.2019		30.09.2019		31.12.2019		31.03.2020	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets								
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	5247311.87	522750.48	5303763.02	528391.56	5411333.06	539070.38	5515994.44	549514.90
(i)	Stable Deposits	39614.18	1980.71	39694.79	1984.74	41258.49	2062.92	41690.91	2084.55
(ii)	Less stable deposits	5207697.69	520769.77	5264068.23	526406.82	5370074.56	537007.46	5474303.53	547430.35
3	Unsecured wholesale funding of which	1272766.05	684799.60	1207434.11	657053.44	1150799.96	614625.22	1206235.53	646373.94
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1272766.05	684799.60	1207434.11	657053.44	1150799.96	614625.22	1206235.53	646373.94
(iii)	Unsecured debt								
4	Secured wholesale funding		10112.53		15586.78		26630.89		25564.47
5	Additional requirements, of which	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	149422.02	10112.53	194237.21	15586.78	315149.81	26630.89	299137.94	25564.47
(iii)	Credit and liquidity facilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Other contractual funding obligations	1225676.55	53526.37	1086106.36	46794.76	1116340.55	48212.56	1272697.38	55989.35
7	Other contingent funding obligations		1271188.98		1247826.54		1228539.05		1277442.66
8	Total Cash Outflows		10112.53		15586.78		26630.89		25564.47
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	6808.62	0.00	27563.16	0.00	37481.16	0.00	62439.44	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	226633.44	120747.07	225306.83	137766.67	135513.76	74819.42	182834.58	100849.74
11	Other Cash Inflows	61574.07	57327.59	12803.03	12071.43	10053.03	9615.94	16564.29	15556.34
12	Total Cash Inflows	295016.14	178074.65	265673.02	149838.10	183047.95	84435.36	261838.31	116406.08
13	TOTAL HQLA		1818422.75		1829960.20		2022555.27		1943563.31
14	Total Net Cash Outflows		1093114.33		1097988.44		1144103.69		1161036.57
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		166.35%		166.66%		176.78%		167.40%

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ऋय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण-

क्र.सं	विवरण	2019-20		2018-19	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) जो किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. 'बेसल III पूंजी पर्याप्तता पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार व 'पूंजी पर्याप्तता और तरलता मानक संशोधन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांकित 31 मार्च, 2015 के अनुसार बैंकों को बेसल III ढांचे के तहत लीवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित पिलर 3 खुलासे करने की आवश्यकता है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रकटीकरण की समीक्षा नहीं की गई है। ये विवरण हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
15. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र क्रमांक डीबीआर सं..बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांकित 23 जून, 2017 के अनुसार इनसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश मानदंड, और डीबीआर सं..बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांकित क्रमशः 23 जून, 2017 व 28 अगस्त 2018 के अनुसार, बैंक ने पूर्ववर्ती परिपत्र में उल्लिखित उधार खातों के संबंध में 31.03.2020 पर 625.79 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले 609.71 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके अलावा, एनसीएलटी को संदर्भित कुल उधार खातों के संबंध में रखे गए प्रावधान 3478.05 करोड़ रुपये थे, जबकि शेष राशि 31.03.2020 की तुलना में 4708.99 करोड़ रुपये थी।
16. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किए गए कोविड -19 के प्रकोप ने भारत सहित दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता में वृद्धि में योगदान दिया है। कोविड -19 महामारी किस हद तक बैंक के ऋण और वसूली क्षेत्र को प्रभावित करेगा यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा जो अत्यधिक अनिश्चित है। बैंक अभी चल रहे आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए प्रमुख पहचान की चुनौतियां नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी चक्रों को फैलाने से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों के बावजूद, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक का पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया गया है और इसके वर्तमान और भविष्य के कार्यों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त तरलता है और भविष्य में और बैंक के प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2019-20		2018-19	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

14. In terms of Reserve Bank of India (RBI) circular DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16, dated July 1, 2015, on 'Basel III Capital Adequacy' and RBI circulars DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments', Banks are required to make Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III framework which are being made available on the Bank's website. The Disclosures have not been subjected to review by Statutory Central Auditors of the Bank. These details are being made available on our website www.psbindia.com.
15. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No.DBR.No.BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR.No.BP.1906/21.04.048/ 2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2018 respectively, the Bank is holding the provisioning of Rs.609.71 Crores as against the balance outstanding of Rs.625.79 Crores as on 31.03.2020 in respect of borrowal accounts referred in aforesaid circular. Further, the provisions held in respect of total borrowal accounts referred to NCLT stood at Rs.3478.05 Crores as against the balance outstanding of Rs.4708.99 Crores as at 31.03.2020.
16. The outbreak of Covid-19, which was declared as a Global Pandemic on March 11, 2020 by World Health Organization (WHO), has contributed to a significant decline in economic activities and increase in volatility in financial markets all across the world including India. The extent to which Covid-19 pandemic will impact the credit and recovery segment of bank will depends on future developments which are highly uncertain. The Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The major identified challenges for the bank would arise from eroding cash flows and extended working capital cycles. Despite these challenges, the management believes that no adjustments are required in the financial results as the Bank is adequately capitalized and has sufficient liquidity to take care of its present and future operations and there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumption as at presently made.

आरबीआई ने 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 नियामक पैकेज की घोषणा के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में जिनके खाते 29 फरवरी, 2020 तक मानक थे, बैंक ने नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं पर ब्याज की वसूली को स्थगित करते हुए, 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक के लिए सभी सावधि ऋण किस्तों पर 1 मार्च 2020 से 31 मई, 2020 तक, सभी योग्य उधारकर्ताओं के लिए कुछ मापदंडों में छूट सहित, पुनर्गठन के समान विचार किए बिना तीन महीने की मोहलत दी है। आगे 22 मई, 2020 को, आरबीआई ने बैंकों को पात्र लाभ लेने वालों को 1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक तीन और महीनों के लिए ऐसे लाभ देने की अनुमति दी है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को ऐसे उधारकर्ता खातों के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाले बकाया के 10% का प्रावधान करना होगा, जहां आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है। 31.03.2020 तक, बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 50 करोड़ रुपये के प्रावधान किए हैं जो न्यूनतम से अधिक है।

17. वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय समझौते का निपटान लंबित है (नवंबर 2017 से), वेतन संशोधन की दिशा में वर्ष के दौरान रु. 120 करोड़ (पिछले वर्ष 120 करोड़ रु) की तदर्थ राशि प्रदान की गई है। भारतीय बैंक संघ के पत्र संख्या एचआर और आईआर / एक्सआईबीपीएस / 7944 दिनांक 01.10.2019 के संदर्भ में, बैंक ने बैंक में 01.11.2017 और अभी भी सेवा में जारी है सभी स्थाई कर्मकार कर्मचारियों और अधिकारियों को एक महीने के वेतन के बराबर रु 46.28 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया है। 31 मार्च, 2020 तक का शुद्ध प्रावधान रु 243.72 करोड़ है।
18. बैंक ने आरबीआई के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 7 जून, 2019 के संदर्भ में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा के तहत रु 153.80 करोड़ का एक अतिरिक्त प्रावधान किया है।
19. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत / फिर से व्यवस्थित किया गया है।

In accordance with the COVID-19 Regulatory Package announced by the RBI on March 27, 2020 and April 17, 2020 with regard to providing relief to borrowers' on account of COVID-19 pandemic whose accounts were standard as on February 29, 2020, the bank has permitted moratorium of three months on all term loan installments falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020, deferred the recovery of interest on working capital facilities sanctioned in the form of cash credit/ overdraft accounts from March 1, 2020 to May 31, 2020 including relaxation in certain parameters, to all eligible borrowers, without considering the same as restructuring. Further on May 22, 2020, RBI has permitted the Banks to extend such benefits to eligible borrowers for another three months from June 1, 2020 to August 31, 2020. In accordance with RBI's guidelines, the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended March 31, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. As on 31.03.2020, the Bank has made provisions of Rs. 50 crore as per RBI guidelines which is more than minimum.

17. Pending settlement of the Bipartite agreement on wage revision (due from November 2017), an adhoc amount of Rs.120 Crore (Previous year Rs 120 Crore) has been provided during the year towards wage revision. In terms of Indian Banks' Association letter No.HR&IR/XIBPS/7944 dated 01.10.2019, Bank has made an adhoc payment of Rs.46.28 crore equivalent to one month salary to all permanent workmen staff and officers on the rolls of the Bank as on 01.11.2017 and are still continuing in service. The net provision held as on March 31, 2020 is Rs.243.72 Crore.
18. The bank has made an additional provision in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets amounting to Rs. 153.80 Crore.
19. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 छोड़कर)

विवरण	2019-20	2018-19
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	-9907983	-5434779
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	21003569	18187269
मूल्यह्रास स्थावर आस्तियां	539094	-147207
मूल्यह्रास निवेश	-126438	1216087
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-9639	-97994
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2345897	2560620
आस्थगित टैक्स देयता	0	0
सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	0	0
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	13844500	16283996
समायोजन हेतु :		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	-88900511	-31685619
उधारों में वृद्धि/(कमी)	3367500	-8689849
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-221459	-1400791
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	14026832	65509253
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	84024067	-46221011
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-417099	7445988
प्रत्यक्ष कर भुगतान (कुल रिफंड)	-3624676	-2215330
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क)	22099154	-973363
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-643522	-708701
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	9639	97994
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-633883	-610707
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकद में इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	1361408	0
प्रास शेयर प्रीमियम	7508592	0
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-12066	0
अतिरिक्त टियर-1 बांड का निर्गम	0	0
गौण बांड को जारी करना	7373000	0
गौण बांड का मोचन	-5750000	-1000000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-2345897	-2560620
इक्विटी पर लाभांश	0	0
लाभांश आबंटन कर	0	0
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	8135037	-3560620
परिचालन गतिविधियों से नकदी	22099154	-973363
निवेश गतिविधियों से नकदी	-633883	-610707
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	8135037	-3560620
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	29600308	-5144690
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	66182236	71326926
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	95782544	66182236

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2019-20	2018-19
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-9907983	-5434779
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	21003569	18187269
Depreciation on Fixed Assets	539094	-147207
Depreciation on Investments	-126438	1216087
Profit on sale of Assets	-9639	-97994
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2345897	2560620
Deferred Tax Liability	0	0
Corporate Social Responsibility Fund	0	0
Operating Profit before working capital changes	13844500	16283996
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	-88900511	-31685619
Increase / (Decrease) in Borrowings	3367500	-8689849
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-221459	-1400791
(Increase) / Decrease in Investments	14026832	65509253
(Increase)/ Decrease in Advances	84024067	-46221011
(Increase) / Decrease in Other Assets	-417099	7445988
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-3624676	-2215330
Cash Flow from Operating Activities (A)	22099154	-973363
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-643522	-708701
Profit on sale of Assets	9639	97994
Cash Flow from Investing Activities (B)	-633883	-610707
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	1361408	0
Share Premium received thereon	7508592	0
Public Issue Expenses	-12066	0
Issue of Additional Tier I Bonds	0	0
Issue of Subordinated Bonds	7373000	0
Redemption of Subordinated Bonds	-5750000	-1000000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2345897	-2560620
Dividend on Equity	0	0
Dividend Distribution Tax	0	0
Cash Flow from Financing Activities (C)	8135037	-3560620
Cash from Operating Activities	22099154	-973363
Cash from Investing Activities	-633883	-610707
Cash from Financing Activities	8135037	-3560620
Increase in Cash & Cash Equivalents	29600308	-5144690
Cash and Bank Balances (Opening)	66182236	71326926
Cash and Bank Balances (Closing)	95782544	66182236



विन्नी मखीजा
मुख्य प्रबंधक

सी.एम. सिंह
स.महा. प्रबंधक

रवि मेहरा
महाप्रबंधक

गोपाल कृष्ण
महाप्रबंधक

पंकज द्विवेदी
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

टी.आर. मेंदिरता
निदेशक

एम.एस. दादू
निदेशक

एस.आर. गेडिया
निदेशक

बी.पी विजयेन्द्र
निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यकारी निदेशक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

एस. हरि शंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर कार्यकारी अध्यक्ष

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
साझेदार
एम.नं. 080500
एफआरएन 000075एन
यूडीआईएन:

(बलदेव गर्ग)
साझेदार
एम.नं. 092225
एफआरएन 013148एन
यूडीआईएन:

कृते सुरेश चंद्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)
साझेदार
एम.नं. 090205
एफआरएन: 001359एन
यूडीआईएन:

(राज गुप्ता)
साझेदार
एम.नं. 017039
एफआरएन: 000203एन
यूडीआईएन:

दिनांक: जून 29, 2020
स्थान: नई दिल्ली

VINNY MAKHIJA
CHIEF MANAGER

C.M.SINGH
ASSTT. GEN. MANAGER

RAVI MEHRA
GENERAL MANAGER

GOPAL KRISHAN
GENERAL MANAGER

PANKAJ DWIVEDI
GENERAL MANAGER

V.K.MEHROTRA
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

T. R. MENDIRATTA
DIRECTOR

M. S. DADU
DIRECTOR

S. R. GHEDIA
DIRECTOR

B.P.VIJAYENDRA
DIRECTOR

S. R. MEHAR
DIRECTOR

AJIT KUMAR DAS
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S. HARISANKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N
UDIN:

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N
UDIN:

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants

(Madhur Gupta)
Partner
M. No. 090205
FRN : 001359N
UDIN:

(Sandeep Gupta)
Partner
M. No. 529774
FRN : 000203N
UDIN:

Place: New Delhi
Dated: June 29, 2020

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)

में, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ निवासी _____

यह पुष्टि करता हूँ कि :

1. मैं एक शेयर धारक हूँ जिसके पास दिनांक 10 जुलाई, 2020 को ईक्विटी शेयर है (अर्थात्) चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम तिथि।
2. *मैं जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूँ (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा..... (विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत हैं बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम के सेक्शन 9 की उप धारा 3ए के अनुसार करता हूँ और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूँ और
4. मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ, और 5. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत मैं बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हूँ, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 के अधीन अयोग्य नहीं हूँ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एवं प्रोपर" मानदण्डों पर खरा हूँ, देखे दिनांक 01.11.2017 के परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-2008 तथा 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.11 का परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 95/29/39/001 6. मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक विधि सम्मत सेक्शन 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) नियम, 1959 के सेक्शन 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक हूँ।
7. निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 17.07.2020 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
8. मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो और बैंक के निदेशक चुने जाने पर शपथपत्र के विलेख का निष्पादन करूंगा।

नाम	
पंजी. पन्ना नं. (अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक:	
हस्ताक्षर	
संपर्क नंबर	
पता/ई-मेल पता	

उक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)
*जो लागू न हो उसे काट दें

सील व दिनांक सहित हस्ताक्षर

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, _____ son / daughter /wife of Shri _____ a resident of _____
 _____ hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holding _____ equity shares of the Bank as on July 10, 2020 (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- b. *I have special knowledge or practical experience in [i] agriculture and rural economy, [ii] banking [iii] co-operation [iv] economics [v] finance [vi] law, [vii]small scale industry, or _____ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- c. I accept the nominations numbering _____ and
- d. I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and ‘Fit and Proper’ criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011and extent Gol guidelines for selection of part time Non-Official Director.
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks)Act, 1959.
- g. I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 17th July 2020 for election of directors. A copy of my profile giving details of age, qualifications, experience etc. is enclosed.
- h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place:	
Date:	
Signatures:	
Contact No.:	
Address/E-mail address:	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate, Registrar/
 Sub-Registrar of Assurances or any other Gazetted Officer
 or an Officer of the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank
 or any Nationalised Bank.)

*Delete whichever is not applicable.

Signature with seal & Date

अनुबंध 1

बैंक का नाम : पंजाब एण्ड सिंध बैंक प्रा.लिमिटेड
अभ्यर्थी द्वारा घोषणा व वचन
(आवश्यक अनुलग्नक सहित)

I व्यक्तिगत ब्यौरा				
a	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
b	वर्तमान पता			
c	राष्ट्रीयता			
d	जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) तथा आज दिनांक को आयु	____/____/____ आयु ____ वर्ष ____ माह ____ दिन		
e	शैक्षिक योग्यता			
f	निदेशक पहचान संख्या			
g	आधार नं.			
h	(i) स्थाई खाता संख्या (पैन): (ii) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक को कर (आयकर क्षेत्राधिकार) / आयकर सर्कल / वार्ड का नाम और पता निर्धारित किया जाता है: (iii) पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान का विवरण	दाखिल करने की तिथि	भुगतान की गई कर राशि(आईएनआर)	
i.	स्थायी पता			
j	ईमेल पता/वैकल्पिक ईमेल पता: दूरभाष नं. एसटीडी कोड सहित: मोबाइल नं.			
k	संबंधित जानकारी और अनुभव उल्लेख • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2), • बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 (3ए) अधिनियम, 1970/1980 • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 ए (ए) भा.रि.बैं. के परिपत्र दिनांक 24 नवंबर 2016 सं. डीबीआर. एपीपीटी. बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव] जैसा भी मामला हो,			
l	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त लेखन)			
m	कम से कम पिछले 10 वर्षों का व्यवसाय, संगठन के पूरा पता सहित, इसमें शामिल होने की तिथि, छोड़ने की तिथि(कारण सहित), पदनाम आदि।			
n	सनदी लेखाकार के मामले में निम्नलिखित जानकारी दे.:			
	(i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या			
	(ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तिथि			
	(iii) पंजीकृत फर्म का नाम और पता			
	(iv) वर्तमान में किए गए लेखापरीक्षा का विवरण			
o	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) के साथ बैंकर का नाम जहां का वह पहला खाताधारक है। डीमैट खाते का विवरण संलग्न करें, यदि कोई है	बैंक का नाम/शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या

Annex 1

NAME OF BANK: PUNJAB & SIND BANK Declaration and Undertaking by Candidate (with appropriate enclosures)

I. Personal details					
a	Name	First Name	Middle Name	Last Name	
b	Present Address				
c	Nationality				
d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	-- / -- / ---- Age: -- years -- months --- days			
e	Educational Qualifications				
f	Director Identification Number (DIN)				
g	Aadhaar Number				
H	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (INR)		
i	Permanent Address				
j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:				
k	Relevant Knowledge and Experience [Refer <ul style="list-style-type: none"> Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949, Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]				
l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)				
m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
n	In case of a Chartered Accountant, indicate the following: (i) Membership Number of ICAI (ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (iii) Name and Address of the registered firm/s (iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s				
o	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current / loan accounts) where he/she is the primary account holder. Details of Demat account(s) held if any (attach copy)	Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number

	p	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)	
	q	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई जानकारी	
II निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी			
	a	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हों [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उप-भाग (77) और कंपनियों के नियम 4 (विनिर्देश की परिभाषा) नियम, 2014]	
	b	<p>i) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनकी रुचि हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)। बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / निकायों कॉर्पोरेट / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) ऐसी संस्थाएँ जिनमें वह / वह लाभकारी स्वामित्व रखती हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 89 और 90 का संदर्भ लें और लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का भी उल्लेख करें]</p> <p>(iii) ट्रस्ट की सूची जिसमें ट्रस्टी के रूप में किस पद पर है।</p>	
	c	<p>मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें वह / वह जिसमें उसका पर्याप्त हित हो (बैंकिंग वियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार;</p> <p>किसी कंपनी के संबंध में " पर्याप्त हित" (i) का अर्थ है, किसी व्यक्ति या उसके पति या नाबालिग बच्चे द्वारा लाभकारी हितों की होल्डिंग, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों में, भुगतान की गई राशि, जिस पर पांच लाख से अधिक है रुपये या कंपनी की भुगतान की गई पूंजी का दस प्रतिशत, जो भी कम हो;</p>	
	d	विदेशों में निगमित कंपनियों में धारिता और भारत में व्यापार का एक स्थान होना	
	e	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	f	उनके द्वारा तथा/ अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (डी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं, यदि कोई है तो	
	g	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (डी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक/एनबीएफसी से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता रही हैं, यदि कोई हो	
	h	ऐसे मामले, जहां वह चूककर्ता है या किसी बैंक/एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋण देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है, यदि कोई हो	
III व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड			
	a	व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित	
IV उम्मीदवार के विरुद्ध, यदि कोई है, कार्रवाई			
	a	यदि कोई उम्मीदवार व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यावसाय में किसी समय उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण दें।	

p	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)																	
q	Any other information relevant to Directorship of the Bank																	
II	Relevant Relationships of proposed director																	
a	List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]																	
b	(i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately. (ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA] (iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.																	
c	List of entities, existing and proposed, in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949. <i>"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i>	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Country of incorporation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Number of shares</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Face Value of each share</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Share holding as % of total PUC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td> <td></td> </tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Share holding as % of total PUC		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Share holding as % of total PUC																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
d	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India																	
e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)																	
f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank																	
g	Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/any other bank/ NBFC/any other lending institution.																	
h	Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/NBFC/any other lending institution.																	
III	Records of professional achievements																	
a.	Professional achievements relevant for the directorship																	
IV.	Proceedings, if any, against the proposed director																	
a.	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.																	

b	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा /उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो ।	
c	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो ।	
d	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है ।	
e	क्या उम्मीदवार या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ड) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
f	क्या उम्मीदवार को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है? यदि हाँ, विवरण दें।	
g	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है। (यद्यपि, उम्मीदवार के लिए नियामकों द्वारा सामने लाए गए तथ्यों तथा आदेशों के विषय में उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है जोकि बाद में प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दिए जाएंगे तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि किसी कारण प्रत्यावर्तन/निरस्तीकरण तकनीकी कारणों जैसे परिसीमा अथवा क्षेत्राधिकार की कमी आदि और गुण-दोष के आधार पर नहीं, नियामक के आदेश को अस्थायी रूप से अस्थगित कर दिया जाता है और अपील/अदालती कार्रवाई लंबित हैं तो उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए।)	

V. उपरोक्त मद संख्या I से IV के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।

घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूँगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले यथावश्यक प्रसंविदा को निष्पादित भी करूँगा ।

स्थान:

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:

VI. बैंक की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति/नामांकन की टिप्पणी

स्थान:

हस्ताक्षर

दिनांक:

b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
e.	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	

V. Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Signature of Candidate

Date :

VI. Remarks of Nomination and Remuneration Committee/Nomination Committee of the Bank

Place :

Signature

Date :



नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस,
नई दिल्ली - 110008

महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपके नोटिस दिनांक 17.07.2020 के संदर्भ में, मैं _____ .पंजाब एण्ड सिंध बैंक का 10/-रु. प्रति शेयर के साम्य _____ शेयर पूंजी का धारक हूँ तथा दिनांक 10 जुलाई, 2020 दिन शुक्रवार (अर्थात् निर्धारित तिथि) चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम तिथि पर एतद् द्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी . _____ निवासी _____ .को दिनांक 11.08.2020 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) की शर्तों के अनुसार बैंक के शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत करता हूँ

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
रजि. पन्ना नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डी पी आई डी नं. एवं ग्राहक आई डी. नं. (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक:	

टिप्पणियां :

- किसी कॉर्पोरेट निकाय के नामांकन के मामलों में, नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जोकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा उक्त बैठक में हस्ताक्षरित है जिसमें इसको पारित किया गया, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल करने चाहिए।
- यदि उपरोक्त मर्दों को खाली छोड़ दिया जाता है या संबंधित विवरण सही नहीं पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

NOMINATION FORM

To
 The Chairman / Managing Director & CEO,
 Punjab & Sind Bank
 Head office: 21 Rajendra Place,
 New Delhi-110 008.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated 17.07.2020 I, _____ a shareholder of Punjab & Sind Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on Friday, the 10 July, 2020 (i.e) the Cut-Off date for participating in the Election do hereby nominate Shri/ Smt. _____ son/ daughter/wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Punjab & Sind Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the **10th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 11.08.2020:**

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- * In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
- * Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
- * If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी.एस.बी

मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer



श्री अमबीश कुमार मिशरा (सीवीओ)
Sh. Ambrish Kumar Mishra (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev



श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak



श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat



पी.एस.बी

Since 1908

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕ੍ਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life